खण्ड–21, अंक–5
सोमवार, 20 फाल्गुन, शक संवत्, 1929
(10 मार्च, 2008 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)

(प्रथम सत्र, 2008)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 21 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2009

मूल्य :

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
प्रश्नोत्तर	1–67
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	67
लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में 258 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को संविदा पर भरे जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वि0ख0 धारचूला एवं मुनस्यारी में मृग विहार होने से विकास के कई निर्माण कार्य बन्द होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	68
धनौल्टी विधान सभा के अन्तर्गत अलमस भवान–नगुण मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	68
जनपद पौड़ी गढ़वाल के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को आयोजनागत (प्लान) के अन्तर्गत वेतन भुगतान के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	68–69
जनपद रुद्रप्रयाग के जुगासू–उनियाणा मोटर मार्ग के डामरीकरण करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	69
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का लाभ अल्मोड़ा जिले को न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	69–70
उत्तराखण्ड पंचायत विधि संशोधन विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित)	70
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	70–71
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाऐं	71
जनपद टिहरी गढ़वाल एवं जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पड़ने वाले रवांई जौनपुर क्षेत्र को जौनसार भावर की तरह जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने विषयक संकल्प (अस्वीकृत)	71–76
टिहरी बाँध की झील के निर्माण से प्रभावित टिहरी जनपद के विधान सभा क्षेत्र प्रताप नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र तथा उत्तरकाशी जनपद के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के गाजणा पट्टी के सम्पूर्ण क्षेत्र को विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत विषयक संकल्प (अस्वीकृत) ...	76–84

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तराखण्ड में टनकपुर से बागेश्वर के लिए रेलवे लाईन का निर्माण विषयक संकल्प (स्वीकृत)	84-88
वित्तीय वर्ष, 2008-2009 के आय-व्ययक के विवरण का प्रस्तुतीकरण	88-112
नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएं	112
नत्थियां	133-134

'क'

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डे
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती आशा
5. श्री ओम गोपाल
6. सुश्री कैरन मेयर
7. श्री केदार सिंह फोनिया
8. श्री खजान दास
9. श्री खड़क सिंह बोहरा
10. श्री गगन सिंह
11. श्री गणेश जोशी
12. श्री गोपाल सिंह रावत
13. श्री गोविन्द लाल
14. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
15. श्री चन्दन राम दास
16. श्री जोगा राम टम्टा
17. श्री दिवाकर भट्ट
18. श्री दिवान सिंह
19. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
20. श्री प्रकाश पन्त
21. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
22. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
23. श्री बिशन सिंह चुफाल
24. श्री बंशीधर भगत
25. श्री बृज मोहन कोटवाल
26. श्री भगत सिंह कोश्यारी
27. मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द खण्डूडी, ए0वी0एस0एम0
28. श्री मदन कौशिक
29. श्री मातबर सिंह कण्डारी
30. श्री मुन्ना सिंह चौहान
31. श्री यशपाल बेनाम
32. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
33. श्री राजकुमार
34. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
35. श्रीमती विजया बड़थ्वाल
36. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
37. श्रीमती वीना महराना
38. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
39. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
40. श्री सुरेश चन्द जैन
41. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2008 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष--

कृपया, आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में उद्योगपतियों द्वारा मार्च, 2007 से अब तक किया गया पूँजी निवेश

*1--श्री प्रीतम सिंह--

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2007 से अब तक कितने उद्योगपतियों द्वारा कितना पूँजी निवेश किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री [मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द खण्डूड़ी]--

मार्च, 2007 से अब तक 2043 उद्योगपतियों द्वारा रु0 4218.30 करोड़ का पूँजी निवेश किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को वरिष्ठता एवं अन्य सेवा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने हेतु शासनादेश

*1--श्री सुरेन्द्र राकेश--

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि 85वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा इसके अनुपालन में जारी शासनादेश सं0-20011/1/2001 ESTT(D), दिनांक 21 जनवरी, 2002 उपरान्त भी क्या उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई समान शासनादेश निर्गत न किये जाने के कारण उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को वरिष्ठता एवं अन्य सेवा सम्बन्धी लाभ नहीं मिल पा रहे हैं ?

वित्तीय वर्ष, 2007–08 के प्रारम्भ में जनपद हरिद्वार में गत वर्षों में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग निर्माण सम्बन्धी कार्यों के सापेक्ष रु0 1955.93 लाख का अवशेष था। फलतः वित्तीय वर्ष, 2007–08 के लिए जिला प्लान में अनुमोदित राशि रु0 886.59 लाख का पूर्ण उपयोग पुराने कार्यों पर ही कर लिया गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष, 2007–08 के दौरान जिला प्लान के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2007 में रु0 543.03 लाख लागत के नवीन कार्य भी स्वीकृत किये गये हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

किसानों को निजी भूमि से मिट्टी उठाने पर रोक

*4–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा किसानों को निजी भूमि से, कार्य हेतु, मिट्टी के उठाने पर रोक लगाई गई है ?

क्या यह सत्य है कि इस रोक के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपने घरों के निर्माण कार्य आदि भी नहीं करवा पा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त रोक हटाने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–119 मेरठ–कोटद्वार–पौड़ी में कोटद्वार एवं दुगड्डा के मध्य स्थित तीन पुलों के स्थान पर डबल लेन के पुल बनाने पर विचार

*5–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–119 मेरठ–कोटद्वार–पौड़ी में कोटद्वार एवं दुगड्डा के मध्य स्थित तीन पुलों (दो स्टील गर्डर स्थान दुगड्डा एवं लालपुल तथा एक आर0सी0सी0 स्थान गिंवई स्रोत) की आयु 50 वर्ष से ऊपर हो गई है ?

क्या यह सत्य है कि यह तीनों पुल सिंगल लेन होने के कारण परिवहन संचालन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या प्रदेश सरकार इनके स्थान पर डबल लेन पुल बनाने हेतु कोई प्रयास कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द खण्डूड़ी–

जी हाँ।

आंशिक रूप से, दो पुल जीर्ण अवस्था में है।

जी हाँ, दो पुलों के सम्बन्ध में।

प्रश्नगत तीन पुलों में से किमी0 143 पर गिवाई स्रोत पुल तथा किमी0 156 में दुगड्डा पुल को टू लेन (डबल लेन) पुल बनाये जाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग वार्षिक योजना 2008–09 में प्रस्तावित किया गया है। किमी0 145 में स्थित लाल पुल वर्तमान में सही स्थिति में होने के कारण यातायात हेतु उपयुक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, लाल पुल कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यह मेरठ से बद्रीनाथ को जोड़ता है और इसमें कई बार ट्रैफिक अधिक होने के कारण परेशानी होती है क्योंकि यह सिंगल लेन का पुल है। नेशनल हाईवे रोड होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या डबल लेन के पुल का निर्माण होगा?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल हाईवे 119 के 145 किमी0 पर यह लाल पुल है, माननीय सदस्य ने जिस पुल के बारे में अवगत कराया है। इस पुल की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में जो ज्ञात हुआ है, उसके अनुसार पुल के स्टील गर्डर की रिवट व डैक की स्टील प्लेट वर्तमान में सही स्थिति मे होने तथा एबटमेंट भी सही होने के कारण पुल यातायात हेतु उपयुक्त है लेकिन माननीय सदस्य ने इसे डबल लेन का बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके गुणावगुण का अध्ययन कराने के बाद उचित निर्णय लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति हेतु इसको प्रस्तावित कर लिया जाएगा।

जनपद हरिद्वार में मार्च, 2007 से नवम्बर, 2007 तक अपराधिक घटनाओं का ब्यौरा

*6–श्री शहजाद–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में मार्च, 2007 से 30 नवम्बर, 2007 तक प्रत्येक थाना क्षेत्र में कितनी डकैती, लूट एवं कितने अपहरण एवं हत्यायें हुई हैं ?

क्या मुख्यमंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के थाना क्षेत्र कोतवाली रानीपुर में मार्च, 2007 से नवम्बर, 2007 तक क्षेत्र में हुई कितनी हत्या, अपहरण, डकैती एवं लूट की घटनाओं का खुलासा किया गया है और कितनी घटनायें ऐसी हैं, जिनका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद हरिद्वार में मार्च, 2007 से 30 नवम्बर, 2007 तक प्रत्येक थाना क्षेत्र में घटित डकैती, लूट, अपहरण एवं हत्या का विवरण निम्नवत् है :–

नाम थाना	डकैती	लूट	अपहरण	हत्या
कोतवाली नगर	—	1	4	5
कनखल	1	2	1	3
श्यामपुर	1	—	—	2
जीआरपी हरिद्वार	—	—	—	—
ज्वालापुर	1	3	5	—
रानीपुर	3	7	3	5
बुग्गावाला	—	3	1	—
बहादराबाद	—	4	3	2
रुड़की	1	4	6	4
गंगनहर	—	1	1	1
भगवानपुर	—	7	1	6
मंगलौर	1	7	3	3
झबरेड़ा	—	2	2	—
लक्सर	—	2	7	8
पथरी	—	—	1	1
खानपुर	—	—	1	4
जीआरपी लक्सर	—	—	—	—
कुल योग	8	43	39	44

थाना रानीपुर में मार्च, 2007 से दिनांक 30–11–2007 तक हत्या, अपहरण, डकैती एवं लूट के पंजीकृत अभियोगों के अनावरण का विवरण निम्नवत् हैं :–

अपराध शीर्षक	पंजीकृत अभियोग	अनावरण किये गये	अनावरण हेतु शेष
हत्या	5	5	–
अपहरण	3	2	1
डकैती	3	3	–
लूट	7	6	1

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री शहजाद का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को पिछडी जाति का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के कारण अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति से वंचित छात्र–छात्राएं

*7–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रशासन द्वारा अल्पसंख्यक के बजाए पिछडी जाति का प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त के कारण अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति से छात्र/छात्राएं वंचित हो जाते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा मुस्लिम एवं सिक्ख समुदाय के छात्र/छात्राओं को अल्पसंख्यक जाति प्रमाण–पत्र निर्गत कराए जाने का प्रावधान कराया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे०ज० (अ०प्रा०) श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

अल्पसंख्यक वर्ग की कतिपय जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित हैं। अभ्यर्थी की मांग के अनुसार पिछडी जाति अथवा अल्पसंख्यक का प्रमाण–पत्र शासन द्वारा निर्गत किया जाता है।

जी नहीं।

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–429(1)/बावन–4–98, दिनांक 31 अक्टूबर, 1998 के अनुसार अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति हेतु न्यूनतम मासिक आय रु0 1,000/– के मानक में परिवर्तन किये जाने पर विचार

*8–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम मासिक आय मात्र रु0 1,000/– से उत्पन्न हो रही विसंगति को देखते हुए सरकार इस मानक में परिवर्तन करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मासिक आय सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

केन्द्र सरकार की भांति राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर पूर्णतया अमल किये जाने पर विचार

*9–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य एक्ट (उत्तरांचल राज्य कमीशन फोर अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, 2003–उत्तरांचल एक्ट सं0 07 ऑफ 2007) द्वारा गठित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा अमल में लाई जाती हैं?

क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार (नेशनल कमीशन फोर अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, 1993) द्वारा गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें केन्द्र सरकार द्वारा अमल में लाए जाने हेतु केन्द्र सरकार बाध्य है ?

यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार की भाँति राज्य सरकार भी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को पूर्णतया अमल में लायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अध्याय–3 की धारा–9(2) में प्राविधान है कि द एडवाइस ऑफ द कमीशन शेल ऑर्डिनेरी बि बाइंडिंग अपोन द सेन्ट्रल गवर्मेंट।

उपरोक्तानुसार।

उक्तानुसार।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बनने वाली भूमिगत सुरंगों के कारण आबादी क्षेत्रों का धंसाव

*10–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बनने वाली भूमिगत सुरंगों से आबादी क्षेत्रों के धसने की क्या कोई शिकायत मिली है?

यदि हाँ, तो क्यों कोई जाँच कराई गई है ?

क्या सरकार जाँच का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत विद्युत दरों/टैरिफ में छूट

*11–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में भारत सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक पैकेज के तहत उत्तराखण्ड द्वारा भी उद्योगों की विद्युत दरों/टैरिफ में कोई छूट दी गई है ?

यदि हाँ, तो अन्य उपभोक्ताओं की तुलना में श्रेणीवार विवरण क्या है ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु घोषित पैकेज के मुख्य बिन्दु

*12–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कोई पैकेज घोषित किया है ? यदि हाँ, तो पैकेज के मुख्य बिन्दु क्या हैं ?

क्या प्रदेश सरकार द्वारा घोषित पैकेज की सुविधाऐं भारत सरकार द्वारा पहले से देय औद्योगिक पैकेज के अतिरिक्त है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ, पैकेज के बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1. पर्वतीय जनपदों तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पैकेज की अनुमन्यता के लिए जनपदों/क्षेत्रों का श्रेणी–"ए" एवं "बी" में वर्गीकरण।
2. अप्रदूषणकारी विनिर्माण/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र के अभिज्ञापित उद्यमों को पैकेज का लाभ।
3. विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान, भूमि क्रय विलेख पत्र के निबन्धन में देय स्टैम्प शुल्क में छूट, स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को कच्चा माल/तैयार माल के आंतरिक परिवहन पर विशेष राज्य परिवहन उपादान, तकनीकी सेवाओं हेतु भुगतान किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादन की बिक्री पर देय मूल्यवर्धित कर की प्रतिपूर्ति, उत्पादन कार्य में उपयोग किये गये उत्पादक चिन्हित उद्यमों को विद्युत मूल्य में रियायत, विपणन सहायता, उद्यमिता तथा कौशल विकास एवं अवस्थापना विकास सुविधाओं के सृजन/सुदृढीकरण हेतु एकीकृत रूप में वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता/सुविधायें।
4. उत्तराखण्ड के मूल तथा स्थायी निवासियों को पैकेज के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान सहायता/सुविधाओं का अधिकतम लाभ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद टिहरी के अन्तर्गत मशोन द्वारगढ़ मोटर मार्ग को पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही

*13–श्री खजान दास–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि वर्ष, 1998 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मशोन द्वारगढ़ मोटर मार्ग की स्वीकृति, न्याय पंचायत मुख्यालय द्वारगढ़ को 10 ग्रामों की लगभग 25 हजार से अधिक आबादी को जोड़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई थी ?

क्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह भी है कि मशोन द्वारगढ़ मोटर मार्ग का निर्माण मशोन की ओर से मात्र 10 किमी हो पाया है तथा द्वारगढ़ के ओर से अब तक भी मोटर मार्ग शुरू नहीं हो पाया है ?

यदि हाँ, तो उक्त मार्ग के अधूरे निर्माण को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

जी नहीं।

मशोन–द्वारगढ़ हल्का वाहन मार्ग की प्रथम स्वीकृति वर्ष, 1991 में 5.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु प्रदान की गई थी। कालान्तर में वर्ष, 1997 में 5.00 कि0मी0 लम्बाई में हल्का वाहन मार्ग की स्वीकृति एवं वर्ष, 2004 में 1.00 कि0मी0 लम्बाई में मोटर मार्ग की स्वीकृति, वर्ष, 2006 में मशोन–काण्डी–मेलगढ़ मोटर मार्ग की 6.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु, वर्ष, 2006 में मेलगढ़–काण्डी मोटर मार्ग की 3.00 कि0मी0 लम्बाई में एवं गढ़खेत से द्वारगढ़ मोटर मार्ग की 2.75 कि0मी0 लम्बाई हेतु विभिन्न चरणों में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार कुल 22.75 कि0मी0 लम्बाई हेतु स्वीकृति दी गई है।

मशोन की ओर से 10.00 कि0मी0 हल्का वाहन मार्ग एवं 1.00 कि0मी0 मोटर मार्ग, इस प्रकार कुल 11 कि0मी0 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। द्वारगढ़ की ओर से कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना था। किन्तु मशोन–द्वारगढ़ मार्ग के अन्तिम अंश गढ़खेत–द्वारगढ़ मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 2.75 कि0मी0 मे से गढ़खेत की ओर से 1.5 कि0मी0 मार्ग बन चुका है तथा शेष 1.25 की निविदा आमंत्रित की गई है।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत कुल लम्बाई 22.75 कि0मी0 में से 12.50 कि0मी0 बना चुका है, 9 कि0मी0 लम्बाई में संरेखण विवाद निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है और अवशेष कार्य 1.25 कि0मी0 वित्तीय वर्ष, 2008–09 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

श्री खजान दास–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ।

प्रदेश की सीमाओं पर आतंकवादी व माओवादी गतिविधियाँ

*14–श्री प्रीतम सिंह–

1–क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की सीमाओं पर आतंकवादी व माओवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है?

2–यदि हाँ, तो क्या ?

3–यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

1–जी हाँ।

2–प्रदेश की सीमाओं पर आतंकवादी व माओवादी गतिविधियों को रोकने के लिए निम्न कार्यवाही की गयी है :–

आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की कार्यवाही

(क)–अभिसूचना एकत्रीकरण हेतु सात विशेष प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

(ख)–आतंकवाद के सम्बन्ध में विभिन्न सहयोगी एजेन्सियों एवं गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं को तत्काल समस्त जनपद प्रभारियों/अभिसूचना अधिकारियों एवं अन्य सम्बन्धित को एलर्ट के माध्यम से सूचित किया जाता है।

(ग)–प्रदेश के बाहरी प्रान्तों से आकर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों/शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् छात्रों का पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन उनके गृह जनपदों से करवाया जाता है।

(घ)–आवश्यकतानुसार नये थानों/चौकियों का सृजन किया गया है।

(ङ)–प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स (एस0टी0एफ0) का गठन किया गया है।

माओवादी गतिविधियों को रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही

(क)–आई0टी0बी0पी0 तथा एस0एस0बी0 के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश की सीमाओं पर माओवादी गतिविधियों पर रोक लगायी जा रही है।

(ख)–नेपाल सीमा की सुरक्षा हेतु सीमा क्षेत्र में एस0एस0बी0 की 45 बार्डर आउटपोस्ट स्थापित हैं, जिनके द्वारा सीमा पर गश्त, पिकेट एवं चैकिंग की जाती है। नेपाल सीमा क्षेत्र में राज्य के तीन जनपदों पिथौरागढ़, चम्पावत एवं ऊधमसिंह नगर में 16 पुलिस थाने/चौकियां स्थापित हैं, जिनके द्वारा नेपाल के सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ-साथ एस0एस0बी0 के साथ समन्वय रखते हुए माओवादी गतिविधियों/संदिग्धों के आवगमन पर सतर्क दृष्टि रखी जाती है।

(ग)–नेपाल सीमा क्षेत्र में नियुक्त केन्द्रीय ऐजेन्सियों के साथ राज्य की पुलिस/अभिसूचना इकाईयों द्वारा आपस में समन्वय रखते हुए सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जाता है तथा सीमा की सुरक्षा के सम्बन्ध में उक्त एजेन्सियों के मध्य मासिक, त्रैमासिक रूप से उच्च स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाता है।

(घ)–कुमाऊँ परिक्षेत्र के जनपदों में अतिवामपंथी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि/अंकुश रखने व काम्बिंग हेतु कुमाऊँ परिक्षेत्र में परिक्षेत्र स्तर पर एवं जनपद स्तर पर स्पेशल ऑपरेशन टास्क फोर्स (एस0ओ0टी0एफ0) इकाई का गठन किया गया है। इस इकाई में नियुक्त कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

3–प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह एवं श्री महेन्द्र सिंह माहरा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ढालवाला, चौदहबीघा, मुनी–की–रेती तथा तपोवन में आवासीय भवनों के ऊपर बिछी विद्युत लाइनों को हटाने की कार्यवाही

*15–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ढालवाला/चौदहबीघा/मुनी–की–रेती तथा तपोवन में विद्युत लाईनें निर्धारित सीमा से कम ऊँचाई पर बिछी होने के कारण आवासीय भवनों के ऊपर बिछाई गई हैं जिस कारण आये दिन उपरोक्त लाईनों से दुर्घटनायें हो रही हैं तथा कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है ?

यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त लाईनों को आवासीय क्षेत्र के ऊपर से हटाया/स्थानान्तरित किया जायेगा ?

क्या सरकार विद्युत लाईनों से जनता की सुरक्षा हेतु जनसुरक्षा अधिनियम बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

कतिपय आवासीय भवनों का निर्माण/भवनों का विस्तारीकरण विद्युत लाईन बिछाने के बाद सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर किया गया है जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है।

स्थान उपलब्धता एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही पूर्ण किये जाने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्याप्त विधिक प्राविधान उपलब्ध होने के कारण।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, ढालवाला, चौदहबीघा और मुनी–की–रेती में छतों के ऊपर से तारें गुजर रही हैं, अभी तक इस कारण से वहाँ पर तीन केजुअल्टी हो चुकी हैं। छतों के ऊपर से सटकर तार जा रही हैं; इस बात से मैं पहले भी सदन को अवगत करा चुका हूँ कि इसको बदलना अति आवश्यक है। कभी भी कोई भी घटना वहाँ पर हो सकती है, तो उनको हटाने के लिए सरकार कोई प्रयास करने जा रही है ? कब तक उनको हटा दिया जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत ढालवाला, चौदहबीघा, मुनी–की–रेती तथा तपोवन में वर्ष 1978 से 1982 के बीच में एल0टी0 और एच0टी0 लाइन बिछाई गई थी। तत्पश्चात् चूँकि शहरी क्षेत्रों का विस्तार बढ़ता गया और एल0टी0 और एच0टी0 लाइनों के नीचे आवासीय भवन बनाने के जो न्यूनतम मानक थे, उनकी अनदेखी करते हुए लाईनों के नीचे आवासीय भवनों का निर्माण हुआ और शहर का विस्तारीकरण हुआ। इसके अतिरिक्त कतिपय जगहों पर इन लाईनों के नीचे पेड़ भी लगाये गये। इनके कारण दिनांक 02–09–2006 को लाईन का इन्सुलेटर फटने के कारण पोल पर करंट आने तथा दिनांक 22–09–2007 को पेड़ काटते समय पेड़ की टहनी के 33 के0वी0 लाईन के सम्पर्क होने से दुर्घटना हुई। चूँकि यह जो आवासीय परिसर है, इनका विस्तारीकरण लाईन बिछने के बाद हुआ और उसके कारण दुर्घटना घटित होने की जो आशंका माननीय सदस्य ने जाहिर की है वह निश्चित रूप से वर्तमान में है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार इस पूरे क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का एक सर्वेक्षण करायेगी और उसके पश्चात् उचित निर्णय लेगी।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, हमारी अभी विद्युत विभाग से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमने इसका इस्टीमेन्ट बनाकर सरकार को भेज दिया है। क्या यह इस्टीमेंट सरकार के पास उपलब्ध हुए हैं ? दूसरी बात हमारी विधान सभा का कुछ क्षेत्र कुम्भ मेला क्षेत्र में भी आता है और वह लोग इसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं, यदि कुछ हैल्प सरकार की ओर से हो जाती तो लाइनें तत्काल हट जायेंगी। मान्यवर, वर्ष, 2005 में वहाँ पर दो बच्चे और दो गाय खत्म हो गई, छोटे–छोटे बच्चे छतों पर खेल रहे थे और लाइन से चिपक गये। इस प्रकार की घटनायें भविष्य में न हों, इसलिए हम सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाह रहे हैं, तो इन लाइनों को आप कब तक हटा देंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अनेकों क्षेत्रों से भी बात आती रहती है और जनता द्वारा भी समय–समय पर लाइन हटाने की माँग आती रही है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। श्रीमन्, इसमें दो प्रमुख विषय हैं, जिनका संज्ञान लिया जाता है और जिनका ध्यान रखा जाता है। पहला तो यह है कि लाइनें हटाने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो, क्योंकि वह एक बड़ी आबादी का क्षेत्र है और वहाँ पर भूमि मिल पाना एक प्रमुख समस्या का कारण बनता है।

मान्यवर, यदि भूमि उपलब्ध हो और आगणन के अनुरूप जो आवासीय परिसर लाईन बनने के बाद स्थापित हुए हैं, उन परिसरों में अगर लाईन स्थानान्तरित की जाती है तो उसका जो व्यय–भार है, वह आवेदकों द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया परिचालित है, लेकिन हम इस पर भी व्यापक सर्वेक्षण करवाने के बाद जहाँ पर बहुत तात्कालिक आवश्यकता हो उसके सम्बन्ध में व्यापक सर्वेक्षण करवायेंगे और उसके अनुरूप निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आपके द्वारा जानना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि भूमि उपलब्धता भी एक विषय है। क्या सरकार जब विद्युत लाईनें किसी क्षेत्र में डालती है तो क्या सरकार भूमि स्वामी से पहले पूछती है और क्या सरकार का ऐसा कोई प्राविधान है कि जिस व्यक्ति के खेत से लाईन जाये, उसको सरकार कम्पनसेशन देती है और अगर नहीं देती हैं तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें केवल जो मुआवजा देने की प्रक्रिया परिचालित है वो उसकी कृषि की एक फसल का जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दिया जाता है और चूँकि यह जनहित की योजना है और अगर वन भूमि उसमें आ रही है तो उसका हस्तान्तरण विभाग के नाम पर होता है। नाप भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया वर्तमान में परिचालित नहीं है और जैसा कि मैंने पूर्व में अवगत कराया था कि इन लाईनों को अगर हटाने का विषय है तो भूमि की उपलब्धता और उस पर आवासीय भवनों के व्यापक सर्वेक्षण के बाद ही इस पर निर्णय लेना उचित होगा।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि लाईनें डालने के बाद वहाँ भवन बन गये, इस कारण परेशानी आयी। मेरा कहना है कि इस बारे में ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मान लिया जाये कि जहाँ आज लाईनें शिफ्ट होंगी तो वहाँ भी कल को भवन बन जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, कृपया प्रश्न करें।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में चन्द्रेश्वर नगर, प्रगति विहार, मायाकुंड ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अनेकों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। लाईनें भवनों के बिल्कुल नजदीक हैं जिस कारण अनेकों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरा अनुरोध है कि इस बारे में तत्काल ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है, उसके सम्बन्ध में समय–समय पर विभाग के माध्यम से सार्वजनिक सूचनाएं, विज्ञापन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से प्रचारित–प्रसारित की जाती है। श्रीमन्, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि भवन के निकटतम् बिन्दु से क्षितिज के समानान्तर दूरी : 11 के0वी0 एवं एल0टी0 लाईन के लिए 4 फिट, 33 के0वी0 लाईन के लिए 6 फिट। भवन के निकटतम् बिन्दु से लम्बवत् दूरी : एल0टी0 लाईन के लिए 8 फिट, 6.6/11/33 के0वी0 लाईन के लिए 12 फिट होनी चाहिए। समय–समय पर इस सम्बन्ध में अनुरोध किया जाता रहा है और जैसा कि समय–समय पर यह अनुरोध जनता से किया जाता रहा है और इसी अनुरोध के आधार पर सरकार और विभाग कार्यवाही करता है और चूँकि यह एक जनहित से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रकार से आबादी क्षेत्र से लाईनों के कारण हो रही जान–माल की जो क्षति है उसको न्यून किया जाए, जान–माल की क्षति न हो, सरकार इसके प्रति गम्भीर है।

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके के विद्युत लाईनों के नीचे गरीबों के मकान बने हैं अगर लाईन हटाने की बात करते हैं तो क्या वो पैसा जमा करेंगे ? मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गंगोरी राजकीय इण्टर कालेज है, उसके ऊपर से 33 के0वी0 की विद्युत लाईनें जा रही हैं जिससे कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। मैंने विभाग के अधिकारियों से बोला है और उसका एस्टीमेट भी बनाया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह 33 के0वी0 की लाईन कब तक हटा दी जाएगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने पहले ही विनम्रतापूर्वक कहा था कि सरकार इस विषय पर बेहद गम्भीर है। मान्यवर, इस विषय पर हम तत्काल निर्देश दे रहे हैं, पूरे प्रदेश में ऐसे सभी क्षेत्रों का चिन्हीकरण हो जाय, क्योंकि आबादी विगत 20–25 सालों से बढ़ी है। आबादी के चलते इसके ऊपर से जो एच0टी0 और एल0टी0 लाईनें गई हैं इसका सर्वेक्षण हमारे पास आ जाय उसके आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

जब विभाग ने एस्टीमेट बनाया होगा और आपने भूमि उपलब्ध होने की बात कही है। भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् ही एस्टीमेट बना होगा। ऐसे स्थानों पर जहाँ भूमि उपलब्ध है, सरकार उन स्थानों पर इन लाईनों को शिफ्ट करने की व्यवस्था अपने खर्च पर कर सकती है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी तक जो व्यवस्था परिचालित है, वह यह कि अगर लाईन बनी है उसके बाद उसके नीचे मकान बने हैं, अगर वह लाईन शिफ्ट होनी है तो उसका चार्ज जो शिफ्ट करवा रहा है वह देगा। मान्यवर, इसमें पूरे प्रदेश में सर्वेक्षण के बाद निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

आपने कहा सरकार विचार कर रही है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हम पूरे प्रदेश में, जहाँ पर इस तरह की लाईनें हैं, उसका सर्वेक्षण करा लेते हैं। उसके बाद जो भी हमारे सामने स्थिति पैदा होगी उसके अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

श्रीमती आशा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत जनता जूनियर स्कूल ऊँचाढूंगी और पंचवटी होटल रामपुर दोनों जगह इनके ऊपर एस०टी० लाइन है। वह स्कूल अपने संसाधनों से चलता है और जो भूमि उनके पास उपलब्ध है वह भूमि जनता द्वारा दान की गई है। स्कूल के फील्ड में एस०टी० लाईन होकर जा रही है। मैंने इसके बारे में विभाग को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया है कि इससे बच्चों को कभी भी कोई खतरा हो सकता है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो स्कूल के मैदान के ऊपर से एस०टी० लाईन जा रही है, क्या सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से इस लाईन को स्थानान्तरित करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैंने पूर्व में अवगत कराया है कि हम पूरी तरह प्रदेश के व्यापक सर्वेक्षण करा रहे हैं, उसके पश्चात् ही निर्णय लिया जायेगा।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो हाईटेंशन लाईन से दुर्घटना हुई हैं, क्या सरकार ने इन लोगों के इलाज के लिए

कोई पैसा अभी तक दिया है ? क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी तीन घटनायें हुई हैं। सरकार की तरफ से इनका कोई इलाज नहीं किया गया है। दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र जिसमें आई0टी0 पार्क और सरकारी आवासीय कालोनियाँ बन रही हैं और करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन है, जिसमें हाईटेंशन लाईन जा रही है। क्या सरकार का कोई ऐसा पैकेज है कि इस हाईटेंशन लाईन को वहाँ से हटाया जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, नगर पालिका क्षेत्रों में जहाँ पर नगर पालिका द्वारा सड़कें बनाई जाती हैं उसके अन्दर जो बिजली की लाईनें हैं, उनके न हटने से सड़कें अवरूद्ध हैं। नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी उसका कोई नतीजा हाथ नहीं आ रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत जो ये लाईनें हैं, जिसके लिए नगर पालिका कोई भी पैसा विभाग को नहीं देती है, क्या सरकार अपने खर्च पर इन्हें हटाने पर विचार कर रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जैसा कि मैं पूर्व में अवगत करा चुका हूँ कि सरकार इस विषय पर बेहद गम्भीर है। इसने सम्पूर्ण प्रदेश का सर्वेक्षण कराने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने पूरे राज्य का सर्वेक्षण प्रारम्भ कराने की बात की, कब तक प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आज ही, यहीं माननीय सदन के समक्ष मैं अवगत करा रहा हूँ कि हम निर्देशित कर रहे हैं इस पर व्यापक सर्वेक्षण होगा। मान्यवर टाइम बॉण्ड नहीं किया जा सकता है।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कई क्षेत्रों में जो हाईटेंशन लाईनें पूर्व में बिछाई गई थीं वे निष्प्रयोज्य पड़ी हुई हैं, उन पर कोई विद्युत प्रवाहित भी नहीं की जा रही है और वे निष्प्रयोज्य पड़ी हुई हैं। क्या उन लाईनों को हटाने की कोई व्यवस्था सरकार करेगी ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि विद्युत विभाग की लापरवाही से कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या विद्युत विभाग ने कोई मुआवजे की राशि तय की हुई है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें किस प्रकार का मुआवजा तय करते हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, दुर्घटना पर जो वर्तमान में व्यवस्था है, उसके अनुरूप मुआवजा भी दिया जाता है और चूँकि इस प्रश्न से सम्बन्धित माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में हम व्यापक सर्वेक्षण करा रहे हैं और उस सर्वेक्षण में यह विषय भी आ जायेगा कि जिन जगहों पर निष्प्रयोज्य लाईनें हैं और उनका कोई उपयोग नहीं है, उसको स्थानान्तरित किया जाए, यह भी उस सर्वेक्षण के अन्दर उस रिपोर्ट में सम्मिलित हो जायेगा।

*16–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

(भारत सरकार के नियंत्रणाधीन होने के आधार पर निरस्त)

प्रदेश में निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाओं के पूर्ण होने पर उन क्षेत्रों में बिजली की दरों में रियायत

*17–श्री राजेश जुवाँठा–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में लघु जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, उन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद क्या सरकार उन क्षेत्रों में बिजली रियायती दरों पर मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

इसकी आवश्यकता नहीं है।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री राजेश जुवाँठा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत वि0ख0 गदरपुर व रुद्रपुर में ईंट भट्टों की संख्या एवं ईंट भट्टे लगाने के लिए औपचारिकताएं तथा विभाग को लाभ

*18–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड गदरपुर व रुद्रपुर जनपद ऊधमसिंह नगर में कितने ईंट भट्टों द्वारा ईंट उत्पादन किया जा रहा है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि ईंट भट्टे लगाने के लिए विभाग द्वारा कौन–कौन सी औपचारिकताएं पूर्ण करायी जाती हैं एवं ईंट भट्टों से विभाग को क्या लाभ है ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

तहसील गदरपुर–13

तहसील रूद्रपुर–10

ईंट भट्टा लगाने हेतु आवेदक द्वारा प्रपत्र–एम0एम0–8 में अपना आवेदन पत्र निर्धारित आवेदन शुल्क रु0 400/– सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाता है। खनन विभाग द्वारा आवेदन–पत्र के परीक्षणोपरान्त रायल्टी निर्धारित करते हुए आख्या सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। खनन विभाग/प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अनापत्ति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा एक मुश्त अग्रिम निर्धारित धनराशि जमा कराने के उपरान्त 01 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1584/18–11–97–1(216)/93, दिनांक 29 मार्च, 1997 द्वारा ईंट भट्टों हेतु ईंट बनाने की मिट्टी पर पश्चिमी क्षेत्र (जिसमें उत्तराखण्ड राज्य भी सम्मिलित है) हेतु वार्षिक न्यूनतम उत्पादन के आधार पर रु0 8 प्रति हजार ईंट रायल्टी निर्धारित करते हुए शहरी क्षेत्र हेतु 25 लाख ईंट तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 20 लाख ईंट के मानक निर्धारित करते हुए अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने का प्राविधान किया गया था।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–3673/औ0वि0/–1/22–ख/टी0सी0/01 द्वारा उपरोक्त रायल्टी रु0 8 प्रति हजार ईंट से बढ़ाकर रु0 14.40 प्रति हजार कर दी गई है।

ईंट भट्टों में प्रयुक्त होने वाली ईंट बनाने की मिट्टी से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री राजेश जुवांठा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

टिहरी जनपद के अन्तर्गत बछेलीखाल में विद्युत परियोजना को उरेडा के माध्यम से संचालित कराया जाना

*19–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में है कि टिहरी जनपद में नरेन्द्रनगर, विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बछेलीखाल में 02 मेगावाट क्षमता के विन्ड फार्म की स्थापना हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराई गई ? जिसके अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत रु0 10.70 करोड़ है तथा इसकी लैवलाइज्ड उत्पादन मूल्य रु0 5.35 प्रति यूनिट है ?

2–क्या यह सत्य है कि उक्त योजना को उरेडा द्वारा स्वयं संचालित क्यों नही किया जा रहा है ?

3–क्या यह भी सही है कि निजी विकासकर्ता के माध्यम से योजना संचालित किये जाने तथा उसकी मार्केटिंग करने पर उत्पादित विद्युत की दर अत्यधिक महंगी हो जायेगी ?

4–यदि हाँ, तो क्या सरकार इस योजना को निजी विकासकर्ता के माध्यम से न कराकर उरेडा के माध्यम से संचालित एवं विकसित करेगी ?

5–यदि हाँ, तो कब तक ?

6–यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

प्राप्त डी0पी0आर0 का परीक्षण किया जा रहा है। निर्माण एजेन्सी के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधान अनुसार विद्युत दर का निर्धारण उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का क्षेत्राधिकार है।

बिन्दु सं0–02 के अनुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूँ।

टिहरी में अदरक की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु नीति

*20–श्री ओम गोपाल–

क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल में अदरक पर अज्ञात बीमारी लगने के कारण अदरक का उत्पादन एकदम गिर गया है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त के कारण किसान अदरक की खेती करने में उदासीनता दिखा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या किसानों व अदरक की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार कोई नीति बनाने जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारा पूरा नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और अदरक की, मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में जितना अदरक होता होगा उतनी अदरक हमारे अकेले आगरखाल क्षेत्र में होती है, लेकिन विगत कई वर्षों से एक अज्ञात बीमारी ने पूरे अदरक की खेती को आगोश में ले लिया है। इस सम्बन्ध में पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा कई परीक्षण भी कराये गये लेकिन अभी तक उस बीमारी के बारे में पता वे नहीं कर पाये और न लोगों को बता पाये। जिस कारण किसान बहुत परेशान हैं। किसानों द्वारा अदरक की उपज के लिए अदरक का बीज उद्यान विभाग से या अन्य विभाग से जो लोन पर लिया जाता है वे कम उत्पादन के कारण उस लोन को अदा नहीं कर पा रहे हैं। उनकी अदरक की पूरी की पूरी खेती अज्ञात बीमारी के कारण चौपट हो चुकी है। पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस बीमारी के परीक्षण के लिए वहाँ आते हैं और मात्र टी0ए0 और डी0ए0 लेते हैं किन्तु इस बीमारी का अब तक पता नहीं कर पाये हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ इस बीमारी का पता वे कब तक लगा पायेंगे और बीमारी से जनता को अवगत करा पायेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि उत्पादन गिर गया है। जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं वे मैं सम्मानित सदस्यों के संज्ञानार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने नरेन्द्रनगर की बात कही है वैसे सम्पूर्ण टिहरी जनपद में वर्ष, 2003–04 में कुल क्षेत्रफल जिसमें अदरक का उत्पादन होता था वह क्षेत्रफल 152.35 था, उसमें अदरक का उत्पादन होता था वह 1134.41 किलो था इसके साथ–साथ वर्ष, 2004–05 में कुल क्षेत्रफल जिसमें अदरक का उत्पादन होता था, वह क्षेत्रफल 155.29 था और उसमें अदरक का उत्पादन 1156.29 किलो का था। मान्यवर, वर्ष, 2005–06 में क्षेत्रफल भी बढ़ा और उत्पादन भी बढ़ा। जहाँ क्षेत्रफल 329.60 हुआ वहीं उत्पादन अदरक 2433.62 हो गया और वर्ष, 2006–07 में लगभग इतना ही रहा। क्षेत्रफल 329.95 हुआ और उत्पादन 2434.041 है। लेकिन वर्ष, 2007–08 में क्षेत्रफल भी बढ़ा और उत्पादन भी बढ़ा, श्रीमन्, क्षेत्रफल 338.74 और उत्पादन 2485.34 हुआ है।

जहाँ तक आपने नरेन्द्रनगर के विषय में कहा श्रीमन्, नरेन्द्रनगर में कुल क्षेत्रफल का, जिसका उपभोग उत्पादन के लिए किया जाता था, वह कुल 45 था और उत्पादन होता था 337.50 और वर्ष, 2004–05 में लगभग इतना ही रहा 45.90 क्षेत्रफल और 344.25 उत्पादन और इसके बाद वर्ष, 2005–06 में क्षेत्रफल भी बढ़ा और पहुँच गया 100.25 में और उत्पादन में 751.88 और वर्ष, 2006–07 में क्षेत्रफल और उत्पादन में लगभग समानता रही उत्पादन में थोड़ी कमी रही, उत्पादन जहाँ 739.54 हो गया। वहीं श्रीमन्, वर्ष, 2007–08 में ये क्षेत्रफल 100 से बढ़कर 102.55 और उत्पादन 752.40 हुआ। वर्तमान में जो बीमारी

का जिक्र किया गया इस बीमारी के लिए उपचार ही व्यवस्था सम्बन्धित विभाग के पास है श्रीमन्, और कीटों के नियंत्रण के लिए कीटनाशक छिड़कने के लिए सलाह समय-समय पर अधिकारियों द्वारा काश्तकारों को दी जाती है। वर्तमान में वह नियंत्रण में है और ऐसी भयंकर महामारी नहीं है, श्रीमन्, जो हमारे पास जानकारी है।

श्री ओम गोपाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं खुद एक किसान हूँ। हमारा खुद का 30 कुन्तल पर साल का अदरक होता था, जो मात्र 03 कुन्तल हो गया है। मान्यवर, ये आंकड़े कहाँ से मिलते हैं ये समझ में नहीं आता है और मैं व्यवहारिक बता रहा हूँ और प्रैक्टिकल रूप से बता रहा हूँ। वहाँ बहुत महामारी है मान्यवर, ये तो वही तथ्य हो गया जो हम नये-नये सदस्य चुनकर आये थे तो एक कार्यशाला लगी थी। एक कहावत माननीय ऐरी जी से सुनायी थी "लेखा-जोखा ज्यों का त्यों, फिर भी कुनबा डूबा क्यों।" वही बात हो रही है महोदय, लेखे-जोखे में सारे आंकड़े सही बताये जा रहे हैं जबकि हकीकत बहुत दूर है। मान्यवर, आप एक निरीक्षण करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप प्रश्न कीजिये।

श्री ओम गोपाल-

मान्यवर, प्रश्न यह है कि हमारे यहाँ पतनगर की टीम आयी थी। पूरे खेत में स्प्रे की बात जो कह रहे हैं मान्यवर, उन्होंने स्प्रे किया था। जो हमारे खेत के नीचे अदरक दबाया हुआ था उसको खुदवा दिया और पर्वतीय क्षेत्र में असिंचित खेती होती थी और बर्तनों से लाद-लादकर पानी ले गये और उन्होंने स्प्रे किया। वही अदरक पहले सूख गया और जिस पर स्प्रे नहीं कराया गया और वह ठीक-ठाक रहा, पता नहीं कौन सा स्प्रे उन्होंने किया उसकी जानकारी आप ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप प्रश्न कीजिये।

श्री ओम गोपाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आपके पास ये आँकड़े उपलब्ध कराये, क्या वे लोग इस सभी चीज से अवगत हैं कि एक दफ्तर से सारी जानकारी मंगा दी और सरकार को आँकड़े पेश कर दिये। जो कि सरा-सर गलत है और सत्यता से कोसों दूर है। क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

चूँकि यह माननीय सदस्य का अपना निजी अनुभव है और उन्होंने बताया कि उनकी अपनी अदरक की खेती रही है और उन्होंने निजी अनुभव का एक उदाहरण दिया है यह अपने आप में एक गम्भीर बात है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न किया गया है उसका मैं संज्ञान लेता हूँ। जो आँकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उसके अनुरूप 0.04 प्रतिशत उत्पादकता में गिरावट आई है लेकिन यह इतनी न्यून है कि उसको यह कहा जाना कि बिल्कुल उत्पादन गिर गया है, यह उचित नहीं रहेगा। लेकिन माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न किया गया और उन्होंने व्यक्तिगत इस बात का संज्ञान लिया। इसका संज्ञान लेते हुए इस विषय विशेष पर सरकार के द्वारा परीक्षण कराया जायेगा।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि देहरादून में पिछले वर्ष कितना अदरक का उत्पादन हुआ और पिछले वर्ष के अनुपात में यह कुछ कम हुआ है या बढ़ा है ? क्या सरकार इसका क्षेत्रफल बढ़ाने पर विचार कर रही है ? हमारे विधान सभा क्षेत्र गजूल और मादसी इठारना ग्राम पंचायत में अनेकों गाँव में अदरक की फसल चौपट हुई है क्या इसके लिए सरकार किसानों को मुआवजा देगी ?

श्री अध्यक्ष–

जहाँ तक देहरादून में कितना उत्पादन हुआ यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है परन्तु जो अन्य विषय माननीय सदस्य ने उठाए हैं उसके बारे में, किसानों का मामला है अदरक तबाह हो गयी है, फसल तबाह हो गयी है। इसलिए कृपया माननीय मंत्री जी अपना जवाब दे दें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, हम माननीय सदस्य द्वारा उठायी गयी बात का संज्ञान ले लेंगे और इसका परीक्षण करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया मुआवजे के बारे में बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, वर्तमान में मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य किसी कारण से सदन में उपस्थित नहीं हैं लेकिन उनके द्वारा लगाये गये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि कोई माननीय सदस्य उस प्रश्न से सम्बन्धित कोई अनुपूरक उठाना चाहते हैं तो मैं इसकी अनुमति देता हूँ।

तारांकित प्रश्न संख्या–10

*श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जोशीमठ के चांई गाँव में भूस्खलन हो रहा है, रन ऑफ रिवर के कारण। उस गाँव के जो परिवार प्रभावित हैं क्या उनके विस्थापन की व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में स्थित चाँई गाँव में दि0 25–10–2007 को मकानों एवं हाईटेंशन लाईन के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सम्बन्ध में आई0आई0टी0 रुड़की, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून, आपदा न्यूनीकरण व प्रबन्धन केन्द्र, भारतीय भू वैज्ञानिक के विशेषज्ञ दल द्वारा प्रभावित गाँव का सर्वेक्षण एवं अध्ययन किया गया। जिसके उपरान्त प्रभावित परिवारों के लिए जे0पी0 कम्पनी के द्वारा मारवाड़ी नामक स्थान पर अस्थायी आवासीय व्यवस्था हेतु 17 टिन शेड उपलब्ध कराये गये तथा मवेशियों के लिए भी टिन शेड मारवाड़ी में गौपट्टा नामक स्थान पर बनाये गये। रेलवे आरक्षण केन्द्र में भी अस्थाई आवासीय व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, प्रभावितों के पुनर्वास हेतु जोशीमठ के निकट चुनारलोक में 1.082 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध पाई गई है। प्रत्येक परिवार को अधिकतम 250 वर्ग गज भूखण्ड का आवंटन किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, इसी तरह से प्रत्येक परिवार को भवन निर्माण के लिए रु0 3.60 लाख की सहायता तीन समान किस्तों में दी जायेगी ऐसा निर्णय हुआ है और इसके तहत 2 परिवारों को पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा 5.51 लाख रुपये का भुगतान किया गया है और इसी प्रकार मैसर्स जे0पी0 पॉवर वेन्चर लिमिटेड द्वारा प्रभावित ग्रामवासियों को पुनर्वासित एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सामाजिक सहभागिता की दृष्टि से 80 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है जो जिलाधिकारी के पास उपलब्ध हो चुकी है और सरकार इस विषय पर बेहद गम्भीर है कि तत्काल इनकी पुनर्वास की व्यवस्था की जाये।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी के प्रश्न से मेरा प्रश्न जल विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित है। मान्यवर, हमारे यहाँ कोटेश्वर डैम बन रहा है।

श्री अध्यक्ष–

इसी प्रश्न से जुड़ा होना चाहिए।

---

*मा0 सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान के अनुपस्थित होने पर।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, इसी से जुड़ा प्रश्न है, तीन सुरंगें ग्राम सभा सैंण और सोटियाल गाँव के नीचे–नीचे बहुत लम्बी–लम्बी सुरंगें खोदी हैं, ऊपर के पूरे गाँव वालों की खेती चौपट हो गई है, उनके पास सिंचित पानी नहीं है, जमीन में दरारें पड़ गई हैं अभी तक तीन साल से कोई खेती नहीं हुई है। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उन लोगों के लिए क्या योजना बनाई है, जिनकी पूरी फसल चौपट हो गई है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लेंगे, वैसे जहाँ तक इस परियोजना का प्रश्न है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत गाँव का जो उल्लेख इस प्रश्न में किया गया है, तो वह सुरंग के कारण उसका भूस्खलन नहीं हुआ है, जाँच रिपोर्ट इस बात को इंगित कर रही है और स्पष्ट से जाँच रिपोर्ट हुई है और जिस परियोजना के सम्बन्ध में आपने ध्यान आकर्षित किया है, इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, मैं माननीय विधायक जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न उठाया। मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न यह है कि जो जल विद्युत परियोजनायें उत्तराखण्ड में बन रही हैं, इसमें क्या यह शासन का दायित्व नहीं है यह देखने का कि जो भूमि धँसाव हो रहा है इसके मूल कारण क्या है ? जहाँ तक विस्थापन का काम है गाँव वालों को जमीन, मकान आदि चीजे तो दी जायेंगी लेकिन जब इतने सारे जल विद्युत परियोजनायें पूरे उत्तराखण्ड में प्रस्तावित हैं और एक संकट हमारे सामने आ चुका है कि किसी कारण से उस स्थान पर भूमि धंस रही है तो सरकार का पहला दायित्व यही बनता है कि इसके कारण ढूँढे, कि अगर गाँव धंस रहा है तो क्यों धंस रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न करें।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, प्रश्न यही है कि क्या सरकार ने इस विषय पर कुछ गम्भीरता से विचारा है ? और दूसरा प्रश्न है कि इतनी सारी परियोजनायें हमने प्रस्तावित की है। आगे बनने वाली प्रस्तावित परियोजना में क्या उन चीजों पर कोई रक्षात्मक कार्यवाही की जा रही है ताकि अन्यत्र क्षेत्रों में यह अन्य स्थानों पर इस प्रकार का धंसाव न हो, क्या इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जैसा कि मैंने अवगत कराया कि इस परियोजना में आई शिकायतों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण संस्थानों से जाँच कराई गई है। आई0आई0टी0 रुड़की, वाडिया

हिमालयन भू वैज्ञानिक संस्थान, देहरादून, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, भारतीय भू-वैज्ञानिक के विशेषज्ञ दल द्वारा प्रभावित गाँव का सर्वेक्षण और अध्ययन किया गया है और इस अध्ययन की जो रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु इंगित किये हैं। मान्यवर, जिसका पहला बिन्दु है चाँई गाँव क्षेत्र में मलबे का ढेर है तथा इस भूमि में जुलाई, 2007 में हल्की दरारें देखी गई थीं। वर्षा के दौरान इस दरारों में वृद्धि हुई है, जिससे गाँव के ऊपरी क्षेत्र में डिटेचमेंट बन गया। दूसरा बिन्दु है भूमि पर पड़ी दरारों के कारण भू-धँसाव एवं भूस्खलन से धारमंदर व रौलधार गधेरों/नालों के मध्य का क्षेत्र अधिक प्रभावित हुआ। तीसरा बिन्दु है इस क्षेत्र में स्थित भूस्खलन अवशेषों से स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की घटनायें पूर्व में भी होती आई है। वर्ष, 1963 में किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शों व क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि धारमंदर व रौलधार गधेरों का जल प्रवाह स्वरूप वर्ष, 1963 से वर्तमान के मध्य परिवर्तित हुआ है। फलस्वरूप धारमंदर गधेरे के भूमिगत जल प्रवाह रौलाधार ओर तक का कटाव। चौथा बिन्दु है रौलधार गधेरे द्वारा दाहिने ओर तट का कटाव पांचवा बिन्दु है दिनांक 21-10-2007 को भारी वर्षा के कारण भूस्खलन/भूधंसाव की स्थिति उत्पन्न हुई। छठा बिन्दु है सर्वेक्षण एवं जाँच रिपोर्टों में विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना की जल प्रवाह प्रणाली से जल रिसाव के सीधे संकेत नहीं मिले हैं।

स्पष्ट है कि विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना की भूमिगत सुरंग के कारण वर्णित गाँव में जल रिसाव/भूधंसाव नहीं होने प्रतीत होते हैं। मान्यवर, यह सर्वेक्षण दल के विशेषज्ञों की रिपोर्ट है। जिनके बिन्दुओं को मैं सदन के संज्ञान में लाया हूँ। जो विशेष माननीय सदस्यगणों द्वारा उठाया जा रहा है। इस विषय पर सरकार बहुत गम्भीर है और बहुत सोच समझकर ही सरकार कोई निर्णय, नयी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए लेगी।

श्री केदार सिंह फोनिया-

मान्यवर, इसी विषय पर खबर यह है कि जो सर्वेक्षण दल भेजे गये थे, वे जे0पी0 एसोसिएट के गेस्ट हाउस (रेस्टोरेंट) में उनकी मेहमानदारी पर रहे और उन्हीं के संरक्षण में रहे। क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सर्वेक्षण दल की जो रिपोर्ट है, सर्वेक्षण दल की जो खोज है वह जे0पी0 की मेहमानदारी से प्रभावित न हो ? क्या इस प्रकार की कोई जानकारी शासन को थी या उससे बेखबर रहा शासन ? क्या उस प्रभाव से बचने का कोई प्रयास किया गया सरकार द्वारा ? इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी बता दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री प्रकाश पन्त-

श्रीमन्, छः बिन्दुओं पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। यह बहुत विस्तृत है, इस रिपोर्ट पर शंका करना उचित नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं तो इस रिपोर्ट का पुनः अध्ययन हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा कर लिया जायेगा और जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उससे अवगत करा दिया जायेगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि चॉई गाँव का तो ज्योग्राफिकल सर्वे कराया और उस रिपोर्ट के आधार पर कहना है कि वहाँ पर सुरंगों के कारण किसी भी तरह का भूस्खलन नहीं हो रहा है। मान्यवर, जनपद पिथारौगढ़ में धौली गंगा के अन्तर्गत पल्ला सांकुरी एवं एलापुर क्षेत्र में गाँव के ऊपर से जो सुरंगें गुजरती हैं, उसमें जो प्रेशर होल्स बने हुए हैं, उससे पानी का रिसाव होता है। इससे नीचे की आबादी में जितने भवन बने हुए हैं उनमें दरार पड़ गयी है। क्या वहाँ पर भी सरकार द्वारा ज्योग्राफिकल सर्वे कराया गया है या नहीं ? यदि नहीं तो क्या सरकार वहाँ पर सर्वे करायेगी ? मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि जो बड़े बाँध बनते थे, चूँकि इससे विस्थापन का खतरा था, इसलिए रन ऑफ रिवर के तहत इन परियोजनाओं को बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन आज चाहे वह पहली योजना हो या फलोन्डा हो, कोटेश्वर हो, इन तमाम सारी जगहों पर समस्याएं उठ रही हैं, जो बाद में जन आंदोलन का रूप ले रही है और जहाँ हम एक ओर पूरे प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें तमाम सारी विद्युत परियोजनाएं हैं.....।

श्री अध्यक्ष–

कृपया मूल प्रश्न पर आयें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, क्या पूरे प्रदेश में इन सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए, जो तमाम सारी दिक्कतें आज आ रही हैं। इनका संज्ञान लेते हुए इसका व्यापक सर्वेक्षण कराकर साथ ही साथ जिनकी ज्योग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट पहले से है, और योजना शुरू होने की तारीख पर वह रिपोर्ट न बनाने के बजाय पहले ही सारी सर्वे रिपोर्ट बनाते हैं। क्या सरकार इस पर कोई स्पष्ट नीति बनाने पर विचार करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, किसी भी परियोजना को स्थापित करने से पूर्व व्यापक सर्वेक्षण होता है, इसका भू–सर्वेक्षण होता है। जितने भी प्रकार के सर्वेक्षण प्रस्तावित किये जाते हैं वे सभी प्रकार के सर्वेक्षण होते हैं। मान्यवर, उसके पश्चात् ही कोई परियोजना स्थापित होती है और जो प्रकरण धौली गंगा परियोजना से सम्बन्धित माननीय सदस्य ने उठाया है, उसका परीक्षण करा लेंगे और यदि कोई शिकायत होगी तो उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नत्थी–क, तारांकित प्रश्न संख्या–1 में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अभी यह प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है।

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मनेरी भाली फेज–2 में सुरंग बनने से ग्राम दिवली, डुँगी तथा पेरू के जल स्रोत सूख चुके हैं। सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ऐसा संज्ञान में नहीं आया है। माननीय सदस्य ने अवगत कराया है तो हम इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पर कहना चाहता हूँ, हालांकि ऐसा कोई विषय संज्ञान में नहीं आया होगा लेकिन ज्योग्राफिकल सर्वे की रिपोर्ट में हमारे साईटिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि इन सुरंगों में जो ब्लास्टिंग हो रही है और जो हैवी ड्रिलिंग हो रही है, उसकी वजह से हमारी गाँव सभा के प्राकृतिक स्रोत निरन्तर सूखते चले जा रहे हैं। यह पूरे नेशनल और इन्टरनेशनल साईटिस्ट्स की प्रमुख रिपोर्ट में से एक है। इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। क्या सरकार इस पर कोई नीति बनाएगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने किसी विशेष रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया है। परन्तु यह विषय अपने आप में अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, पानी के स्रोत सूख गये हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय का परीक्षण करा लेंगे।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर,.........................

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है और कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि प्रोजेक्ट तैयार होने से पहले सर्वेक्षण होता है। मान्यवर, हमारे यहाँ जो कोटेश्वर डैम परियोजना चल रही है, उसमें सर्वेक्षण किया उन्होंने गैरों की सेरा और पैनास का, जहाँ लोग विस्थापित करें, लेकिन सुरंगें बना दी सैंण में सौटियाल गाँव में, जो कि न तो विस्थापन में लिये गये और न ही उनका सर्वेक्षण किया गया। सुरंगें अन्दर ही अन्दर खुदवा दी और वहाँ के लोगों को आज न तो पीने का पानी मुहैया हो रहा है और उनकी जमीनों पर भी दरारें पड़ गयी हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसको विशेष रूप से दिखवा लीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आपका संरक्षण है लेकिन यह प्रश्न विष्णुप्रयाग से धौली गंगा पहुँच गया है।

श्री अध्यक्ष–

फिर भी इसको देख लीजिएगा।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तारांकित प्रश्न संख्या–1 में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, नत्थी–क, तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यदि अनुमति हो तो पहले मूल प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत कर देता हूँ, उसके बाद माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, प्रस्तुत कर दीजिए।

तारांकित प्रश्न संख्या–1

नियम–40(2) के अन्तर्गत स्थगित

*श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मार्च, 2007 से अब तक जो 2045 उद्योग स्थापित हुए हैं, उनमें से पहाड़ी क्षेत्र में कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं ?

---

*मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह के अनुपस्थित होने पर

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मार्च, 2007 के पश्चात् जो स्थापित उद्योग हैं, उसमें पौड़ी में 155 उद्योग लगे, जिनमें पूँजी निवेश हुआ 2.30 करोड़ रुपये का, अल्मोड़ा में 158 उद्योग लगे, जिनमें 0.90 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश हुआ, टिहरी में 115 उद्योग लगे जिनमें 1.25 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ, चमोली में 65 उद्योग लगे, जिनमें 0.55 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश हुआ, रुद्रप्रयाग में 43 उद्योग लगे, जिनमें 0.54 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश हुआ, उत्तरकाशी में 53 उद्योग लगे, जिनमें 0.75 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश हुआ, नैनीताल में 164 उद्योग लगे, जिनमें 11.56 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश हुआ, पिथौरागढ़ में 92 उद्योग लगे, जिनमें 2.13 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश हुआ, बागेश्वर में 51 उद्योग लगे, जिनमें 1.02 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश हुआ, चम्पावत में 49 उद्योग लगे, जिनमें 0.71 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश हुआ।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी जिले में जो उद्योग स्थापित हैं, इसी प्रकार अन्य जनपदों के बारे में भी बताया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह उद्योग जिसमें 2045 उद्योगपतियों द्वारा 4218.30 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जो उद्योग स्थापित किये गये हैं, इन उद्योगों का प्रकार क्या है ? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार कोई उद्योग स्थापित हुआ है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह सभी उद्योग सूक्ष्म, लघु मध्यम तथा वृहद स्तर के हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसकी सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दीजिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इन उद्योगों की सूची के साथ–साथ कितने लोगों को इन उद्योगों में रोजगार दिया गया है, इसकी भी सूची क्या माननीय मंत्री जी उपलब्ध करायेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जी हाँ, प्रत्येक जनपद में कितने सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहद उद्योग स्थापित हुए तथा इन उद्योगों में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, इसकी विस्तृत सूची माननीय सदस्यों को दे दी जायेगी।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि टिहरी जनपद में 115 उद्योग लगे हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि इन उद्योगों की परिभाषा क्या है, क्या विक्रम

खरीदना या आटा चक्की लगाने को उद्योग माना जा सकता है, क्या इन उद्योगों में से कोई ऐसा उद्योग है, जिसके लिए अलग राज्य की अवधारणा बनाई गई थी, जिसके लिए आन्दोलन किया गया था ? किसी ने आटा चक्की लगा ली या उद्योग विभाग से टैक्सी खरीद ली, यह तो पहले भी होता रहा है। हमारे यहाँ कोई उद्योग नहीं लगा है तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी सूची देंगे कि कौन सा उद्योग किस क्षेत्र में, किस ब्लॉक में और किस गाँव में लगा है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने अवगत करा दिया है कि वह सूची उपलब्ध करा देंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रत्येक जनपद की विस्तृत सूची मेरे कक्ष में रखी हुई है, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको यह सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन उद्योगों में कितने प्रतिशत परमानेन्ट नौकरी दी गई है और कितने प्रतिशत ठेकेदारी प्रथा में नौकरियां दी गई हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मेरे पास प्रत्येक जनपद का ब्यौरा है , वह मैं उपलब्ध करा दूँगा, यदि पर्टीकुलर नैनीताल का कहेंगे तो मैं बता दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को विधान सभा क्षेत्र का ब्यौरा दे दीजिये।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र का बताना तो मुश्किल है, मेरे पास जनपदवार ब्यौरा उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष–

किसी एक जनपद का बता दीजिये।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रतिशत को निकालना पड़ेगा, मैं एक–एक कर पढ़ देता हूँ। मान्यवर, नैनीताल में जो उद्योग स्थापित हुए हैं, उसमें मैसर्स नैनीताल मेटल, उजाला नगर, बरेली रोड, हल्द्वानी जो कि अल्पसंख्यक श्रेणी का है कम्प्रेसिंग ऑफ मैटेलिक वेस्ट का है, इसमें 6 रोजगार दिये गये हैं, मैसर्स मोबाइल हाउस, पटेल चौक, हल्द्वानी, इसमें दो रोजगार दिये गये हैं। मैसर्स बुढलाकोटी वस्त्र, इसमें दो रोजगार दिये गये हैं, यह उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसकी सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दीजिये, जो माननीय सदस्य देखना चाहते हैं, उन्हें दिखवा दीजिये।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन उद्योगों में सरकार ने अपने वायदे के अनुरूप 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय बेरोजगारों को देने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है या नहीं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय का कड़ाई से अनुपालन करवाया जा रहा है कि प्रत्येक उद्योग में कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार, स्थानीय बेरोजगार नवयुवकों को दिया जाय।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि 145 जो पौड़ी गढ़वाल में उद्योग खुले हैं इसमें कितने वृहद श्रेणी के हैं और कितने कुटीर उद्योग के रूप में हैं और कितने अन्य श्रेणी के उद्योग हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह सूची मैं माननीय सदस्या को उपलब्ध करा दूँगा। इसमें पूरा विस्तृत विवरण है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, संख्या कितनी है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसका अलग–अलग ब्रेकअप नहीं किया गया है। मैं इसकी सूची उपलब्ध करा दूँगा।

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, जिन उद्योगों की सूची माननीय मंत्री जी ने गिनाई है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी इन उद्योगों में कार्यरत हैं, क्या उनका ई0पी0एफ0 कटता है और अब तक कितनों का ई0पी0एफ0 काटा गया है इन उद्योगों में ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इन जितने भी उद्योगों में नियमित रोजगार दिया जाता है, जिसकी बाध्यता प्रत्येक उद्योग में की गयी है कि प्रत्येक उद्योग 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करायेगा तो प्रत्येक में ई0पी0एफ0 को भी सुनिश्चित कराया जाय, यह इनकी बाध्यता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी सुनिश्चित कर लें कि जो कर्मचारी इन–इन उद्योगों में काम करें, उनका ई0पी0एफ0 नियमानुसार कटना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आउट सोर्सिंग के माध्यम से भी जो रखे गये हैं मजदूर, उनका भी ई0पी0एफ0 काटने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ऐसे निर्देश दिये गये हैं। यदि कोई प्रकरण आपके संज्ञान में हो तो उसे अवगत करा दें। सरकार इसका कड़ाई से अनुपालन करा रही है।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, अभी तक माननीय मंत्री जी द्वारा जो जवाब दिया गया उसमें सूक्ष्म, लघु और वृहद उद्योगों की श्रेणी में स्थापित उद्योगों के बारे में बात की गई है। हम सब लोग यह समझते हैं कि किस प्रकार की श्रेणी के उद्योग आज पहाड़ों में स्थापित हुए हैं। कोई आटा चक्की ले लेता है, कोई बस तो कोई टैक्सी तो वो उद्योग की श्रेणी में शायद नहीं आ पाते। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बड़े उद्योगों की श्रेणी में जिनको हम स्वीकार करते हैं कि ये उद्योग पहाड़ में स्थापित हुए हैं, उन उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रही है और जिन उद्योगों में पहाड़ी क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके ऐसे उद्योग यदि पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित हो तो उनको सरकार क्या प्रोत्साहन देगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय पर निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया और मैं सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि सरकार इस विषय पर गम्भीर है और यह भी बात सच है कि पर्वतीय क्षेत्र में जितने भी उद्योग स्थापित हुए हैं, जो भी सूचना रखी गयी है, ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की सूची रखी गयी है और यह भी सच है कि इसमें जो मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं या वृहद उद्योग हैं, उनकी सूची काफी न्यून है और इसको सरकार ने बहुत गम्भीरता से लिया है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने एक अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 को निर्गत की जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि पर्वतीय क्षेत्र में जो भी उद्योग स्थापित किया जायेगा उस उद्योग के लिए अतिरिक्त सुविधाएं सरकार उपलब्ध करायेगी और इसके तहत श्रीमन्, जो उद्योग स्थापित होंगे उनको वर्गीकृत किया था जिसमें निम्नानुसार वर्गीकरण हुआ श्रीमन्, हरित तथा नारंगी श्रेणी के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्योग, दूसरा है भारत

सरकार द्वारा राज्य के लिए घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित थ्रस्ट सैक्टर उद्योगों में शामिल गतिविधियाँ। प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियाँ तथा कुक्कुट पालन तथा पर्यटन गतिविधियाँ, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज 2007 में सम्मिलित सेवा क्षेत्र व अन्य सेक्टर की निम्न गतिविधियों को भी इसके अन्तर्गत लिया गया है। सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ जिसमें होटल, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल तथा रोप–वे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओंयुक्त नर्सिंग होम, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यथा होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड फूड क्राफ्ट, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, नागरिक विमानन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाइनिंग तथा औद्योगिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण, जैव प्रौद्योगिकी, इसके साथ–साथ श्रीमन्, संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी, कोल्ड स्टोरेज आदि गतिविधियाँ, पैट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदाम हैं, इससे जुड़े जितने भी उद्योग हैं वह अगर पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित होंगे तो उसमें विशेष प्रोत्साहन दिये जाने की बात की गई है। इसको प्रारम्भ किया जाना है।

इसके साथ–साथ दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों का वर्गीकरण भी किया गया, इसके आधार पर इस नीति में एकीकृत औद्योगिक वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की अनुमन्यता के लिए योजना में आच्छादित पर्वतीय क्षेत्रों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी–ए में प्रदेश के सीमान्त एवं सुदूरवर्ती जनपद तथा उन जनपदों को सम्मिलित कर बनाये गये नवसृजित जनपद, जिनमें जनपद पिथौरागढ, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग का सम्पूर्ण भू–भाग सम्मिलित है, श्रेणी–बी० में जनपद पौड़ी गढ़वाल–टिहरी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर का सम्पूर्ण भू–भाग तथा देहरादून के विकास नगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकास खण्ड को छोड़कर, जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकास खण्ड को छोडकर इन जनपदों को अन्य सभी पर्वतीय क्षेत्र बहुल विकास खण्डों को भी इस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। इस योजना की वैधता अवधि दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त होकर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक के लिए घोषित कर दी गई है। इस प्रकार यह दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से प्रारम्भ होने वाला है। माननीय सदस्यों ने जो यहाँ पर आशंका व्यक्त की और जो शंका जताई कि पर्वतीय क्षेत्र की जो सूची हमारे माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत की गई, उस सूची में जो उद्योग स्थापित किये गये हैं, उसमें वृहद तरीके के उद्योग स्थापित नहीं हो पाये हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने इस विषय को गम्भीरता से लिया और उसके पश्चात् अधिसूचना के माध्यम से यह नीति प्रख्यापित की गई जिसके माध्यम से अब उम्मीद बढ़ी है कि पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग स्थापित होंगे और इससे रोजगार की सम्भावनायें व्यापक स्तर पर बढ़ेंगी। इस विशेष एकीकृत योजना के तहत स्थापित उद्योगों को दी जाने वाली सुविधायें हैं वह एक तो भूमि संसाधन विकास प्रोत्साहन योजना है। इसके तहत श्रीमन्, राज्य सरकार द्वारा विकसित मिनी औद्योगिक आस्थानों / क्षेत्रों में वांछित अवस्थापना एवं सामान्य सुविधाओं, विद्युत, सड़क, जलापूर्ति, नालियों व सम्पर्क मार्गों के निर्माण का कार्य पूर्ण कर विनिर्माणक / उत्पादक क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को भूमि का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

राज्य सरकार/निजी उद्यमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में भूखण्ड लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर लीज डीड/सेल डीड के निबन्धन में स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्णतया छूट दी जायेगी। यदि कोई उद्यमी निजी औद्योगिक आस्थान/मेगा प्रोजैक्ट/विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से बाहर सीधे स्वयं भूमि क्रय करता है तो भूमि के क्रय विलेख पत्र के निबन्धन में स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्ण तथा छूट दी जायेगी। उद्यमी द्वारा क्रय की गई भूमि के भू–उपयोग के परिवर्तन की प्रक्रिया सुगम एवं सरल बनाई जायेगी। औद्योगिक आस्थानों के रख–रखाव हेतु सहकारी समितियों के गठन के लिए उद्यमियों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा। यदि आस्थान के रख–रखाव हेतु आस्थान के उद्यमी सहकारी समिति का गठन करते हैं, तो समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये अंशपूंजी के अनुपात पाँच गुना में रु0 15 लाख तक की धनराशि एकमुश्त ग्रांट इन एड के रूप में दी जायेगी, जिसको समिति द्वारा बैंक में फिक्स डिपोजिट किया जायेगा और इस प्रकार किये गये फिक्स डिपोजिट पर अर्जित होने वाले ब्याज की धनराशि का उपयोग आस्थान के रख–रखाव हेतु किया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्र में निजी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा 2 एकड़ होगी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित रूप से अधिसूचित बंजर असिंचित भूमि और अन्य उपलब्ध स्थानों पर निजी सार्वजनिक सहभागिता में निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों के आस्थान तथा मेगा प्रोजैक्ट की स्थापना में अवस्थापना सुविधाएं जैसे विद्युत व्यवस्था, जलापूर्ति, सड़क सम्पर्क मार्ग, नालियों के निर्माण आदि में होने वाले व्यय की 50 प्रतिशत धनराशि, अधिकतम रु0 50 लाख अनुदान के रूप में औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों को अनुदान रूप में दी जायेगी।

विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1644/VII/98–उद्योग/2005, दिनांक 13 जून, 2005 से दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों के लिए क्रियान्वित विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता योजना में संविलीन करते हुए दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् स्थापित होने वाले नये पात्र उद्यमों को कार्यशाला भवन के निर्माण, मशीनरी, संयंत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूँजी निवेश पर निम्नवत् विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

(1) श्रेणी ए के जनपद/क्षेत्र में कुल अचल पूँजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम 30 लाख रुपये।

(2) श्रेणी बी के जनपद/क्षेत्र में कुल अचल पूँजी निवेश का 20 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 25 लाख। इसके साथ ही विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना भी लागू की गई है जिसमें श्रेणी ए के जो जनपद हैं उनमें वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था

से लिये गये ऋण पर देय समान्य ब्याज की कुल दर 6 प्रतिशत की सीमा तक अधिकतम रु0 पाँच लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष तथा श्रेणी बी के जनपदों/क्षेत्रों में सामान्य ब्याज की कुल दर 5 प्रतिशत की सीमा तक अधिकतम 03 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता के रूप में दी जायेगी एवं विनिर्माणक/उत्पादक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के सभी उद्यमों/चिन्हित गतिविधियों को ब्याज प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगी।

मान्यवर, एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि नये उद्यमियों को विद्युत बिलों में छूट। सभी अनुमन्य गतिविधियों के लिए 10 वर्ष तक विनिर्माणक उद्यमों में उत्पादन एवं कार्यालय तथा सेवा क्षेत्र सम्बन्धी उद्यमों में सेवा इकाई एवं कार्यालय में खपत होने वाली विद्युत के बिलों के भुगतान में 100 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जा सकती है। होटल, मोटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, स्टील सीलिंग, मिल्स, इलैक्ट्रिक, फर्निस तथा अन्य इकाईयाँ जो अधिक बिजली खपत करती हैं, इस छूट की पात्र नहीं होंगी। इस प्राविधान के अन्तर्गत फल संरक्षण एवं जड़ी-बूटी आधारित उद्योगों एवं स्थानीय उत्पादनों को महत्व दिया जायेगा। स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा प्रदूषण रहित उद्योगों को आकर्षित किया जायेगा। इसके साथ-साथ विपणन की भी समस्या रहती है इसको दृष्टिगत रखते हुए श्रीमन्, विनिर्माणक/उत्पादन उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत सभी अनुमन्य गतिविधियों में देय मूल्य वर्धित कर की पूर्ति श्रेणी-ए के जनपदों में कुल कर देयता के 90 प्रतिशत तथा श्रेणी-बी के जनपदों में 75 प्रतिशत की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।

मान्यवर, उद्योगों की स्थापना हेतु एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो है विशेष राज्य परिवहन उपादान सहायता। जिसके अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादित कच्चे माल के आन्तरिक परिवहन में होने वाली लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए ऐसी इकाईयों को उनके कुल सालाना बिक्री के आधार पर एक श्रेणी के जनपदों में वार्षिक टर्न ओवर का पाँच प्रतिशत एवं बी श्रेणी के जनपदों में 3 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जायेगी। इकाईयों के सालाना टर्न ओवर की पुष्टि व्यापार कर विभाग में दाखिल रिटर्न तथा सत्यापन रिपोर्ट से की जायेगी। इसके साथ ही मेगा प्रोजैक्ट्स की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए मेगा प्रोजैक्ट्स हेतु अचल पूँजी निवेश की न्यूनतम सीमा रु0 5 करोड़ निर्धारित करते हुए केवल अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा इस मेगा प्रोजैक्ट्स को राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाएं अनुमन्य होंगी।

इसके साथ ही उद्यमिता कौशल में वृद्धि एवं तकनीकी प्रशिक्षण के लिए स्थानीय लोगों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन, साथ ही विपणन की व्यवस्था इस नीति में स्थापित की गयी। श्रीमन्, जो उद्योग वहाँ उत्पादित करेंगे अपने

उत्पाद, उनका विपणन भी बेहतर तरीके से हो, ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को विपणन की समस्या से दो–चार न होना पड़े इस बारे में चिन्ता इस नीति में की गयी है। इसके तहत उद्यमियों को उत्पाद के विपणन संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय, प्रदेश तथा जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रमुख मेले, प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने के लिए निःशुल्क अथवा रियायतीदर पर स्टाल उपलब्ध कराये जायेंगे। श्रीमन्, प्रदेश के शिल्पियों उद्यमियों को अपने उत्पाद के विपणन हेतु राष्ट्रीय, प्रदेशीय और जिला स्तरीय मेलों पर प्रतिभाग करने हेतु जनपद से बाहर यात्रा करने पर यात्री किराये भाड़े की प्रतिपूर्ति तथा माल परिवहन में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय एवं सुदूर क्षेत्रों में स्थापित उत्पाद औद्योगिक इकाईयों को राजकीय क्रय के मूल्य वरीयता के 10 प्रतिशत मूल्य वरीयता की सुविधा प्रदान की जायेगी। इस प्रकार से श्रीमन्, ये जो नीति प्रख्यापित की गयी है दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से लागू होनी है। इस नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्योगपतियों के मन से ये संशय हट जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग स्थापित नहीं हो पायेंगे।

इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र में भी उद्योग स्थापित हों। लघु, सूक्ष्म, वृहद और मध्यम आकार के उद्योग स्थापित हों और उसके लिए सरकार पूरी तरह चिन्तित है। उसी चिन्ता का प्रतिफल है कि जो नीति हमने प्रख्यापित की है उससे उत्तराखण्ड के इस सुदूरवर्ती राज्य में उद्योग स्थापित होकर यहाँ के लोगों को भी रोजगार इस माध्यम से भी उपलब्ध हो पायेंगे, मान्यवर।

श्री सुरेश चन्द जैन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो प्रदेश के 2045 उद्योगपतियों द्वारा रु0 4218.30 करोड़ का पूँजी निवेश दर्शाया है। यह दर्शाया है मार्च, 2007 के बाद। क्या मार्च, 2007 के बाद नये उद्योगपतियों द्वारा जमीन खरीद कर रजिस्ट्रेशन कराकर ये निवेश किया गया है या ये पहले से ही जो उद्योग लग रहे थे उनके द्वारा ये निवेश किया गया है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मार्च, 2007 के पश्चात् जो इकाईयाँ स्थापित हुई हैं उनमें मार्च, 2007 में संख्या 17, अप्रैल में संख्या 11, मई में संख्या 7, जून में संख्या 11, जुलाई में संख्या 07, अगस्त में 07, सितम्बर में संख्या 07, अक्टूबर में संख्या 12, नवम्बर में संख्या 13, दिसम्बर में संख्या 03 और जनवरी, 08 में 13 जो कुल 8 इकाईयाँ स्थापित हुई हैं और जिनके माध्यम से रुपये 8019.43 करोड़ का पूँजी निवेश प्रस्तावित किया गया है। इसी भाँति इस मध्य में 799 उद्यमियों के द्वारा रु0 892.90 करोड़ का पूँजी निवेश है ये सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम प्रकार के उद्यमी हैं। ये जो मैंने संख्या दी वह वृहद उद्योग हैं। इनका, प्रतिमाह के हिसाब से कितना पूंजी निवेश किया इसके बारे में बताया।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ। आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए सरकार से जानना चाहूँगा कि मैदानी क्षेत्र में जो वृहद एवं मध्यम उद्योग लगाये जा रहे हैं या जिनकी स्वीकृति दी जा रही है। भविष्य में क्या पर्वतीय क्षेत्र में उन्हें एसिलरी यूनिट लगाने हेतु का कोई अनिवार्यता की गयी है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह नीति जो प्रख्यापित की गयी है, इस नीति के आधार पर जो प्रोत्साहन दिया गया है उस प्रोत्साहन को देखते हुए औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए और राज्य के सभी क्षेत्रों में बराबर औद्योगिक के क्षेत्र में रोजगार सम्भव हो पाये इसको देखते हुए दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की ये नीति प्रख्यापित की गयी है। श्रीमन्, इसमें राज्य के अन्दर रहने वाले जितने भी उद्योगपति हैं वे सम्मिलित हो सकते हैं और अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं, इस नीति के तहत प्राप्त लाभ को प्राप्त कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की यह जिज्ञासा थी कि जो मैदानी क्षेत्र में उद्योग स्थापित होंगे क्या उनकी एसिलरी यूनिट, जो पर्वतीय क्षेत्र में लग सकती है, उनके वहाँ के प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए क्या ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि एसिलरी यूनिट वहाँ लगाए, इसके लिए कोई बाध्यता हो सकती है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो लगाना चाहते हैं तो वे सादर आमंत्रित हैं।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि ''ए'' श्रेणी में कौन–कौन से जनपद एवं विकास खण्ड चयनित किये गये हैं तथा ''बी'' श्रेणी में कौन–कौन से जनपद एवं विकास खण्ड हैं इसके आलावा जिला अल्मोड़ा में कौन–कौन से विकास खण्ड औद्योगिक क्षेत्र के रूप में चयनित किये गये हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसको पूर्व में सदन को अवगत कराया गया था। लगता है माननीय सदस्य जी ने ध्यान नहीं दिया। श्रीमन्, इसको दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ''एक'' श्रेणी के अन्तर्गत प्रदेश के सीमान्त एवं सुदूरवर्ती जनपद तथा उन जनपदों को सम्मिलित कर बनाये गये नव सृजित जनपद जिनमें पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चम्पावत, रुद्रप्रयाग का सम्पूर्ण भू–भाग सम्मिलित है और ''बी'' श्रेणी के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर का सम्पूर्ण भू–भाग तथा देहरादून के विकास नगर, डोईवाला सहसपुर तथा रायपुर विकास खण्ड को छोड़कर व जनपद

नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर, विकास खण्ड को छोड़कर इन जनपदों के अन्य सभी पर्वतीय क्षेत्र बहुल विकास खण्ड भी इस श्रेणी में सम्मिलित हैं।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा के कौन–कौन से विकास खण्ड सम्मिलित हैं?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जैसाकि हमने कहा कि सम्पूर्ण क्षेत्र ले लिया है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल अब समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन देहरादून अन्तर्गत रेसकोर्स के जीर्ण–शीर्ण आवासों की मरम्मत का कार्य

1–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री अवगत हैं कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय आफिसर्स कालोनी, रेसकोर्स अन्तर्गत स्थित चतुर्थ श्रेणी (टाईप–1) कर्मचारियों के आवास जीण–शीर्ण अवस्था में हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उन समस्त आवासों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो उन समस्त आवासों का मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0(अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ।

आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून स्थित सहस्त्रधारा रोड़ में कूड़ा कचरा डालने के स्थान को अन्यत्र स्थापित किये जाने की माँग

2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून में शहर का कूड़ा कचरा विगत कई वर्षों से डालने के विरोध में स्थानीय जनता ने धरना प्रदर्शन व ज्ञापन दिये हैं ?

क्या यह सत्य है कि इस कूड़े–कचरे से हिलव्यू अपार्टमेन्ट, द्रोण ईस्ट पार्क तथा आश्रम वासियों एवं अन्य निवासियों को इसकी गन्दगी व दुर्गन्ध से वहाँ रहना मुश्किल हो रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त स्थान से कचरा उठवाकर कचरा डालने के स्थान को अन्यत्र स्थापित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0(अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

डांडा लखौड सहस्त्रधारा रोड में 4.047 हैक्टेयर भूमि पर नगर निगम, देहरादून द्वारा विगत कई वर्षों से कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है, जिसका कभी–कभी लोगों द्वारा विरोध किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार स्थित सिडकुल को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 से जोड़ने वाले स्वीकृत पुल को आर0सी0सी0 के स्थान पर लोहे का बनाये जाने का कारण एवं स्वीकृत धन का ब्यौरा

3–श्री शहजाद–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार स्थित सिडकुल को राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 से जोड़ने के लिए बनाये गये मार्ग पर पड़ने वाली ऊपरी गंग नहर नई एवं पुरानी पर स्वीकृत पुल की प्रथम स्वीकृति आर0सी0सी0 की थी ?

यदि हाँ, तो स्वीकृत पुल को आर0सी0सी0 के स्थान पर लोहे का बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या मुख्यमंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पुल को आर0सी0सी0 का बनाने के लिए कितना धन स्वीकृत किया गया है तथा यदि उक्त पुल लोहे का बनेगा तो निर्माण में कितना धन लगेगा ?

मे0ज0(अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

जी हाँ।

पूर्व स्वीकृत आगणन में सिंचाई विभाग की गंग नहर (नई एवं पुरानी) में क्रमशः 62 मी0 तथा 72 मी0 लम्बाई के आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रेड सेतुओं के निर्माण का प्राविधान था, परन्तु उ0प्र0 सिंचाई विभाग द्वारा गंग नहर को निर्माण के समय क्लोजर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में असमर्थता व्यक्त की गई। इस कारण उपरोक्त आर0सी0सी प्रीस्ट्रेड सेतुओं के स्थान पर क्रमशः 65 मी0 तथा 75 मी0 विस्तार से लौह सेतुओं का प्राविधान रखा गया है, जो कि निर्माणाधीन है।

पूर्व स्वीकृत आगणन में उक्त पुलों को आर0सी0सी0 का बनाने के लिए रु0 226.30 लाख का प्राविधान किया गया था।

लोहे के पुलों के निर्माण हेतु रु0 513.55 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सामान्य निर्वाचन 2007 में चुनाव आयोग द्वारा जनपद हरिद्वार से स्थानान्तरित किये गये पुलिस उप निरीक्षक एवं निरीक्षकों का विवरण

4—श्री शहजाद—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सामान्य निर्वाचन 2007 के दौरान चुनाव आयोग द्वारा कितने पुलिस उप निरीक्षकों एवं पुलिस निरीक्षकों का स्थानान्तरण जनपद हरिद्वार से अन्य जनपदों में किया गया था ?

क्या मुख्यमंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सामान्य निर्वाचन 2007 के दौरान चुनाव आयोग द्वारा जिन पुलिस उप निरीक्षकों और पुलिस निरीक्षकों का स्थानान्तरण जनपद हरिद्वार से बाहर किया गया था उनमें से कितने पुलिस उप निरीक्षक और पुलिस निरीक्षक वापस हरिद्वार जनपद में तैनात कर दिये गये हैं ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

सामान्य निर्वाचन, 2007 के दौरान चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु जनपद हरिद्वार में तीन साल से ऊपर तैनात 01 निरीक्षक तथा 34 उप निरीक्षकों का स्थानान्तरण अन्य जनपदों में किया गया था।

उक्त 34 उप निरीक्षकों में से 05 उप निरीक्षकों के स्थानान्तरण आदेश निम्न कारणों से निरस्त किये गये :—

(1)—02 उप निरीक्षकों की सेवानिवृत्ति नजदीक थी तथा यह दोनों उप निरीक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

(2)—01 महिला उप निरीक्षक प्रसूति अवकाश पर थी।

(3)—02 उप निरीक्षक थाने/चौकियों पर नियुक्त नहीं थे। एक उप निरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के वाचक के पद पर नियुक्त था तथा दूसरा उप निरीक्षक पुलिस उप—महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र के कार्यालय में वाचक के पद पर नियुक्त था।

पुलिस कर्मियों को मूँछ भत्ता

5—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"—

क्या मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखण्ड राज्य में भी पुलिस कर्मियों को मूँछे रखने पर उनकी देखभाल हेतु भत्ता दिया जाता है ?

यदि हाँ, तो कितने धनराशि प्रतिमाह वितरित की जाती है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

शस्त्र लाईसेन्स धारकों को कारतूस क्रय सीमा एवं वार्षिक कोटे में वृद्धि

6–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

1–क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि राज्य में शस्त्र लाईसेन्स धारकों की कारतूस क्रय सीमा एक बारगी तथा वार्षिक कोटा भी सीमित कर दिया गया है ?

2–यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार इस कारटेज परचेज लिमिट को जनहित में बढ़ाने जा रही है ?

3–यदि हाँ, तो पृथक राइफल, बन्दूक, रिवाल्वर/पिस्टल की करतूस क्रय सीमा एक बार क्रय करने पर एवं वार्षिक कोटे में वृद्धि कितनी–कितनी की जा रही है ?

4–यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

1–राज्य में शस्त्र लाईसेन्स धारकों की कारतूस क्रय सीमा निर्धारित है।

2–जी नहीं।

3–प्रश्न नहीं उठता।

4–उपरोक्तानुसार।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन समस्त जनपदों में अतिथि गृहों का ब्यौरा

7–सुरेन्द्र राकेश–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन कितने अतिथि गृह किस–किस जनपद में स्थापित हैं ?

क्या प्रदेश की अस्थाई राजधानी में भी कोई अतिथि गृह है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश की अस्थाई राजधानी, देहरादून में अतिथि गृह का निर्माण प्रारम्भ करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन प्रदेश के अन्तर्गत जनपदवार स्थापित अतिथि गृहों की स्थिति निम्नवत् है :–

1. देहरादून

(क) बीजापुर अतिथि गृह,

(ख) ट्रांजिस्ट हॉस्टल, विधायक निवास के 20 कक्ष [10 सिंगल रूम, 10 डबल रूम] (अस्थाई रूप से)

(ग) यमुना कालोनी स्थित 02 मंत्री आवास [मा0 मुख्यमंत्री जी के अतिथियों हेतु] (अस्थाई रूप से)

(घ) होटल द्रोण, 11 कक्ष (अस्थाई रूप से)

2. हरिद्वार–डेमकोठी संख्या 1 व 2

3. नैनीताल–अतिथि गृह, नैनीताल।

उपरोक्तानुसार।

देहरादून स्थित बीजापुर अतिथि गृह के विस्तारीकरण हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

8–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

द्वितीय सोम के अतां0 63 में स्था0।

जनपद पौड़ी में नवनिर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों के निर्माण में हुई त्रुटियों पर निस्तारण

9–श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के अनेक नवनिर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों को सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी द्वारा बस सेवाओं के संचालन हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया तथा निर्माण में रही त्रुटियों का निस्तारण हेतु कहा गया ?

यदि हाँ तो उक्त मोटर मार्गों का विवरण क्या है तथा मार्गों के निर्माण में की गई त्रुटियों का निस्तारण कब तक किया जायेगा ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त मार्गों के निर्माण में रही त्रुटियों के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा उत्तरदायियों के प्रति क्या कार्यवाही की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

[देखिए नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या 113–114 पर]

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ, 12 मोटर मार्गों के सम्बन्ध में।

विवरण संलग्न है–

उक्त 12 मार्गों में से 9 मार्गों में अपेक्षित कार्य यथा स्लिप सफाई, दीवारों का निर्माण कार्य कर यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है, तथा इनके निरीक्षण हेतु परिवहन अधिकारी को लिखा जा रहा है। शेष 3 मार्गों को यातायात हेतु उपलब्ध कराये जाने के लिए कार्य प्रगति पर है।

मार्ग बरसात में भारी वर्षा होने एवं दैवीय आपदा के कारण स्लिप आने एवं दीवारों के टूटने के कारण क्षतिग्रस्त हो गये थे।

उपरोक्तानुसार।

10–श्रीमती अमृता रावत–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

लक्सर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लो0नि0वि0 द्वारा स्वीकृत कान्हेवाली से मिर्जापुर तथा बीजोपुरा से मिर्जापुर के मध्य नाले पर स्वीकृत सेतुओं का निर्माण

11–कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि लक्सर–(24) विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लो0नि0वि0 द्वारा स्वीकृत कान्हेवाली से मिर्जापुर के मध्य हड़वाया नाले तथा बीजोपुरा से मिर्जापुर के मध्य हड़वाया नाले पर सेतु निर्माण वर्षों के उपरान्त भी अपूर्ण हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उपरोक्त सेतुओं का निर्माण कार्य अविलम्ब पूर्ण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

12—श्री मनोज तिवारी—

द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के प्रथम शुक्रवार के अतां0 25 द्वारा उत्तरित

अल्मोड़ा शहर में विवेकानन्द पुरी के समीप डा0 थापा मार्ग का सुदृढ़ीकरण

13—श्री मनोज तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के अल्मोड़ा शहर में विवेकानन्द पुरी के समीप डा0 थापा मार्ग जीर्ण—शीर्ण अवस्था में है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का सुदृढ़ीकरण करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

जी नहीं।

माल रोड अल्मोड़ा विवेकानन्द कालोनी से श्री दीवान सिंह कनवाल के घर के पास तक डा0 गजेन्द्र थापा मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य लगभग 122 मीटर रू0 2.35 लाख की लागत से फरवरी, 2005 में नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा निर्मित कराया गया है, जो ठीक स्थिति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

14—श्री केदार सिंह रावत—

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

मनेरी भाली स्टेज—टू परियोजना में सुरंग चार्ज करते समय जल रिसाव का कारण एवं संचालन में हुए विलम्ब का विवरण

15—श्री मुन्ना सिंह चौहान—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मनेरी भाली स्टेज—टू परियोजना के निर्माण में मानकों की क्या कोई अनदेखी करके सुरंग को चार्ज करने में जल्दबाजी की गयी है ?

यदि हाँ, तो इसके दोषी कौन हैं ?

यदि नहीं, तो सुरंग के चार्ज करते समय भारी जल रिसाव के कारण क्या थे?

क्या सुरंग को चार्ज करते समय किसी आई0एस0ओ0 ड्रील का पालन करना होता है ?

इस रिसाव से परियोजना के संचालन में कुल कितने दिन का विलम्ब हुआ है?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जल रिसाव परियोजना की सुरंग के आस–पास की भूगर्भीय स्थिति पर निर्भर है तथा यह सामान्य प्रक्रिया है।

आई0एस0ओ0 ड्रील जैसा कोई मानक नहीं है।

रिसाव से परियोजना के संचालन में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

वर्ष, 2007–08 में प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण हेतु मंजूरी

16–श्री केदार सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2007–08 में प्रदेश के अन्तर्गत नई सड़कों के निर्माण हेतु मंजूरी दी गई है ?

यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

सड़कों के निर्माण की स्वीकृति सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधियों की माँग, कार्य के औचित्य तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नेशनल व स्टेट हाईवेज पर बैरियर लगाने की अनुमति एवं बैरियर से दुर्घटना होने पर लो0नि0 विभाग द्वारा देय मुआवजा नीति

17–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के अनेकों मोटर मार्गों पर जगह–जगह बैरियर लगे हुए हैं ?

यदि हाँ, तो क्या नेशनल हाईवेज व स्टेट हाईवेज पर बैरियर लगाये जाने की अनुमति है ?

क्या अचानक बैरियर से टकराने से होने वाली दुर्घटनाओं पर लोक निर्माण विभाग की मुआवजा देने की कोई नीति है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

स्टेट हाईवे पर लो0नि0वि0 के सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति लेकर तथा नेशनल हाईवे पर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी से पूर्वानुमति प्राप्त कर बैरियर लगाने की अनुमति दी जाती है।

जी नहीं।

बैरियर का संचालन तथा तत्सम्बन्धी सुरक्षा की जिम्मेदारी बैरियर लगाने वाले सम्बन्धित विभाग की होती है।

जनपद बागेश्वर के गरूड़ में पॉलिटैक्निक खोलने की कार्यवाही

18–श्री चन्दन राम दास–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गरूड़, जनपद बागेश्वर में सरकार पॉलिटैक्निक खोलने हेतु विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

गरूड़ जनपद बागेश्वर में शासनादेश संख्या–373/XXIV(8)/2005–42/2004, दिनांक 31–12–2005 द्वारा राजकीय पॉलीटैक्निक खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जारी कारबाईन रायफल के लाईसेन्स हेतु प्रक्रिया एवं अर्हताऐं

19–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश के विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें .30 कारबाईन रायफल का लाईसेन्स जारी किया जाता है ?

यदि हाँ, तो उक्त की प्रक्रिया क्या निर्धारित की गई है एवं उक्त आग्नेय अस्त्र लाईसेन्स हेतु क्या अर्हताऐं निर्धारित की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

.30 कारबाईन रायफल की अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने का प्राधिकार प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं है।

राजकीय महाविद्यालय लक्सर जनपद हरिद्वार में अनावासीय व आवासीय भवनों के निर्माण की कार्यवाही तथा जारी धनराशि एवं निर्माणार्थ भवनों की अद्यतन स्थिति

20–कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि राजकीय महाविद्यालय लक्सर (जनपद हरिद्वार) हेतु अनावासीय एवं आवासीय भवनों के निर्माणार्थ शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उक्त संस्थान हेतु अब तक कितनी धनराशि जारी कर दी गयी है, तथा अवशेष धनराशि कब तक जारी कर दी जायेगी ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि निर्माणार्थ भवनों की अद्यतन स्थिति क्या है?

क्या सरकार इसी सत्र में भवनों से सम्बन्धित कार्य पूर्ण कराने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

स्वीकृति हेतु कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

धनराशि उपलब्ध न होने के कारण।

उत्तराखण्ड प्रदेश के कारागार विभाग में उत्तर प्रदेश के विकल्पधारियों को उ0प्र0 के लिए कार्यमुक्त किये जाने की कार्यवाही

21–श्री राजेश जुवाँठा–

क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड प्रदेश के कारागार विभाग में अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा विकल्पधारियों को उ0प्र0 हेतु कार्यमुक्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

उत्तराखण्ड के कारागार विभाग में उत्तर प्रदेश के 01 जेलर, 09 उप जेलर तथा 91 कर्मचारीगण विकल्पधारी हैं।

उत्तर प्रदेश से आवंटी अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण के कार्यमुक्त होकर, उत्तराखण्ड राज्य में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश के विकल्पधारियों को कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के वि0ख0 मोरी व नौगाँव में विद्युतीकरण किये गये गाँवों की संख्या

22–श्री राजेश जुवाँठा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला/मोरी तथा नौगाँव में कितने ऐसे गाँव हैं जिनमें विद्युतीकरण हो चुका है कितने ऐसे गाँव हैं जिनमें अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ?

सरकार द्वारा उक्त छूटे हुए गाँवों के विद्युतीकरण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

विकास खण्ड पुरोला/मोरी तथा विकास खण्ड नौगाँव में कुल 356 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। 5 गाँवों में विद्युतीकरण होना शेष है।

ग्राम ओसला, ढाटमीर एवं गंगाड के विद्युतीकरण हेतु लघु जल विद्युत परियोजना चिलूड़गाड़ तथा ग्राम पवानी के विद्युतीकरण हेतु लघु जल विद्युत परियोजना खापूगाड़ का निर्माण उरेडा को आवंटित किया गया है। ग्राम रानीबीट में मात्र एक परिवार निवास करता है जिसे वर्ष, 2006–07 में सोलर पावर पैक संयंत्र उपलब्ध कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

लक्सर तहसील जनपद हरिद्वार में सैदाबाद बाईपास से खानपुर तक सड़क निर्माण कार्य में शिथिलता होने पर जिम्मेदार व्यक्ति/संस्था पर कार्यवाही

23–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि लक्सर तहसील, जनपद हरिद्वार में दो वर्ष पूर्व लो0नि0वि0 द्वारा, "सैदाबाद बाईपास से खानपुर तक सड़क निर्माण" का कार्य स्वीकृत किया गया था ?

क्या यह सत्य है कि कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्य अत्यधिक शिथिलता से कराये जाने से एक वर्ष से मार्ग अवरूद्ध होने से क्षेत्रवासियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार शिथिलता पूर्वक चल रहे उक्त कार्य का परीक्षण करा कर जनहित में अविलम्ब कार्य लो0नि0वि0 के मापदण्डानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगी और सरकारी कार्य में शिथिलता हेतु जिम्मेवार व्यक्ति/संस्था पर कार्यवाही की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ।

ठेकेदार को दिनांक 31–03–08 तक कार्य पूर्ण करने हेतु समय दिया है। यदि तब तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो सम्बन्धित के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कारागार विभाग में जेलर/उप जेलर/बन्दी रक्षक के रिक्त पदों की संख्या एवं नियुक्ति की कार्यवाही

24–श्री राजेश जुवाँठा–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड प्रदेश बनने के बाद कारागार विभाग में जेलर/उप जेलर/बन्दी रक्षक के कितने पद रिक्त हैं तथा सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

उत्तराखण्ड कारागार विभाग में जेलर/उप जेलर/बन्दी रक्षक संवर्ग के निम्न पद रिक्त हैं :–

(1) जेलर	03
(2) उप जेलर	25
(3) बन्दी रक्षक संवर्ग	190

उपरोक्त क्रम संख्या 3 के सापेक्ष 190 भूतपूर्व सैनिक उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से संविदा पर प्राप्त किये गये हैं।

जेलर, उप जेलर के पदों को भरे जाने हेतु पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

25–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

द्वितीय सोम0 के अता0 64 में स्था0।

प्रदेश में गंगा नदी के दोनों किनारों से दो सौ मीटर की दूरी पर निर्माण न किये जाने की व्यवस्था का अनुपालन अन्य समस्त जनपदों में लागू कराया जाना

26–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गंगा नदी के दोनों किनारे से दो सौ मीटर की दूरी पर कोई नया आवासीय निर्माण न किये जाने की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है ?

क्या सरकार प्रदेश में जनपद हरिद्वार के साथ अन्य जनपदों में भी इस शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

जी हाँ।

जी हाँ।

गंगा नदी के तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक आवासीय गतिविधियाँ अनुमन्य न किये जाने से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–2810/9–आ–1–98, दिनांक 23–9–98, शासनादेश संख्या–320/9–आ–2000–127काम्प/99, दिनांक 05–02–2000 एवं शासनादेश संख्या–124 सी0एम0/9–आ0–3–2000–127काम्प/99, दिनांक 31–07–2000 की व्यवस्थायें उत्तराखण्ड राज्य में यथावत् लागू हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

27–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

जनपद देहरादून के वि0ख0 रायपुर के अन्तर्गत विवेकानन्द फेस–II हेतु स्वीकृत ट्रान्सफार्मर के न लगाये जाने पर कार्यवाही

28–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के वि0ख0 रायपुर के अन्तर्गत विवेकानन्द फेस–II हेतु स्वीकृत ट्रान्सफार्मर के न लगाये जाने के कारण उक्त क्षेत्र में लो–वोल्टेज की समस्या है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब उक्त क्षेत्र में ट्रान्सफार्मर लगायेगी तथा स्वीकृत ट्रान्सफार्मर को न लगाये जाने के दोषी अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवर्तक के सर्किट को अलग करने से लो वोल्टेज की समस्या को दूर किया गया है।

29–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

द्वितीय सोम0 के अता0 62 में स्था0।

जनपद टिहरी के भटोली–मदरसू मोटर मार्ग के पूर्ण निर्माण की स्वीकृति

30–श्री खजान दास–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के भटोली–मदरसू मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति वर्ष, 2000 में की गई थी ?

क्या यह सत्य है कि अब तक उक्त मोटर मार्ग मात्र 1 कि0मी0 ही निर्मित हो पाया है ?

यदि हाँ, तो क्या मुख्यमंत्री जी जनहित में उक्त भटोली–मदरसू मोटर मार्ग के पूर्ण निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं, स्वीकृति वर्ष, 2001 व 2002 में दी गयी थी।

जी नहीं, मोटर मार्ग 1.50 कि0मी0 लम्बाई में निर्मित है।

नटोली–मदरसू मोटर मार्ग के अन्तर्गत 0.50 किमी0 की स्वीकृति वर्ष, 2001 में एवं 1.00 किमी0 की स्वीकृति वर्ष, 2002 में जिला योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई जिसमें कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इससे आगे 8.00 कि0मी0 एवं 2 सेतुओं के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 20–09–06 को प्रदान की गई है जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति अपेक्षित है। नटोली–मदरसू मोटर मार्ग की शेष लम्बाई स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत नैनी सैनी हवाई पट्टी के चारों ओर निर्माणाधीन रिंग रोड को शीघ्र पूर्ण करने की कार्यवाही

31–श्री मयूख सिंह–

क्या लो0नि0वि0 मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत नैनी सैनी हवाई पट्टी के चारों ओर निर्माणाधीन रिंग रोड ग्राम दौला से प्रारम्भ होकर ग्राम जाजर देवल में धारचूला रोड से जुड़नी थी ?

क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मात्र जाजर देवल में 500 मीटर कार्य होना शेष है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

ग्राम जाजर देवल में मात्र 300 मी. लम्बाई में कार्य होना शेष है।

जी हाँ।

भूमि विवाद सुलझने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत वि0ख0 कनालीछीना क्षेत्र में एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों की संख्या एवं निर्माण कार्य की प्रगति

32—श्री मयूख सिंह—

क्या लो0नि0वि0 मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत वि0ख0 कनाछीछीना क्षेत्र में एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत कितने मोटर मार्ग स्वीकृत हुए हैं तथा उनमें से कितनों में कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि शेष चयनित कार्यों में कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत 12 मोटर मार्ग स्वीकृत हैं जिनमें से 8 कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

1 कार्य से सम्बन्धित स्थान किसी अन्य योजना से जुड़ जाने के कारण निरस्त किया जाना प्रस्तावित है, शेष 3 कार्य भूमि उपलब्धता एवं वन भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त प्रारम्भ किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी की लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना की निर्माण कम्पनियों द्वारा प्रभावितों को दिये गये रोजगार गाँववार विवरण

33—श्री गोपाल सिंह रावत—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में 600 मेगावाट की लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना की निर्माण कम्पनियों द्वारा स्थानीय प्रभावितों में से किन—किन बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

क्या सरकार रोजगार पर लगाये गये प्रभावित बेरोजगारों की गाँववार सूची उपलब्ध करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

संलग्न सूची के अनुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[देखिए नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या 115—129]

वित्त एवं लेखा संवर्ग समूह 'ख' में लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या, पदों को भरने की व्यवस्था तथा पोषक संवर्ग

34—श्री गोपाल सिंह रावत—

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्त एवं लेखा संवर्ग में समूह 'ख' तक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा सहायक लेखा अधिकारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं तथा उक्त पद कब से रिक्त चल रहे हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन पदों को भरने की व्यवस्था तथा पोषक संवर्ग क्या है ?

इन पदों को पदोन्नति से अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं तथा भविष्य में इन पदों को भरे जाने की क्या कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में समूह 'ख' के वित्त अधिकारी के 34 पद तथा सहायक लेखाधिकारी के 15 पद रिक्त हैं। उक्त पद अधिकारियों की समय–समय पर उच्च पद पर पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति आदि के कारण रिक्त हुए हैं।

वित्त अधिकारी के रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग तथा सहायक लेखाधिकारी के पदों को विभागीय चयन समिति के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था है। वित्त अधिकारी के पदों हेतु सहायक लेखाधिकारी, सहायक/उप कोषाधिकारी, सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) तथा सहायक लेखाधिकारी के पदों हेतु लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक/वरिष्ठ सम्परीक्षक/लेखाकार सह वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर–वरिष्ठ सम्प्रेक्षक सह डाटा प्रोसेसिंग के संवर्ग पोषक संवर्ग हैं।

वित्त अधिकारी के पदोन्नति के पदों को भरे जाने हेतु 03 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है तथा 01 पद का अधियाचन भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। वित्त अधिकारी के पदोन्नति के शेष 12 पदों को तथा सहायक लेखाधिकारी के रिक्त 15 पदों को अंतिम आवंटन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश से आने वाले कार्मिकों के लिए रिक्त रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की अन्य पिछड़ी जातियों (ओ0बी0सी0) को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव

35—श्री राजेश जुवाँठा—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की अन्य पिछड़ी जातियों (ओ0बी0सी0) को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे गये हैं ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के रा0 महाविद्यालय चौखुटिया के भवन निर्माण की स्वीकृति एवं स्नातकोत्तर विषयों तथा बी0कॉम0 संकाय खोलने पर विचार

36–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के रा0 महाविद्यालय–चौखुटिया के भवन निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विषयों तथा बी0कॉम0 संकाय खोलने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि उपलब्ध न होने के कारण।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि भवन उपलब्ध होने पर।

जनपद ऊधमसिंह नगर ग्राम सभा गुमचैईया के अन्तर्गत खजिया नदी के पुल से मशान घाट तक मार्ग बनाये जाने पर विचार

37–श्री प्रेमानन्द महाजन –

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर ग्राम सभा गुमचैईया के अन्तर्गत ग्राम गुमचैईया कालोनी में खजिया नदी के पुल से गुमचैईया के मशान घाट तक 250 मी0 मार्ग पूर्ण नहीं किया गया ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग को बनवाये जाने पर विचार करेगी ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग न तो लोक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन है और न ही लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग का कार्य किया जा रहा है।

नरेन्द्र नगर विधान सभा के अन्तर्गत ढालवाला के उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने वाले उद्योगों/कम्पनियों की जानकारी

38–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नरेन्द्रनगर विधान सभा के अन्तर्गत ढालवाला में चल रहे उद्योगों में 70% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है ?

यदि हाँ, तो किन–किन उद्योगों में दिया गया है ?

क्या शासनादेश का उल्लघन करने वाले उद्योगों/कम्पनियों के विरूद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

स्थानीय/प्रदेश के लोगों को 70% रोजगार देने वाली इकाईयों के नाम मै0 सेमवाल इन्जीनियरिंग एण्ड कम्पनी, मै0 राधे पैकेजिंग, मै0 मखीजा इण्डस्ट्रीज, मै0 शक्ति इनोवेटिब्स, मै0 आदित्य इण्डस्ट्रीज है तथा पूर्व में स्थापित मै0 प्रेस्टीज ओनीडा द्वारा भी पर्याप्त विस्तारीकरण के अन्तर्गत न्यूनतम 70% रोजगार प्रदेश के लोगों को दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत राजकीय पॉलिटैक्निक संस्थान बीरोंखाल हेतु भवन स्वीकृति एवं व्याख्याताओं की तैनाती

39–श्रीमती अमृता रावत –

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटैक्निक संस्थान, बीरोंखाल हेतु भवन की स्वीकृति एवं व्याख्याताओं की तैनाती कब तक सुनिश्चित की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल में राजकीय पालिटैक्निक के भवनों के निर्माण हेतु रू0 409.75 लाख की धनराशि पर शासनादेश संख्या–905/XXIV(8)/2006–07/2006, दिनांक 13–12–2006 के द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इस पालिटैक्निक को राजकीय पालिटैक्निक सल्ट में चलाया जा रहा है। व्याख्याताओं के पदों पर चयन हेतु शासनादेश संख्या–971/XXVI(8)/2006–28/2005, दिनांक 18–12–2006 के द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड पुलिस में उप निरीक्षकों के रिक्त पदों की संख्या एवं नियुक्ति की प्रक्रिया

40–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड पुलिस में दिनांक 30 नवम्बर, 2007 तक उप निरीक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ?

रिक्त पदों में से सीधी भर्ती द्वारा कितने पदों को और कब तक भरा जायेगा?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

दिनांक 30 नवम्बर, 2007 को उत्तराखण्ड पुलिस में उप निरीक्षकों के कुल 516 पद रिक्त थे।

उप निरीक्षकों के सीधी भर्ती के 140 पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तरकाशी स्थित न्यायालयों में महिला नोटरी का पद सृजित करने की कार्यवाही

41–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या न्याय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी स्थित न्यायालयों में महिला नोटरी का पद सृजित किये जाने हेतु जनपद के विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत महिला अधिवक्ताओं द्वारा अनुरोध किया गया है ?

यदि हाँ, तो अन्य जनपदों की भाँति जनपद उत्तरकाशी में महिला नोटरी का पद कब तक सृजित किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

राज्य के किसी भी जिले में महिला नोटरी का पद अलग से सृजित नहीं किया गया है।

नोटरी अधिनियम, 1952 एक केन्द्रीय अधिनियम है जिसके अधीन नोटरी नियुक्त किये जाते हैं। इस अधिनियम में महिला नोटरी के लिए अलग से पद सृजन का प्राविधान नहीं है।

42–श्री गोपाल सिंह रावत–

भारत सरकार से सम्बन्धित होने के आधार पर निरस्त।

पुलिस रिक्रूटों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अधिकारियों का स्तर तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या।

43–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2008 में पुलिस रिक्रूटों को प्रशिक्षण देने के लिए कितने केन्द्रों की स्थापना की गई तथा प्रशिक्षण देने का दायित्व किस स्तर के अधिकारियों को सौंपा गया ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वर्ष, 2008 में उत्तराखण्ड राज्य में पुलिस रिक्रूटों को प्रशिक्षण देने के लिए निम्नलिखित 09 रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं :–

क्र0सं0	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम
1.	31वीं वाहिनी, पी0ए0सी0, ऊधमसिंह नगर
2.	पुलिस लाईन्स, देहरादून
3.	46वीं वाहिनी, पी0ए0सी0, ऊधमसिंह नगर
4.	40वीं वाहिनी, हरिद्वार
5.	पुलिस लाईन्स, हरिद्वार
6.	पुलिस लाईन्स, ऊधमसिंह नगर
7.	पुलिस लाईन्स, चम्बा
8.	इंडिया रिजर्व वाहिनी, रामनगर
9.	पुलिस लाईन्स, उत्तरकाशी

2. उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण का दायित्व सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं पी0ए0सी0/आई0आर0बी0 के सेना नायक/प्रभारी सेना नायक के पर्यवेक्षण में अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी, दल नायक (आर0टी0सी0 आर0आई0), निरीक्षक एवं उप निरीक्षक द्वारा अन्तः कक्ष तथा बाह्य कक्ष प्रशिक्षण हेतु हे0का0/कान्स0 आई0टी0आई0 एवं पी0टी0आई0 के द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

वर्ष, 2007 में गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध किये गये अपराधियों की संख्या

44—श्री प्रीतम सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2007 में सरकार गठन के पश्चात् प्रदेश में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए अब तक कितने अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

वर्ष, 2007 में सरकार गठन के पश्चात् प्रदेश में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए अब तक 291 अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका, नगर पंचायत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने की कार्यवाही

45—श्री मनोज तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पालिका, नगर पंचायत के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

जी नहीं।

इस पर विचार करने का औचित्य नहीं है।

हज यात्रा से लौटने पर आबे जम–जम (पानी) साथ लाने की व्यवस्था

46—श्री हरिदास—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2007—08 के उत्तराखण्ड हज कमेटी के माध्यम से हज यात्रा से वापिस होने पर आबे जम–जम (पानी) साथ लाने की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

प्रत्येक राज्य हज समिति के माध्यम से हज यात्रा करने वाले समस्त हाजियों के लिए आबे जम–जम की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई का है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग विकास खण्ड ऊखीमठ अन्तर्गत ग्राम पंचायत गौण्डार में विद्युतीकरण की कार्यवाही

47–श्रीमती आशा–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गौण्डार अभी भी विद्युतीकरण से वंचित है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत गौण्डार में विद्युतीकरण करवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ।

वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को मिलने वाला मानदेय (वेतन) एवं वेतन वृद्धि

48–श्रीमती आशा–

क्या बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को प्रति माह कुल कितना मानदेय (वेतन) दिया जा रहा है ?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के द्वारा लगातार वेतन वृद्धि की माँग की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक वेतन वृद्धि का निर्णय लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को रु0 2500/– प्रति माह मानदेय के रूप में दिया जाता है एवं आंगनबाड़ी सहायिका को रु0 1250/– प्रति माह मानदेय दिया जाता है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा सहायिका को मानदेय दिया जाता है।

जनपद रुद्रप्रयाग अन्तर्गत चन्द्रनगर, ऊच्छाढुंगी, रुद्रप्रयाग क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की सुव्यवस्थित व्यवस्था

49–श्रीमती आशा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चन्द्रनगर, ऊच्छाढुंगी, रुद्रप्रयाग क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को सुचारू एवं नियमित करने की कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक विद्युत व्यवस्था सुव्यवस्थित की जा सकेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सुचारू एवं नियमित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तानुसार।

जनपद रुद्रप्रयाग अन्तर्गत ग्राम धार–तोंदला मोहल्ला शीशी, अमर तोणा, चणाखण्डी में लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण

50–श्रीमती आशा–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम धार–तोंदला मोहल्ला शीशी, अमर तोणा, चणाखण्डी में लो–वोल्टेज की समस्या बनी हुई है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु इस क्षेत्र में 66 के0वी0 सब स्टेशन की शीघ्र स्थापना करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान में कोई समस्या नहीं है।

जनपद टिहरी अन्तर्गत नरेन्द्रनगर में भूस्खलन तथा दैवीय आपदा से पूर्णतः/आंशिक क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत हेतु धन की माँग

51–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत लो0नि0वि0 की निर्माणाधीन एवं निर्मित अधिकांश सडकें भूस्खलन तथा दैवीय आपदा से पूर्णतः/आंशिक क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा सडकों में भूमि कटाव की मिट्टी पत्थर से (राष्ट्रीय राजमार्ग छोड़कर) सम्पर्क मार्ग एवं अन्य सडकें दबी हुई हैं ?

यदि हाँ, तो क्या मुख्यमंत्री सडकों की मरम्मत के लिए धन उपलब्ध करायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मानसून के दौरान समय–समय पर भिन्न–भिन्न सड़कें क्षतिग्रस्त होती रही हैं।

वार्षिक आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुरक्षक मद में धन का प्राविधान किया जाता है तथा आपदा प्रबन्धक मद से भी धन उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत लो0नि0वि0 रानीखेत (निर्माण खण्ड) का उप खण्ड चौखुटिया में खोले जाने पर विचार

52–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लो0नि0वि0 मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत लो0नि0 विभाग रानीखेत (निर्माण खण्ड) में मोटर मार्ग निर्माण कार्य अत्यधिक होने के कारण उक्त निर्माण खण्ड का उप खण्ड चौखुटिया में खोलने का विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं एवं विद्यालयों की संख्या तथा संचालन एवं अनुदान सम्बन्धी नियमावली

53–श्री मयूख सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछड़ी जाति के बच्चों के उत्थान के लिए प्रदेश में कुल कितने विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है व उक्त विद्यालयों में अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछड़ी जाति के कुल कितने छात्र/छात्रायें अध्ययनरत् हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा उक्त संचालित विद्यालयों का अनुदान किस नियम के तहत प्रदान किया जा रहा है एवं उक्त विद्यालयों के संचालन तथा अनुदान देने हेतु कोई नियमावली है ?

क्या यह सत्य है कि विभागीय नियमावली न होने के कारण वित्त विभाग द्वारा गत दो वर्षों से विभागीय अनुदान रोक दिया गया है ?

क्या विभाग उक्त कार्य हेतु अपनी कोई नियमावली बनायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

प्रदेश में अनुसूचित जाति के 13 विद्यालय तथा अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु 29 विद्यालय स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। अनुसूचित जाति के 1471, अनुसूचित जनजाति के 2905, पिछड़ी जाति के 209 छात्र अध्ययनरत हैं। इस प्रकार कुल 4585 छात्र अध्ययनरत हैं।

अविभाजित उत्तर प्रदेश में परिचालित व्यवस्था के अनुसार।

जी नहीं।

जी हाँ।

शीघ्रातिशीघ्र।

जनपद पौड़ी के आठ मोटर मार्गों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही तथा परिणाम

54—श्रीमती अमृता रावत—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के आठ मोटर मार्गों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (गढ़वाल क्षेत्र) के अ0शा0 पत्रांक—1649/36यातात0पर्व0/07 पौड़ी, दिनांक 30 अप्रैल, 2007 के द्वारा लोक निर्माण विभाग, पौड़ी स्थित प्रान्तीय खण्ड के अधिशासी अभियन्ता को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं?

यदि हाँ, तो इन निर्देशों और उनके अनुपालन में की गई कार्यवाही तथा उनके परिणामों का विवरण क्या है तथा वर्णित समस्याओं का समाधान कब तक किया जायेगा?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

केवल 07 मोटर मार्गों के लिए अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड, पौड़ी को आवश्यक निर्देश दिये गये थे।

अनुपूरक सूचना संलग्न है।

जनपद पौड़ी विकास खण्ड कोट के स्थान डांडा नागराजा क्षेत्र में 33 के0वी0 सब स्टेशन का निर्माण

55—श्रीमती अमृता रावत—

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के स्थान डांडा नागराजा क्षेत्र में 33 के0वी0 सब स्टेशन निर्माण विषयक मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या—CE/1657/2007(1), दिनांक 12 जून, 2007 के द्वारा सचिव, ऊर्जा को सन्दर्भित पत्र पर की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

तथा कब तक डांडा नागराजा क्षेत्र में 33 के0वी0 सब स्टेशन का निर्माण कराया जायेगा ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

कार्य राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। कार्य का अनुबन्ध किया जा चुका है।

अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि माह दिसम्बर, 2008 है।

जनपद पिथौरागढ़ के नैनी—सैनी हवाई पट्टी हेतु ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहण पर दिए गये आश्वासनों की पूर्ति

56—श्री मयूख सिंह—

क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के नैनी—सैनी हवाई पट्टी विस्तार हेतु ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु अधिग्रहण

[देखिए नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या 130—132]

वार्ता के समय तत्कालीन कुमायूँ आयुक्त तथा तत्कालीन स्थानीय विधायक द्वारा ग्राम वासियों को क्या-क्या आश्वासन दिये गये थे और उनमें से कितने आश्वासनों की पूर्ति हो चुकी है ?

यदि नहीं, तो सरकार भविष्य में उन्हें कब तक पूरा करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी-

जनपद पिथौरागढ़ के नैनी-सैनी हवाई पट्टी विस्तारीकरण के सन्दर्भ में ग्रामीणों को 6 आश्वासन दिये गये थे जिनका विवरण संलग्न है। इनमें से 2 आश्वासनों की पूर्ति कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत श्री ओम गोपाल रावत, श्री गगन सिंह रजवार, श्री खजान दास, श्री करन मेहरा, श्रीमती विजया बड़थ्वाल, श्रीमती आशा नौटियाल तथा पुष्पेश त्रिपाठी की कुल 7 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, माननीय करन मेहरा जी उपस्थित नहीं हैं। इनमें से कुल 6 सूचनाओं को मैं नियम-300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में 258 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को संविदा पर भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम गोपाल-

[माननीय अध्यक्ष जी, लो0नि0वि0 द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में 258 कनिष्ठ अभियन्ता के पद संविदा पर भरे जाने हैं। ज्ञात है कि विभाग द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 07 को इसकी विज्ञप्ति जारी की गयी है, जिसमें पूरे भारत वर्ष से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। जबकि उत्तराखण्ड प्रदेश में हजारों की संख्या में बेरोजगार डिप्लोमा इंजीनियर्स दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस स्थिति को लेकर प्रदेश की जनता में व्यापक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

[देखिए नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या 133-134]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वि0ख0 धारचूला एवं मुनस्यारी में मृग विहार होने से विकास के कई निर्माण कार्य बन्द होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गगन सिंह–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी में मृग विहार होने से विकास के कई निर्माण कार्य बन्द हो गये हैं। क्षेत्र में पेयजल, शिक्षा यातायात से सम्बन्धित तमाम कार्य बाधित हो गये हैं। चीन की सड़क लिपुलेख दर्रे तक पहुँच चुकी है। मृग विहार से सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जिससे देश की सीमा पर खतरे से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः मृग विहार की सीमा का पुनः सीमांकन किया जाना क्षेत्र के साथ राष्ट्र की उन्नति एवं सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

धनोल्टी विधान सभा के अन्तर्गत अलमस भवान नगुण मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खजान दास–

मान्यवर, मेरी सूचना का विषय धनोल्टी विधान सभा के अन्तर्गत अलमस भवान नगुण मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में है। मान्यवर, मेरी विधान सभा धनोल्टी, जनपद टिहरी के अन्तर्गत अलमस भवान नगुण मोटर मार्ग, जनपद उत्तरकाशी को जोड़ता है। जो देहरादून से उत्तरकाशी मोटरमार्ग की 78 कि0मी0 दूरी कम करता है। उक्त मोटर मार्ग में कि0मी0 1 से 18 कि0मी0 तक बी0एम0एस0डी0 बी0सी0 का कार्य स्वीकृत है। इसके उपरान्त मोटर मार्ग, जो वर्तमान में कच्चा है, जिस पर वर्तमान में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उस भाग की लम्बाई 28.85 कि0मी0 है जिसका डामरीकरण करवाना नितान्त आवश्यक है। अस्थाई खण्ड चम्बा की तरफ से पाँच कि0मी0 का भाग हल्का मोटर वाहन मार्ग के रूप में निर्मित है, जिसका मोटर मार्ग में परिवर्तन होने के उपरान्त ही सम्बन्धित मोटर मार्ग भारी वाहन हेतु उपलब्ध करवाया जा सकता है।

अतः मैं माननीय सदन से माँग करता हूँ कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर नियम–300 के अन्तर्गत त्वरित कार्यवाही की जाने की माँग की जाती है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को आयोजनागत (प्लान) के अन्तर्गत वेतन भुगतान के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य / शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को आयोजनागत (प्लान) के अन्तर्गत सततीकरण

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था के तहत कई विद्यालयों का वेतन भुगतान हो रहा है। लेकिन दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के फलस्वरूप इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान आयोजनेत्तर (नान प्लान) के अन्तर्गत करने की कार्यवाही की जा रही है। जिससे अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान में असुविधायें होती हैं और कई दिनों तक वह वेतन से वंचित रहते हैं और उनको आर्थिक संकट झेलना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान आयोजनेत्तर (नान प्लान) के अन्तर्गत करने की कार्यवाही होनी चाहिए।

उपरोक्त अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यानकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जुगासू–उनियाणा मोटर मार्ग के डामरीकरण करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा–

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जुगासू–उनियाणा मोटर मार्ग के डामरीकरण की ओर लाना चाहती हूँ। मोटर मार्ग की अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण स्थिति को देखते हुए ग्रामीण कई बार डामरीकरण किये जाने की माँग करते आ रहे हैं। जिसका विभाग द्वारा आंगणन बनाकर शासन को भेजा गया है, लेकिन आंगणन शासन में लम्बित होने के कारण व वित्तीय स्वीकृति न मिलने के कारण ग्रामीणों में अत्यन्त रोष व्याप्त है। उक्त मार्ग पर यात्रा काल में भारी संख्या में श्री मद्महेश्वर जाने वाले यात्रियों व पर्यटकों की आवाजाही रहती है। मोटर मार्ग का डामरीकरण न होने के कारण यात्रियों के साथ क्षेत्रीय जनता को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। इस क्षेत्र में विदेशी व बंगाली पर्यटकों का भी भारी संख्या में आना जाना होता रहता है। यदि शीघ्र मोटर मार्ग में डामरीकरण को स्वीकृति नहीं दी जाती है, तो ग्रामीणों का यह रोष कभी भी जनान्दोलन का रूप ले सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से कार्यवाही की माँग की जाती है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का लाभ अल्मोड़ा जिले को न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत 500 हैक्टेयर की भूमि पर आलू उत्पादकों को उक्त बीमा योजना के अन्तर्गत लिये जाने का प्राविधान किया गया है। जबकि जनपद अल्मोड़ा में कुल 11 विकास खण्डों में 2380 हैक्टेयर क्षेत्रफल में आलू का उत्पादन किया जाता है। जिसमें भैसियाछाना विकास खण्ड में सर्वाधिक

341 हैक्टेयर में तथा चौखुटिया विकास खण्ड में 200 हैक्टेयर क्षेत्रफल में आलू पैदा होता है, साथ ही पर्यटक स्थल दूनागिरी का आलू सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्रसिद्ध है। बावजूद इसके राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को छोड़ दिया गया है। इस कारण सम्पूर्ण जनपद के किसान जहाँ जंगली जानवरों द्वारा किये जाने वाले नुकसान से भयभीत हैं, वहीं इनमें भारी रोष व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 07–3–2008 की बैठक में दिनांक 08–03–2008 से दिनांक 10–03–2008 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

08 शनिवार	अवकाश	(बैठक नहीं होगी)।
09 रविवार	अवकाश	(बैठक नहीं होगी)।
10 सोमवार	बजट का प्रस्तुतीकरण।	

1–तृतीय सत्र, 2007 से लम्बित संकल्प पर चर्चा–

श्री खजान दास दिनांक 23 नवम्बर, 2007 को प्रस्तुत	"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल व जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पड़ने वाले रवांई–जौनपुर क्षेत्र को जौनसार बावर जनपद देहरादून की तरह जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय।"

2–निम्नलिखित असरकारी सकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा–

(1) विजय सिंह पंवार — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि टिहरी बाँध की झील के निर्माण से प्रभावित टिहरी जनपद, विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र तथा उत्तरकाशी जनपद के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के गाजण पट्टी के सम्पूर्ण क्षेत्र के अवरूद्ध हो गये विकास को प्रारम्भ करने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत किया जाय।"

(2) श्री चन्दन राम दास — "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में टनकपुर से बागेश्वर के लिए रेलवे लाइन का निर्माण क्षेत्र भौगोलिक परिस्थिति तथा जनमानस के हित में अत्यन्त आवश्यक है।"

(3). श्री सुरेन्द्र राकेश — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में एक बालिका डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाय।"

(4) श्री बलवीर सिंह नेगी — " इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के जगदीशिला–विश्वनाथ और रतकोट यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाय।"

(समय : अपराह्न 3:00 बजे)।

बजट का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं प्रस्तावना करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य–मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री करन मेहरा की सूचना प्राप्त हुई है, माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं।

जनपद टिहरी गढ़वाल एवं जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पड़ने वाले रंवाई–जौनपुर क्षेत्र को जौनसार बावर की तरफ जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने विषयक संकल्प पर चर्चा (क्रमशः)

श्री खजान दास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं रंवाई–जौनपुर को जनजाति में शामिल करने की माँग करता हूँ। मान्यवर, यमुना नदी के दोनों ओर बसे जनपद देहरादून से

जौनसार बावर एवं जनपद उत्तरकाशी के रंवाई तथा जनपद टिहरी गढ़वाल का जौनपुर क्षेत्र पाण्डव कालीन संस्कृति से प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, रीति रिवाज, बोली–भाषा, खान–पान एवं रहन–सहन तथा सामाजिक परम्परायें एक समान हैं। जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत 06 विकास खण्ड चकराता, कालसी, नौगाँव, मोरी, पुरोला व जौनपुर हैं, जिसमें लगभग 976 से अधिक राजस्व ग्राम आते हैं। सुदुरवर्ती पर्वतीय श्रृंखला में बसे इस जनजाति क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल 41181 वर्ग कि0मी0 है तथा क्षेत्र में आज भी आवागमन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की भारी कमी है।

मान्यवर, यह सम्पूर्ण क्षेत्र 1953 से पूर्व जौनसार बावर सिरमौर रियासत के अधीन रहते हुए ब्रिटिश शासन के अधीन था। सन् 1949 से पूर्व रंवाई जौनपुर, टिहरी गढ़वाल की राजशाही का ही हिस्सा था तथा तत्कालीन समय में इस क्षेत्र की तहसील राजगढ़ी थी। जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर तथा जनपद उत्तरकाशी के नौगाँव, पुरोला एवं मोरी विकास खण्डों तथा जनपद देहरादून के कालसी एवं चकराता विकास खण्डों की जनता इन क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र घोषित करने की माँग सन् 1953 से लगातार करती चली आ रही है। अशोक आश्रम, कालसी के संस्थापक स्व0 श्री धर्मदेव शास्त्री के द्वारा पिछड़े समाज के उत्थान के किये गये प्रयासों के फलस्वरूप उक्त विकास खण्डों के कुछ समाजिक कार्यकर्ता जागृत हुए, जिन्होंने उक्त क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र घोषित करने की माँग भारत सरकार में रखी। रंवाई जौनपुर क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने की माँग सर्वप्रथम स्व0 दौलत राम रंवाल्टा ने रखी, जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कमिश्नर श्री एम0एल0 कान्त दिनांक 7 जुलाई, 1955 से 13 जुलाई, 1955 तक टिहरी जिले के भ्रमण पर रहे और उन्होंने रिपोर्ट में रंवाई जौनपुर को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने की संस्तुति की। माननीय अध्यक्ष जी, सन् 1965 में एक संसदीय उप समिति ने केवल जौनसार बावर क्षेत्र का ही भ्रमण कर जौनसार बावर क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने की रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर वर्ष, 1967 में भारत सरकार द्वारा रंवाई जौनपुर क्षेत्र को छोड़कर मात्र जनपद देहरादून के जौनसार एवं बावर क्षेत्र को ही जनजाति क्षेत्र की सूची में सम्मिलित किया और रंवाई तथा जौनपुर क्षेत्र जनजाति की सूची में शामिल होने से वंचित रह गया।

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान में जनजाति क्षेत्र के लिए जो मापदण्ड निश्चित किये थे, वे सब रंवाई तथा जौनपुर में विद्यमान हैं। संविधान द्वारा जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने सम्बन्धी समस्त मापदण्डों के अनुरूप सम्पूर्ण रंवाई एवं जौनपुर क्षेत्र इन मापदण्डों को पूर्ण करता है। जनजाति हेतु जो मापदण्ड लागू हैं, उनमें मुख्यतः बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, पुनर्विवाह, कन्या विक्रय, उड़ाल प्रथा, तलाक, छूट प्रथा, अन्तर्जातीय विवाह, खान–पान में अन्य समाज के वर्गों से भिन्न प्रचलन, कतिपय अन्य आदिवासियों की भाँति माव प्रयोग, त्यौहारों एवं अवसरों को मनाने की भिन्न प्रथा, आंशिक रूप में घुमन्तू जनजीवन, पशुबलि, टोना टोटका एवं स्थानीय देवी देवताओं के प्रति अंधविश्वास जैसी प्रथायें आज भी उक्त क्षेत्रों में विद्यमान हैं। माननीय अध्यक्ष जी,

वर्ष, 1972 में तत्कालीन माननीय लोक सभा सदस्य श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली व लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भी जौनसार बावर एवं जौनपुर रंवाई के गाँवों का भ्रमण किया गया तथा उनके द्वारा भी रंवाई जौनपुर क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने की औचित्यपूर्ण रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गयी। परिणामस्वरूप वर्ष, 1973 में जनजाति निदेशालय के निदेशक श्री ब्रह्मदेव शर्मा ने इस क्षेत्र का भ्रमण कर इस बिन्दु पर घोर आश्चर्य व्यक्त किया कि एक जैसी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से गुजर रहे दो सम्बद्ध क्षेत्रों में से एक क्षेत्र को तो जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया गया है किन्तु एक जैसी परिस्थितियों वाले रंवाई जौनपुर क्षेत्र को वंचित कर दिया गया है, जो कि अन्याय एवं अविवेकापूर्ण है। अतः रंवाई जौनपुर क्षेत्र को भी जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भी जौनपुर एवं रंवाई क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने की न्यायोचित माँग को वर्ष, 1974 में विधान सभा चुनाव के दौरान स्वीकार करते हुए दिनांक 12 फरवरी, 1974 को उत्तरकाशी की सार्वजनिक सभा में रंवाई एवं जौनपुर क्षेत्र को जनजाति की सूची में शामिल करने की घोषणा की थी, जिसके फलस्वरूप उसी वर्ष, 1974 में माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री राम नरेश मिर्धा ने भी घोषणा की थी कि रंवाई जौनपुर क्षेत्र को भी जनजाति की सूची में शामिल किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष, 1974 में केन्द्र सरकार द्वारा जनपद देहरादून के जौनसार बावर, कालसी एवं चकराता विकास खण्ड, जो कि जनजाति क्षेत्र हैं, के साथ ही टिहरी जनपद के जौनपुर एवं उत्तरकाशी जनपद के नौगाँव, पुरोला, मोरी को भी शामिल करते हुए मात्र आर्थिक विकास हेतु जनजाति विकास प्राधिकरण, देहरादून का गठन कर उक्त 6 विकास खण्डों को एकीकृत विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी, जिस पर उसी समय से विकास कार्यों हेतु अलग से बजट आवंटित कराया जाने लगा। इस प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से यह मान लिया गया था कि रंवाई जौनपुर के तत्कालीन पुरोला, नौगाँव एवं जौनपुर तथा वर्तमान में मोरी विकास खण्ड सहित चार विकास खण्डों को जनजाति की सुविधा के पात्र मानते हुए इन्हें भविष्य में जनजाति की सूची में लाया जायेगा। इस जनजाति विकास प्राधिकरण देहरादून द्वारा देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र की तरह जौनपुर एवं रंवाई क्षेत्र को भी विकास की दृष्टि से लम्बे समय तक आर्थिक सहायता समान रूप से दी गयी है।

रंवाई जौनपुर क्षेत्र को जनजाति सूची में शामिल किये जाने हेतु तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक श्री बलदेव सिंह आर्य के नेतृत्व में दिनांक 5 अप्रैल, 1981 को एक शिष्टमण्डल माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिला एवं श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री के प्रयासों से उत्तर प्रदेश सरकार ने रंवाई जौनपुर को जनजाति सूची में शामिल किये जाने का प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा। फलस्वरूप भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दिनांक 16 जून, 1981 को रंवाई जौनपुर जनजाति विकास समिति को अवगत कराया कि जौनसार की भांति रंवाई जौनपुर को भी जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जब भी भारत सरकार अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करेगी तो इस मांग पर विचार किया जायेगा।

मान्यवर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2003 को भी तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी द्वारा परेड ग्राउन्ड मैदान की जनसभा में रंवाई जौनपुर क्षेत्र के साथ–साथ जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र को भी जनजाति की सूची में शामिल किये जाने की घोषणा की गई थी। वर्ष, 1953 से लगातार आज तक भी रंवाई जौनपुर की सम्मानित जनता इस क्षेत्र को जनजाति की सूची में शामिल किये जाने हेतु संघर्षरत है, किन्तु आज भी रंवाई एवं जौनपुर क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने की औचित्यपूर्ण मांग लम्बित है। चूंकि अब तक भी जौनपुर एवं रवाई क्षेत्र जनजाति की सूची में नहीं आ सका है, जिस कारण इस क्षेत्र के लोगों में निराशा एवं असंतोष की भावना है। जबकि जौनपुरी एवं रवाल्टा जनजाति सभी मापदण्डों, जो कि जनजाति हेतु आवश्यक है, को पूर्ण करती है।

अतः क्यों न उत्तराखण्ड की विधान सभा में रंवाई जौनपुर क्षेत्र में निवास कर रही लगभग 2 लाख से अधिक आबादी, जिनका रहन–सहन, बोली–भाषा, तीज–त्यौहार, रस्म–रिवाज पूर्व घोषित जनजाति क्षेत्र, जौनसार बावर के समान है, के संकल्प को पारित कर भारत सरकार को जनजाति की सूची में शामिल किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार की ओर से इस आशा के साथ प्रेषित कर दिया जाय कि इस संकल्प पर भारत सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों में इस जनहित के प्रस्ताव को पारित कर रंवाल्टा एवं जौनपुरी क्षेत्र के लोगों को जनजाति की सूची में शामिल कर दिया जाय, धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है और जितनी मेहनत से उन्होंने इस संकल्प को तैयार किया और अध्ययन के माध्यम से तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किये, निश्चित रूप से वह प्रशंसा का विषय है। मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी के अन्तर्गत आने वाले रंवाई जौनपुर क्षेत्र को जौनपुर बावर, जनपद देहरादून की तरह जनजाति क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है श्रीमन्, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–जी0एस0आर0–980, दिनांक 24 जून, 1967 द्वारा भोटिया, बुक्सा,जौनसारी, राजी और थारू वर्ग को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया श्रीमन्, और इस अधिसूचना के माध्यम से उत्तराखण्ड में ये अनुसूचित जनजातियाँ पूर्ववत् विद्यमान हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 के आधार पर ये जनजातियाँ उत्तराखण्ड राज्य की जनजातियाँ स्वतः मानी गयी। जहाँ तक जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है श्रीमन्, क्योंकि पृथक रूप से जनजाति क्षेत्र घोषित नहीं है और उपरोक्त वर्णित जातियों के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का माना जायेगा।

जहाँ तक संविधान में उल्लिखित व्यवस्थाओं का प्रश्न है श्रीमन्, भारत के संविधान के अनुच्छेद–342 में उल्लिखित है कि "(1) राष्ट्रपति (किसी राज्य) (या संघ राज्य क्षेत्र) के सम्बन्ध में और जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनके यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा,

जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, (यथास्थिति) उस राज्य (या संघ राज्य क्षेत्र) के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जायेगा।" और इसके पार्ट–दो में यह व्यवस्था है श्रीमन्, "(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसके यूथ को खण्ड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खण्ड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जायेगा।" अर्थात् श्रीमन्, जो जनजातियाँ उत्तराखण्ड राज्य के लिए असिसूचित हुई, उन जनजातियों में परिवर्तन करना संभव नहीं है।

जब परिवर्तन संभव नहीं है तो जनजाति क्षेत्र किस प्रकार से बनेगा ये भी एक व्यवस्था परिचालित है श्रीमन्, और इसके तहत एक प्रस्ताव तत्कालीन सरकार के समय, विगत समय में केन्द्र सरकार को प्रस्तावित किया गया था श्रीमन्, और उसके उत्तर में जो विषय बन करके आया उसका उसमें स्पष्ट मंतव्य केन्द्र सरकार का यह है, जो वहाँ से प्राप्त हुआ उत्तराखण्ड सरकार को और शिड्यूल एरिया बनाए जाने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने की है, उसके आधार पर यदि किसी क्षेत्र में 50 प्रतिशत अधिसूचित जनसंख्या निवास करती है और जिसमें से कम से कम 10 हजार व्यक्ति निवास करते हैं तो उस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र बनाया जा सकता है। यह बात केन्द्र सरकार के पत्र के माध्यम से उल्लिखित हुई श्रीमन्, और इसमें एक विषय और अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में वर्ष, 2001 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिये गये अपने एक निर्णय जो महाराष्ट्र सरकार बनाम मिलिंद व अन्य वर्ष, 2001 के अन्तर्गत दिया गया जिसमें यह कहा गया श्रीमन्, कि अनूसूचित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किये जाने के आदेश को उसी अर्थ में लिया जायेगा जिस अर्थ में इसे मौलिक रूप से प्रख्यापित किया गया। उसको किसी अन्य रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता अर्थात अनुच्छेद–342 के तहत प्रख्यापित जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं। जिसको भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–जी0एस0आर0 960 के आधार पर दिनांक 24 जून, 1967 को प्रख्यापित किया गया था, उसके मूलभाव को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का मंतव्य है।

इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूँगा कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से वापस लेने का प्रस्ताव करने की कृपा करें। क्योंकि यह संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है, क्योंकि सरकार इस विषय पर पूर्व से गम्भीर थी, इसमें कई बार पत्राचार हुए. इस विषय को सरकार ने पूर्व से अपने स्तर से उठाया और जो उत्तर वहाँ से मिले उसके आधार पर यह जनजाति क्षेत्र घोषित नहीं हो सकता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूँगा कि वह अपने संकल्प को सर्वसम्मति से वापस लेने की कृपा करें।

श्री खजान दास–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि वह संकल्प संविधान के विपरीत है तो मैं इसे वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल एवं जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पड़ने वाले रंवाई–जौनपुर क्षेत्र को जौनसार बावर की तरह जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय" को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

टिहरी बाँध की झील के निर्माण से प्रभावित विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र तथा उत्तरकाशी जनपद के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के गाजणा पट्टी के सम्पूर्ण क्षेत्र को विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत विषयक संकल्प

श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

माननीय अध्यक्ष जी "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि टिहरी बाँध की झील के निर्माण से प्रभावित टिहरी जनपद विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र तथा उत्तरकाशी जनपद के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के गाजणा पट्टी के सम्पूर्ण क्षेत्र के अवरूद्ध हो गये विकास को प्रारम्भ करने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत किया जाय।"

माननीय अध्यक्ष जी, इस अति आवश्यक और महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा करने हेतु आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, टिहरी बाँध की 42 वर्ग किलोमीटर की झील बनने के कारण प्रतापनगर का सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र और उत्तरकाशी की गाजणा पट्टी का सम्पूर्ण क्षेत्र, जो कि टिहरी बाँध के कारण वहाँ पर विकास की समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं, उसके समाधान के लिए टिहरी बाँध की 42 वर्ग किलोमीटर झील के अन्तर्गत जो 92 गाँव आंशिक रूप से इस क्षेत्र में आये वह पूरी तरह डूब गये हैं, उनको सरकार ने देहरादून में पथरीवाला तथा बंजारावाला में 10–10 बीघा भूमि और कहीं ढाई बीघा भूमि उपलब्ध कराकर उनका पुनर्वास कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो गाँव पूर्ण रूप से डूब गये हैं उनकी तो आपने व्यवस्था कर दी, लेकिन जो गले–गले तक डूबे क्षेत्र के बाकी लोग हैं, उनके लिए सरकार क्या नीति अपना रही है ? क्या कोई आर्थिक पैकेज सरकार उस क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध करायेगी।

मैं भी एक विस्थापित हूँ और उसी डूब क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरी प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा पुरानी टिहरी शहर में हुई। आज मेरा विधान सभा क्षेत्र का पूरा एरिया मुख्यालय से लगभग 100 मील दूर हो चुका है, वहाँ पर उच्च शिक्षा की भी कोई

व्यवस्था नहीं है और न ही चिकित्सा स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, उच्च शिक्षा के नाम पर केवल एक महाविद्यालय अगरोड़ा और एक महाविद्यालय लम्बगाँव में सरकार की तरफ से स्थापित किया गया है, मान्यवर, वह भी मात्र एक फैकल्टी कला संकाय है और उसमें एक अध्यापक की नियुक्ति की गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस ओर वहाँ फैकल्टी कामर्स, साइंस खोलने का प्रयास करेगी और निश्चित रूप से जो हमारे 14 छोटे और बड़े पुल इस झील में समा गये हैं उनके लिए सरकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ? मात्र मेरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए पीपलडाली और स्यासू पुल बनाये गये हैं, वह भी हल्के वाहन के लिए जिसमें जो पीपलडाली पुल वर्तमान में गतिमान है और जिसमें आवागमन का एक मात्र साधन प्रतापनगर को जोड़ने के लिए है, मुख्यालय तक। उसमें भी कम से कम पीपलडाली की जो सड़क है, तकरीबन 7 मीटर लम्बाई में और तीन मीटर गहराई में वह सड़क पूर्णतः धंस चुकी है जिससे पुल को भी आज खतरा उत्पन्न हो गया है और आज हमारे सामने वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे अपने क्षेत्र को मुख्यालय से जोड़ने के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था हो।

निश्चित रूप से मैं यह चाहता हूँ कि हमारे लिए जो रायल्टी भारत सरकार 12 प्रतिशत उत्तराखण्ड प्रदेश को दे रही है उसमें कम से कम 6 प्रतिशत रायल्टी उस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च की जाए। यह मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ। इसी प्रकार मान्यवर, मैं यह चाहता हूँ कि सरकार द्वारा किसने क्या खोया और किसको क्या मिला इस टिहरी बाँध के कारण, निश्चित रूप से इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जो क्षेत्र में जाकर वहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज वहाँ के विकास के लिए स्वीकृत करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे संकल्प पर चर्चा करने हेतु बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, बहुउद्देशीय टिहरी बाँध परियोजना निर्माण से टिहरी जनपद के भू-भाग में निवास कर रहे लोगों को विस्थापित होना पड़ा। सैकड़ों गाँव व ऐतिहासिक टिहरी जनपद शहर जलमग्न हुआ और हजारों लोगों को अपनी माटी और गौरवशाली संस्कृति से विस्थापित होना पड़ा। मान्यवर, 42 वर्ग कि0मी0 से अधिक क्षेत्रफल की झील में मोटर पुल और कई पैदल पुलों के डूबने के कारण विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर का जिला मुख्यालय टिहरी से सम्पर्क कट गया। उससे क्षेत्र के लोगों को सैकड़ों कि0मी0 की सड़क यात्रा तय कर भारी किराया अदा कर मुख्यालय आना पड़ता है। मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर से सटा जनपद उत्तरकाशी की गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र की गाजणा पट्टी की 20 ग्राम पंचायतों में निवास कर रहे लोगों का, लम्बगाँव-भड़ियाना मोटर पुल डूबने के कारण, विकास अवरुद्ध हो गया। गाजणा क्षेत्र के प्रतापनगर क्षेत्र के लोगों को लगभग 150 कि0मी0 की अतिरिक्त परिक्रमा कर नई टिहरी एवं देहरादून, ऋषिकेश आना पड़ता है। माल भाड़ा यात्रा भाड़े में दूरी बढ़ने के कारण वृद्धि देने को लोग विवश हैं।

मान्यवर, टिहरी जलाशय में पुल डूबने के कारण प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश बीमार लोग जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में उपचारार्थ भर्ती होते हैं। 80–90 बैड के अस्पताल पर भारी दबाव पड़ रहा है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र गाजणा क्षेत्र के मध्यस्थ स्थान धौन्तरी में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकृत किया जाना आवश्यक है। मान्यवर, मुख्यालय उत्तरकाशी तथा टिहरी इत्यादि शहरों में आने–जाने के लिए परिवहन निगम की बसें लगाई जानी चाहिए ताकि लोगों को रोजमर्रा के कार्यों के निस्पादन के लिए आने–जाने में सुविधा मिल सके। इसके लिए देहरादून से चम्बा चिन्यालीसौड़–देवीधार फोल्ड, धौन्तरी, लम्बगाँव तथा देहरादून नई टिहरी–पीपलडाली पुल तक तथा पीपलडाली पुल से दूसरी बस रजाखेत प्रतापनगर–लम्बगाँव धौंतरी उत्तरकाशी तक चलायी जानी आवश्यक है। अतिरिक्त बस भाड़ा तथा माल भाड़े में जो वृद्धि दूरी बढ़ने के कारण हुई है उसकी प्रतिपूर्ति टी0एच0डी0सी0 अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गाजणा और प्रतापनगर क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर लोगों को गुमराह किया गया। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही शीघ्र की जाए। मान्यवर, जलाशय के कारण विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के हडियाड़ी गुण्डरागाँव, बल्डोगी, मल्डगाँव के नीचे भू धंसाव होने के कारण गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। इस ओर सकारात्मक पहल शीघ्र की जानी आवश्यक है। मान्यवर, टिहरी बाँध परियोजना के कारण प्रतापनगर तथा गाजणा क्षेत्र के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत कर विकास कार्य प्रारम्भ कराये जायं। मान्यवर, आपने मुझे संकल्प पर अपनी बात रखने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय विधायक श्री गोपाल सिंह रावत जी और श्री विजय सिंह पंवार जी ने टिहरी बाँध बनने के कारण उत्तरकाशी की गंगोत्री की गाजणा पट्टी और विकास खण्ड प्रतापनगर की जनता को विकास कार्य की असुविधा उठानी पड़ी इसी विषय में संकल्प पेश किया और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि पट्टी गाजणा और प्रतापनगर विकास खण्ड की जनता को नई टिहरी आने में काफी लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए इस आवागमन को कम करने के लिए मुख्यालय नई टिहरी से जोड़ने हेतु पीपलडाली एवं स्यांसू नामक स्थानों पर हल्का वाहन झूला पुलों का निर्माण किया गया है। माननीय विजय सिंह पंवार जी ने कहा कि वहाँ पर पुल के नीचे जमीन धंस रही है उसका परीक्षण किया गया और यातायात चालू है और अगर वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था करनी पड़ी तो वैसे भी किया जा रहा है। दूसरा मान्यवर, डोबरा–चाँठी नामक स्थान पर भारी वाहन पुल का निर्माण हो रहा है इसकी लागत है 120 करोड़ रुपये और इसको पूर्ण होने में एक वर्ष लगेगा। जब यह डोबरा–चाँठी पुल बन जायेगा तो प्रतापनगर विधान सभा और गंगोत्री विधान सभा के गाजणा पट्टी की जनता को आने–जाने में लाभ मिलेगा। झील को पार करने में टिपरी–मदननेगी में रोपवे मार्ग का निर्माण किया जा

चुका है तथा मल्डियाना–मोटना में रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, जो मार्च तक पूरा हो जायेगा। डोबरा भारी वाहन पुल निर्माण होने तक कट–ऑफ क्षेत्र में आवागमन हेतु घोन्टी–पड़ागली, प्लास सिराई–रौलाकोट, मल्डियाना–मोटना, स्यांसू–मणी, ग्राम–कुमराड़ा में फेरी बोट का संचालन किया जा रहा है। जहाँ पर पुल नहीं बने हैं वहाँ पर एक फेरी बोट लगायी गयी है और वह बोट जनता को लाभ पहुँचायेगी। जन सुविधाओं के सृजन हेतु पेयजल के लिए प्रतापनगर क्षेत्र हेतु एक लिफ्ट योजना निर्माणाधीन है यह जनकुट नदी से बनायी जा रही है।

चिकित्सा के क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मदननेगी में निर्मित है और चालू है। संयुक्त चिकित्सालय, लम्बगाँव में निर्माणाधीन है और 80 प्रतिशत इसमें काम हो चुका है। प्रभावित क्षेत्र प्रतापनगर, गाजणा (कठूड़) विकास खण्ड–डुण्डा, उत्तरकाशी में सब सेन्टर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालित करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। जो माननीय विधायकों की माँग है। मान्यवर, इसी प्रकार मोटर मार्गों के निर्माण हेतु स्यांसू–मैंगा मोटर मार्ग 07 कि0मी0 निर्मित है जिसकी लागत 90 लाख रुपये है। चौंधार–मैंगा मोटर मार्ग 08 किलोमीटर निर्माणाधीन है जो वर्षा के कारण बीच में ही क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके मरम्मत के लिए 15 लाख रुपये का प्रस्ताव और किया गया है, वह कार्य भी शीघ्र हो जायेगा। पीपलडाली–रजाखेत मोटर मार्ग 10 किलोमीटर निर्मित हो रहा है जिसकी लागत रुपये 1.50 करोड़ खर्च हो चुकी है। यातायात चालू है। जैसे माननीय विधायक विजय पंवार जी ने कहा कि शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इसी जलाशय बनने के कारण ग्राम लम्बगाँव एवं अगरोड़ा में महाविद्यालय का निर्माण हुआ। लम्बगाँव में मात्र 250 छात्र हैं और अगरोड़ा में 150 छात्र हैं। हमारा कहना है कि माननीय विधायक जी की पीड़ा को जानते हुए, अगर यहाँ पर छात्र संख्या बढ़ जाती है तो कोई ऐसी आपत्ति नहीं है कि अन्य विषय यहाँ पर नहीं खोले जायेंगे। आप प्रस्ताव दें। यहाँ पर अन्य विषय भी खुलने चाहिए।

मान्यवर, प्रतापनगर एवं सिलारी में इण्टर कॉलेज का निर्माण हो चुका है। इसके लिए 1.25 करोड़ रु0 दिया जा चुका है। तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत विकास खण्ड डुण्डा तथा प्रतापनगर में आई0टी0आई0 खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जिससे वहाँ की जनता को यह सुविधा मिल सके। खाद्यान्न के बारे में गैस एवं मिट्टी तेल आदि की आपूर्ति पूर्व की भाँति जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्र में की जा रही है। विद्युत पारेषण के अन्तर्गत 32 के0वी0 सब–स्टेशन तथा लाईन का निर्माण किया जा चुका है। जिससे वहाँ की क्षेत्रीय जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रशासकीय सुविधाओं के बारे में स्थानीय क्षेत्रवासियों की माँग पर कट ऑफ क्षेत्र में प्रशासकीय सुविधाओं के सृजन हेतु प्रताप नगर विकास खण्ड में उप कोषागार, सिविल जज न्यायालय तथा लोक निर्माण खण्ड के एक कार्यालय को खोले जाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। विशेष पैकेज के द्वारा रु0 169. 00 करोड़ की माँग भारत सरकार को भेजी गयी है। जिसके अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार द्वारा 149 करोड़ रु0 की घोषणा की गयी है। अभी तक जो धनराशि प्राप्त हुई

उसमें 25 करोड़ रु0 जमीन भुगतान के लिए और 10 करोड़ रु0 डोबरा चाँठी भारी वाहन झूला पुल के निर्माण के लिए मिली है। कुल मिलाकर 35 करोड़ रु0 भारत सरकार से मिल चुका है। पुल लम्बा होने के कारण इस पुल के निर्माण में लगभग एक वर्ष लग जायेगा। मैं दोनों माननीय सदस्यों की पीड़ा को भलीभाँति समझता हूँ और सरकार द्वारा इस क्षेत्र की जनता की सुविधाओं के लिए प्रयास जारी है। कुछ कार्य हो चुका है और कुछ कार्य यथाशीघ्र हो जायेगा। विशेष पैकेज के अन्तर्गत 169 करोड़ रु0 की माँग की है, 35 करोड़ रु0 की धनराशि अभी तक मिली है। हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरी धनराशि हमको मिल जाए। प्रतापनगर विधान सभा एवं गंगोत्री विधान सभा के जो क्षेत्र इस झील से प्रभावित हैं उनको जन सुविधाएं उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है। मैं चाहूँगा कि दोनों संकल्प वापस ले लें।

श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

मान्यवर, निश्चित रूप से हमारे यहाँ दो महाविद्यालय हैं। छात्र संख्या आपने सही बताई लेकिन अध्यापक मात्र एक है और अगरोड़ा में और एक लम्बगाँव में जहाँ पर एक प्रिन्सिपल है और एक फोर्थ क्लास है। क्या यह हमारे साथ न्याय है ? हमारे छात्रों की क्या व्यवस्था होगी ? स्वयं मैंने प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पुरानी टिहरी में ग्रहण की और आज हमारा छात्र जो बी0एससी0 का है, कामर्स का है वह जायेगा कहाँ, छात्र संख्या बढ़ेगी कहाँ से ? मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ सरकार के माध्यम से कि उस क्षेत्र में तत्काल अध्यापकों की व्यवस्था हो और उस विद्यालय में नये सबजेक्ट भी खोले जायें। ताकि हमारे क्षेत्र को परेशानी न हो। जहाँ तक माननीय मंत्री जी ने अभी संयुक्त चिकित्सालय की बात की लम्बगाँव में। माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर साईड डेवलेपमेन्ट तक नहीं हुआ। आपके पास निश्चित रूप से झूठे आंकड़े विभाग ने पेश कर दिये हैं। मान्यवर, मैं उस विधान सभा क्षेत्र से हूँ और अभी परसों मैं वहाँ से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि वहाँ पर साईड डेवलेपमेन्ट अभी तक नहीं हो पाया है। मान्यवर, जहाँ तक बोट चलाने की बात है तो यह सवाल बहुत ही अति महत्वपूर्ण है कि जो बोट चौरास से मलाया तक लगी है निश्चित रूप से बहुत ज्यादा भाड़ा पड़ता है। मान्यवर, सवाल यह है कि उस भाड़े की कमी के लिए और भाड़े का भार वहन करने के लिए सरकार क्या कोई कदम उठा रही है ? जो हम लोगों को अतिरिक्त भाड़ा पड़ रहा है उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है ?

मान्यवर, मदननेगी के लिए माननीय मंत्री जी ने बताया कि भारत सरकार ने जो पैकेज दिया जो निश्चित रूप से उस पैकेज के ऐवज में चन्द्रेश्वर इण्टर कॉलेज, टिपरी इण्टर कॉलेज, मदननेगी इण्टर कॉलेज, प्रतापनगर राजकीय इण्टर कॉलेज, सिलारी राजकीय इण्टर कॉलेज का भवन निर्माण हो चुका है। इनमें से मात्र एक क्षेत्र है जहाँ जिला प्रशिक्षण संस्थान बन चुका है, लेकिन नई टिहरी में चल नहीं रहा है, मदननेगी में जो डायट बना है उसका संचालन नहीं हो रहा है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।

उसी क्षेत्र में जहाँ पर हर व्यक्ति सौंदी से लेकर सूरी तक दूरस्थ गाँव से लोग रोजगार के लिए आता था, पुरानी टिहरी में सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है और शाम को आटा चावल लेकर गाँव चला जाता है, आज उसका क्षेत्र दूर हो गया है, उस क्षेत्र में आने जाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सरकार से अनुरोध है कि भविष्य में जब भी उस क्षेत्र का विकास सरकार करना चाहती है तो भविष्य में जब भी नये जनपद सृजित होंगे तो प्रतापनगर को जिला बनाया जाय और जब तक नया जनपद नहीं बनता है तो तब तक के लिए सरकार 12 परसेण्ट रॉयल्टी में से 6 परसेन्ट रॉयल्टी का हिस्सा सम्पूर्ण प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र को और गाजणा पट्टी के सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए क्या पैकेज देना चाह रही है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री विजय सिंह पंवार जी ने कुछ बातें तो बहुत अच्छी कहीं और कुछ बातें ऐसी हैं जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। मैंने कहा कि प्रतापनगर और गाजणा पट्टी के जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु हमने 169 करोड़ रुपये की माँग भारत सरकार से की है, यह पैसा आयेगा हम कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी पीड़ा से अवगत हूँ और आपने कहा कि प्रतापनगर और सिलारी इण्टर कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ है।

श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

श्रीमन् प्रतापनगर राजकीय इण्टर कॉलेज, सिलारी, राजकीय इण्टर कॉलेज, चन्द्रेश्वर सैंण और राजकीय इण्टर कालेज, टिपरी का निर्माण हो चुका है, लेकिन मदन नेगी राजकीय इण्टर कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ है, जो सबसे नजदीक था टिहरी शहर से।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मदन नेगी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इनका निर्माण हो चुका है। आपने कहा डाइट चलना चाहिए, तब मैं पर्वतीय विकास मंत्री था और मैंने कहा वास्तव में डाइट चलना चाहिए और आज नई टिहरी में चल रहा है, तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूँगा कि जहाँ के लिए डाइट बना है वहाँ चलना चाहिए। अब क्या चल रहा है इसका संज्ञान माननीय शिक्षा मंत्री जी ले लेंगे। मान्यवर, जहाँ तक 6 प्रतिशत की बात आपने कही कि प्रतापनगर विकास खण्ड में लगाया जाये, तो डैम बनते हैं या नहीं बनते हैं, क्या नियम है, देखेंगे। जहाँ तक प्रतापनगर की जनता की असुविधा की बात है तो वहाँ पुल बना रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ अलबत्ता जैसे ही डोबरी पुल एक साल बाद बन जायेगा तो सभी को बहुत सरलता से यातायात की सुविधा मिल जायेगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जब डोबरी चांठा पुल बन जायेगा तो सारी सुविधायें मुहैया हो जायेंगी। जो चार साल से वहाँ के स्थानीय लोगों पर अतिरिक्त अधिभार पड़ा है उसके मुआवजे की बात हम कर रहे हैं। जो भाड़ा बढ़ा है वह पेट्रोल डीजल से नहीं बढ़ा है बल्कि टिहरी बाँध झील बनने के कारण अतिरिक्त अधिभार देना पड़ रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस अधिभार को टी0एच0डी0सी0 द्वारा या भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार इस खर्चे को वहन करें। मान्यवर, जो बोरी पहले हमें तीन सौ रुपये में मिलती थी आज वह बोरी अतिक्ति अधिभार से 345 रु0 हो गयी है। मान्यवर, जो गैस सिलेंडर पहले हमें 250 से 300 रु0 में मिलता था, आज हमें उस पर भी 25 रु0 अतिरिक्त अधिभार बढ़ गया है। इसके लिए कौन दोषी है ? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जिस अस्पताल की मंत्री जी बात कर रहे हैं कि 80 प्रतिशत अस्पताल का निर्माण हो गया है, जबकि उसकी अभी तक बुनियाद भी नहीं रखी गयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों ने सदन को गलत तथ्य दिये हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, उत्तरांचल वीरों की भूमि है। उत्तरांचल ऐसा राज्य है, जब–जब देश पर आक्रमण होता है, तब हमारी गढ़वाल राईफल और कुमायूँ रेजीमेंट के सैनिक अपने प्राणों की आहुति देते हुए देश की रक्षा करते हैं। मान्यवर, यदि टिहरी डेम के कारण जो विकास का प्रतीक है, थोड़ी असुविधा हमें राष्ट्रहित में उठानी भी पड़े तो हमें सहन करना चाहिए। मान्यवर, जहाँ तक माननीय सदस्य ने कहा कि भाड़े का रेट बढ़ गया है, तो इस सम्बन्ध में, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि यदि वे बढ़ा हुआ रेट दे दें तो अच्छा रहेगा। मैं भी इसमें आपके साथ हूँ। इसका प्रस्ताव मैं भेज दूँगा। यदि भारत सरकार इसे स्वीकार कर देती है तो हम भी दे देंगे। आपकी माँग जायज है, मैं इसे नाजायज नहीं मान रहा हूँ। इसीलिए इसे जायज मानते हुए आज ही भारत सरकार को इसका प्रस्ताव भेजूँगा कि इन्हें यह सुविधा दे दी जाय। यदि भारत सरकार दे देगी तो हम भी दे देंगे, यदि नहीं देगी तो आप भी इसे देखते रहेंगे और मैं भी देखता रहूँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, 80 प्रतिशत का क्या मतलब है, स्पष्ट करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, संयुक्त चिकित्सालय, लम्बगाँव निर्माणाधीन है, अभी मैंने एक अधिकारी अधीक्षण अभियंता से पूछा है तो उन्होंने कहा कि इस पर 80 प्रतिशत कार्य हो गया है। यदि नहीं हुआ होगा तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसका परीक्षण करा लिया जाय, यदि 80 प्रतिशत कार्य नहीं हुआ है तो उस अधिकारी को दण्डित किया जाय।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, ठीक है। दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोंतरी की बात नहीं आयी है। इसके उच्चीकरण का प्रस्ताव होना चाहिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, घोंतरी का प्रस्ताव अभी हमारे पास नहीं आया है। यदि प्रस्ताव दे देंगे तो मैं विचार करूँगा।

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इस संकल्प के माध्यम से उसकी स्वीकृति मान ली जाय।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, स्वीकृति नहीं, इसका प्रस्ताव मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भेज दूँगा और भारत सरकार को भी भेज दूँगा।

श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

मान्यवर, जो प्रदेश के चार नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर स्वीकृत हुए हैं या खोलने का विचार सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो ट्रेनिंग सेंटर टिहरी जनपद के लिए स्वीकृत है उसे प्रतापनगर क्षेत्र की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले प्रतापनगर में खोला जाय, क्योंकि इस क्षेत्र को लोग कालापानी के नाम की संज्ञा देने लगे हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से यह कालापानी है। इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर है वह प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र को दिया जाय।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह विषय मेरा नहीं है, यह माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विषय है, जोकि यहाँ पर नहीं बैठे हैं, मगर मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तक आपकी बात पहुँचा दूँगा। मेरा अनुरोध है कि आप इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

मान्यवर, अब मैं इस संकल्प को उचित कार्यवाही करते हुए वापस लेता हूँ, यदि इस पर उचित कार्यवाही होगी तो।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री विजय सिंह पंवार द्वारा प्रस्तुत संकल्प "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि टिहरी बाँध की झील के निर्माण से प्रभावित टिहरी जनपद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र तथा उत्तरकाशी जनपद के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के गाजणा पट्टी के सम्पूर्ण क्षेत्र के अवरूद्ध हो गये विकास को प्रारम्भ करने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत किया जाय" को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड में टनकपुर से बागेश्वर के लिए रेलवे लाईन का निर्माण विषयक संकल्प

*श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ, "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में टनकपुर से बागेश्वर के लिए रेलवे लाईन का निर्माण क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति तथा जनसामान्य के हित में अत्यन्त आवश्यक है।"

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि मैंने, टनकपुर–बागेश्वर रेलवे लाईन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी हिमालयी रेल परियोजना के तहत वर्षों पुरानी माँग उठती रही है, जिसके लिए आजकल क्षेत्र में बहुत से जनान्दोलन हो रहे हैं और बागेश्वर–टनकपुर रेलवे लाईन संघर्ष समिति और टनकपुर में भी एक बहुत बड़ी संघर्ष समिति बहुत सालों से इस महत्वपूर्ण योजना के लिए संघर्षरत है। वास्तव में यह जो योजना है, यह प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व अंग्रेजी शासकों द्वारा तिब्बत तथा नेपाल के साथ सटे हुए इस पर्वतीय क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति के अतिरिक्त इसकी भू–राजनैतिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर तथा प्रचुर वन सम्पदा व सैनिकों के सरल प्रवाह के निमित्त टनकपुर–बागेश्वर रेलवे लाईन की योजना का कार्यान्वयन इस क्षेत्र के सर्वेक्षणों की श्रृंखला से प्रारम्भ किया गया था। रेल लाईन के सर्वेक्षण के साक्ष्य आज भी इस क्षेत्र में यत्र–तत्र बिखरे हुए मिलते हैं। युद्ध की दीर्घ अवधि, जनहित समस्याओं के चलते धीरे–धीरे अंग्रेजी शासकों की यह योजना आज भी ठण्डे बस्ते में गई है। वर्ष, 1980 और 80

नोट–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के दशक में पद्मश्री स्व० देवकी नन्दन पाण्डे ने टनकपुर रेलवे लाईन के अंग्रेजी शासकों द्वारा कराये गये सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए इस योजना को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और 1980 के दशक में जब तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी बागेश्वर में आयी थी, तब उन्होंने वहाँ की जनता की माँग पर और हमने जितने भी ज्ञापन वहाँ पर दिये थे, उनको देखते हुए इस महत्वपूर्ण योजना के सर्वेक्षण के लिए धन को स्वीकृत किया था और उसमें काफी साल तक सर्वेक्षण का कार्य किया गया, परन्तु कुछ दिनों बाद वह सर्वेक्षण का कार्य फिर ठप कर दिया गया।

यही कारण रहा कि लगभग 60 वर्षों से ठंडे बस्ते से निकल कर वर्ष, 1984 के सर्वेक्षण में सरकार ने इस रेलवे लाईन के लिए बजट तो दिया लेकिन सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया। आज धीरे–धीरे जनता का विश्वास उठता जा रहा है और लगभग दो दशकों के उपरान्त यह योजना पुनः नेपथ्य में चली गयी है। अनेक सरकारों की सैद्धान्तिक सहमति के बावजूद रेल बजटों में स्थानीय जनता को गुमराह किया गया है। इस बीच जब माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी उत्तरांचल के दौरे में आये थे, तो कौसानी में वे जनता से मिले। मैं स्वयं भी वहाँ का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे मिला और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस वित्तीय वर्ष में बागेश्वर टनकपुर रेलवे लाईन के लिए वित्तीय धनराशि स्वीकृत करेंगे। परन्तु बड़ा खेद का विषय है कि जब भारत सरकार के बजट में माननीय रेल मंत्री जी बोल रहे थे तो बागेश्वर–टनकपुर और पहाड़ की किसी भी रेल लाईन के लिए न किसी धनराशि की घोषणा की न ही यहाँ के लिए एक शब्द का जिक्र किया, जिससे हमारे पहाड़ की जनता और यहाँ के जितने आन्दोलनकारी हैं, सब आक्रोशित हैं और यह चाहते हैं कि कम से कम यह महत्वपूर्ण योजना, जो जनहितकारी है, कल्याणकारी है कम से कम इसको भारत सरकार द्वारा सीरियसली देखने की आवश्यकता थी।

माननीय अध्यक्ष जी, इस टनकपुर–बागेश्वर रेलवे लाईन से काफी लोगों को फायदा हो सकता था क्योंकि पिथौरागढ़ जनपद और बागेश्वर जनपद ऐसे जनपद हैं, जहाँ धौली गंगा योजना है और बागेश्वर में खनन का क्षेत्र है और वन क्षेत्र है। जिससे यदि रेल लाईन आ जाती तो हमारे औद्योगिक कार्यक्रम हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मान्यवर, 137 किलोमीटर लम्बी लाईन जिसमें 67 किलोमीटर रेल लाईन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समानान्तर होनी थी। टनकपुर–बागेश्वर रेल परियोजना, उत्तराखण्ड के पूर्वी सीमान्त पर इस समूचे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उत्तरी सीमा पर सैन्य दृष्टिकोण तथा नेपाल के साथ राजनैतिक एवं व्यापारिक सम्बन्धों के सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन, टनकपुर, पंचेश्वर एवं धौली गंगा सरीखे बड़े तथा अन्य मध्यम व छोटी जल विद्युत एवं क्षेत्रीय संसाधन आधारित विकास के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थापना सुविधा, मशीनरी, श्रम तथा उत्पादों के सरल एवं सस्ते परिवहन में इसकी भूमिका अतुलनीय होगी। इस सबके अतिरिक्त बागेश्वर जनपद की कत्यूर, दानपुर, कमस्यार, खरही, अल्मोड़ा जनपद की रीठागाड़ एवं चौगर्खा, पिथौरागढ़

की गनाई गंगोली तथा चम्पावत जनपद के गुमदेश का एक बड़ा भू–भाग तथा लगभग 10 लाख से अधिक जनसंख्या इस सरल एवं महत्वपूर्ण परिवहन तंत्र की सुविधा से सीधे रूप से आच्छादित हो सकेगी। इसके निमित निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित सड़क मार्गों के निर्माण से उत्तराखण्ड के इस सघन तथा उपेक्षित भू–क्षेत्र को मैदानी क्षेत्रों से सुगम एवं सरल सम्पर्क देकर सर्वसुलभ पहुँच के अन्तर्गत लाया जा सकता है। जिससे निःसंदेह यह समूचा क्षेत्र प्रदेश तथा राष्ट्रीय विकास में अपनी मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों को सहयोग कर सकेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, टनकपुर–बागेश्वर रेलवे लाईन के तथ्यपरक मूल्यांकन तथा इसकी उपादेयता के लिए निम्नांकित सारणी द्वारा उत्तराखण्ड की अन्य रेल लाईनों के उदाहरणों को देखें तो इस परियोजना का तकनीकी पक्ष जटिल नहीं है। सामान्यतया पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के तीव्र विपर्यास रेलवे निर्माण के लिए मुख्य अवरोधक सिद्ध होते हैं। जबकि टनकपुर जो कि समुद्र सतह से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, से बागेश्वर, बिलौना तक 137 किलोमीटर की दूरी में 610 मीटर की उतार–चढ़ाव होगा। इसकी तुलना में कालका–शिमला के मध्य 98 किलोमीटर की दूरी को तय करने में रेल को 1433 मीटर की ऊंचाई पार करनी होती है। रूद्रपुर–काठगोदाम के मध्य यह उच्चता 342 मीटर होगी, जबकि रेल पथ की दूरी मात्र 44 किलोमीटर की है। इसके साथ ही विचारणीय पक्ष है कि यह तकनीकी 100 वर्षों से अधिक पुरानी है, जब भाप से चलने वाले इंजनों से रेल को खींचा जाता था। इसी प्रकार कांगड़ा घाटी तथा कश्मीर में रेल सम्पर्कों के उदाहरणों द्वारा इसकी व्यवहार्यता स्वयं सिद्ध होती है। सरयू और महाकाली दोनों नदियाँ अपने समूचे पथ में भ्रंश घाटियों में प्रवाहित नहीं होतीं। इसी प्रकार रेल मार्ग के निर्माण में किसी भी प्रकार के सामाजिक विस्थापन का प्रश्न नहीं है और यह भी कि कुछ छोटे व आवश्यक रेलवे पुलों को छोड़ पूरे निर्माण में चार रेल पुलों का निर्माण होगा। यहाँ पर यह भी तथ्य समीचीन होगा कि इन प्रस्तावित पुलों की चौड़ाई मैदानी और भाबर की नदियों की विशाल चौड़ाई की तुलना में अत्यन्त कम होगी।

मान्यवर, यह जो रेलवे लाईन है, यह सरयू नदी के किनारे–किनारे आनी है और सरयू के किनारे आने से पिथौरागढ़ जनपद, अल्मोड़ा जनपद, गंगोलीहाट का हिस्सा और बागेश्वर जनपद का पूरा हिस्सा लाभान्वित होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिमालयी परियोजना है, मैं चाहता हूँ कि जनहित में और क्षेत्र के हित में, औद्योगिक हित में, अगर यह महत्वपूर्ण योजना लागू होती है तो मैं सदन को धन्यवाद दूँगा। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण संकल्प को सर्वसम्मति से पारित कर के भारत सरकार को भेजने की कृपा करें, धन्यवाद।

*श्री बलवन्त सिंह भौर्याल–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड में टनकपुर से बागेश्वर रेल लाईन की लम्बे समय से माँग की जा रही है और उसके लिए जनता भी लम्बे समय से धरना और प्रदर्शन

नोट–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर रही है। मान्यवर, मैं माननीय विधायक, श्री चन्दन राम दास जी द्वारा टनकपुर–बागेश्वर रेलवे लाईन की माँग हेतु सदन के माध्यम से संकल्प भारत सरकार को सर्वसम्मति से भेजे जाने के अनुरोध के साथ ही, उनके द्वारा कही गयी बातों का समर्थन करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

वन एवं परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम तो मैं माननीय चन्दन राम दास जी को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि कम से कम इस बहाने मुझे इस सदन में खड़े होने का अवसर दिया। (हँसी) इस हाउस में स्थिति ऐसी हो गयी है कि लगने लगा कि हम मंत्री हैं। पहले तो प्रश्नचिन्ह लग गया था कि हम मंत्री हैं या नहीं। माननीय विधायक जी ने जिस रेलवे लाईन की चर्चा की है निश्चित रूप से यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। टनकपुर से बागेश्वर को जोड़ने का और इससे कम से कम 15–20 लाख लोगों को सुविधा मिलेगी। चार जनपद बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, इन चार जनपदों के लोगों को इससे बड़ी भारी सुविधा भी मिलेगी और यह दुर्भाग्य ही मैं कहूँगा कि आजादी के पूर्व से जिस रेल लाईन की, टनकपुर–बागेश्वर रेल लाईन की चर्चा होती रही है, लेकिन आज तक इस बारे में केवल घोषणाएं हुई और कोई प्रस्ताव या किसी प्रकार का सर्वे इसमें नहीं कराया गया। जबकि एक बार सर्वे के लिए केन्द्र सरकार ने कुछ बजट भी रखा था। सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में ही इस योजना की, इस रेल लाईन की चर्चा की गई, लेकिन विश्वयुद्ध बीच में आ जाने के कारण ऐसा जानकारी में आया है कि यह बात फिर अधर में लटक गयी। 60–70 के दशक के बीच में स्वर्गीय देवकीनन्दन पाण्डेय जी द्वारा अंग्रेजी हुकुमत के द्वारा इसकी चर्चा का हवाला देते हुए पुनः इस बात को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर यह योजना अधर में अटक गयी।

80 में दशक में, जैसा माननीय विधायक जी ने बताया कि, श्रीमती इन्दिरा गाँधी उस क्षेत्र के भ्रमण पर आई और उन्होंने जनता द्वारा दिये गये ज्ञापन पर आश्वस्त किया कि हम इसका सर्वे करायेंगे और इस रेल लाईन को बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर केवल एक सर्वे के लिए मात्र थोड़ा सा बजट रखने के अलावा कोई काम नहीं हुआ और फिर इस बार माननीय रेल मंत्री जी अभी जब वहाँ क्षेत्र में गये श्रीमान् लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने अपने, जिस अंदाज में वे बोलते हैं, उस अंदाज में बड़े चटकारे लेते हुए कहा कि मैं तुरन्त इसका बजट स्वीकृत करके इस रेल लाईन की इस बजट में स्वीकृत करा दूँगा। ऐसा आश्वासन माननीय विधायक जी के नेतृत्व में जो लोग उनसे मिले थे उनके बीच में उन्होंने दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक इस पर कोई चर्चा केन्द्र सरकार ने नहीं की। अब माननीय विधायक जी ने निवेदन किया है कि इस प्रस्ताव को भारत सरकार को बनाकर भेजूँ। निश्चित रूप से मैं उनके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने को तैयार हूँ, संघर्ष करने को तैयार हूँ, जैसा वो चाहे मैं करने को तैयार हूँ, मुझे

इसमें बड़ी प्रसन्नता होगी। अगर यह रेल लाईन बन जाये तो उस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि आपके प्रस्ताव को हम पूरी ताकत के साथ, माननीय खण्डूड़ी जी से आग्रह करके, उनसे पत्र बनवाकर और विधान सभा में पारित कराके भारत सरकार को भेज देंगे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि इस संकल्प को विधान सभा को पास कराकर भारत सरकार को प्रबल संस्तुति के साथ भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में टनकपुर से बागेश्वर के लिए रेलवे लाईन का निर्माण क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति तथा जनसामान्य के हित में अत्यन्त आवश्यक है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या–12(3) पर माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या–12(4) पर माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(भोजनावकाश)

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

वित्तीय वर्ष, 2008–09 के आय–व्ययक के विवरण का प्रस्तुतीकरण

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष, 2008–09 का आय–व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि इस गरिमामय सदन के समक्ष मुझे द्वितीय बार बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस बजट के माध्यम से मेरा यह प्रयास है कि सभी माननीय सदस्यों एवं राज्य के नागरिकों के सक्रिय सहयोग से राज्य के विकास को गति व दिशा प्रदान की जाय।

आर्थिक परिवेश एवं वित्तीय प्रबन्धन :

वर्ष, 2007–08 का बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने प्रदेश की वित्तीय स्थिति तथा ऋणग्रस्तता की ओर इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया था। हम उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व का बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की

प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हैं। गत वर्ष हमने प्रथम बार राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तुत किया था। हमारा इस वर्ष फिर राजस्व सरप्लस को और अधिक बढ़ाकर रु0 1106.71 करोड़ से रु0 1794.03 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है, ये पिछले साल से रु0 687.34 करोड़ ज्यादा हैं। वर्तमान वर्ष में कुल रु0 1695.74 करोड़ के ऋण के सापेक्ष अगले वित्तीय वर्ष में लगभग रु0 300 करोड़ कम अर्थात् रु0 1395.58 करोड़ का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार हम राज्य सकल घरेलू उत्पाद से ऋणग्रस्तता के अनुपात को निरन्तर कम किये जाने की ओर अग्रसर हैं।

बजट साहित्य को और अधिक सूचनाप्रद और पारदर्शी बनाने की दिशा में इस वर्ष प्रथम बार आय–व्ययक का खण्ड–6 प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत तथा कार्यरत पदों का विवरण दिया गया है। अगले वर्ष सहायता प्राप्त संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का विवरण भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

वार्षिक योजनाः

वर्ष, 2008–09 हमारी सरकार का एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष, है जहाँ 2006–07 की तुलना में वर्ष, 2007–08 में रु0 378 करोड़ अधिक की वार्षिक योजना स्वीकृत हुई थी, वहीं वर्ष, 2008–09 में भी रु0 4775 करोड़ की योजना अनुमोदित हुई है जो इस वर्ष की तुलना में रु0 396.37 करोड़ अधिक है। इस प्रकार राज्य के विकास हेतु पुनः बढ़े हुए आकार की योजना स्वीकृत कराने में हम सफल हुए हैं।

मान्यवर,

मैं, वर्ष, 2008–09 का आय–व्ययक प्रस्तुत करने के इस अवसर पर बजट एवं अन्य प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा :–

- बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है। राजस्व में वृद्धि तथा वित्तीय अनुशासन के आधार पर हमारी सरकार पुनः दूसरी बार राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तुत कर रही है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्राविधानों तथा राज्य के लिए सुदृढ़ वित्तीय आधार बनाने के लिए वित्तीय सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जायेगा। वर्ष, 2008–09 के प्रस्तुत बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा रु0 1155.30 करोड़ रह गया है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.89 प्रतिशत है एवं वित्तीय सुधारों हेतु निर्धारित मानक 3 प्रतिशत की सीमा में है।
- आटा, मैदा, सूजी एवं दालें सामान्यजन के दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, अतः इन पर 'वैट' की दर 4 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत की जाएगी।
- अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर देय स्टॉम्प शुल्क की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत की जाएगी।

- शहरी क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर देय 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टॉम्प ड्यूटी को भी 1 प्रतिशत किया जाएगा।

- सर्किल रेट से अधिक दर पर बैनामा किए जाने की स्थिति में सर्किल रेट से अधिक की धनराशि के 50 प्रतिशत पर स्टॉम्प शुल्क की छूट दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, यह इसलिए है कि इस लेन–देन में काले धन का उपयोग हुआ ऐसा बताया जाता है और इसलिए उन लोगों को जो काले धन में नहीं व्हाइट में पैसा देना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए यह छूट दी गई है।

- रु0 1 लाख के स्थान पर रु0 3 लाख तक के कृषि ऋणों पर स्टॉम्प शुल्क की छूट प्रदान की जाएगी।

- छवि गृहों में मनोरंजन कर की दर 60% से घटाकर 40% की जायेगी।

- केबल–टेलीविजन/डी0टी0एच0 पर मनोरंजन कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत की जायेगी।

- पर्वतीय क्षेत्रों हेतु एक विशेष समग्र औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 घोषित की गई है जिसके अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास, ब्याज उपादान प्रोत्साहन, अचल पूँजी निवेश पर उपादान आदि सुविधाएं दी जायेंगी तथा इस नीति का प्रभावी क्रियान्वयन किया जायेगा।

- सरकार ने हाल ही में लघु जल विद्युत परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन योजनाओं हेतु नई ऊर्जा नीति घोषित की है। इस ऊर्जा नीति को तत्परता से लागू किया जाएगा। इससे ग्रिड के अन्तिम छोर पर विद्युत उत्पादन में लाभ तथा पारेषण में विद्युत हानियों को कम करने के साथ–साथ स्थानीय उद्यमियों/उपभोक्ता समूहों को विद्युत उत्पादन क्षेत्र में समुचित अवसर प्राप्त होगा।

- बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण तथा कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों का हाईस्कूल तक विस्तारीकरण किया जायेगा।

- अगले वित्तीय वर्ष में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पठन–पाठन प्रारम्भ किए जाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

- राज्य में आपात स्थिति में ग्रस्त व्यक्तियों को तत्काल निकटतम अस्पताल पहुँचाने के उद्देश्य से पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

- राज्य में समस्त गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी, जिसके अन्तर्गत रु0 30 हजार प्रति वर्ष चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु0 25 हजार की बीमा धनराशि दी जाएगी।

- राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कैशविहीन चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की योजना 'स्मार्ट कार्ड' के माध्यम से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

- स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पी0पी0पी0 के माध्यम से भी संचालन करने की योजनाओं का विस्तार किया जाता रहेगा।

- महिलाओं के लिए गत वर्ष प्रथम बार 'जेण्डर बजटिंग' आरम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत 18 विभागों की योजनाओं के लिए रु0 333 करोड़ की व्यवस्था थी जिसे इस वर्ष 20 विभागों में विस्तारित करते हुए रु0 656 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो वर्तमान में 5 जिलों में चल रहा है, को सभी जनपदों के लिए विस्तारित किया जायेगा।

- बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए अगले वर्ष के आय–व्ययक में अनुमोदित योनजाओं के लिए पर्याप्त बजट प्राविधान करने और बाह्य सहायतित परियोजनाओं से अधिक से अधिक संसाधन प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

- नगर विकास हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिक बजट व्यवस्था की जा रही है। केन्द्र सहायतित परियोजनाओं यथा जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन के अन्तर्गत कतिपय परियोजनाएं भारत सरकार से अनुमोदित करा ली गई हैं तथा और अधिक योजनाएं अनुमोदित कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के परिप्रेक्ष्य में कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों हेतु भी गत वर्ष की अपेक्षा अधिक बजट व्यवस्था की जा रही है।

- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अपनी स्वतंत्र निर्माण इकाई 'उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम' का गठन किया जाएगा।

- कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत बीमांकित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से गढ़वाल व कुमायूँ मण्डलों में एक–एक कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी।

- शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा सुविधा पी0पी0पी0 के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से देहरादून, हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर के लगभग 450 बच्चों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

- वर्ष, 2007–08 में प्रदेश के 21 शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों के 1027 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी 'मध्यान्ह भोजन योजना' लागू की गई है। वर्ष, 2008–09 में इस योजना को प्रदेश के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कॉलेजों में कक्षा 6, 7 व 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लागू किया जा रहा है जिससे प्रदेश के 5017 विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 393444 बच्चे लाभान्वित होंगे।

- "मध्यान्ह भोजन योजना" में कार्यरत भोजन माताओं तथा सहायिकाओं के मानदेय में 25 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। अभी वर्तमान में माननीय अध्यक्ष जी, 250 से 450 रुपये प्रतिमाह मिलता है और इस योजना के तहत साढ़े बासठ रुपये और 112.50 रुपये का फायदा प्रति कार्यकर्ता को होगा।

- उत्पादनकर्ता इकाईयों द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे माल पर 'वैट' की कर दर को 4 प्रतिशत के स्थान पर केन्द्रीय बिक्री कर की सामान्य दर के अनुरूप किया जाएगा।

- दिनांक 1–10–2005 को नई कर प्रणाली के लागू करते समय आरम्भिक स्टॉक का कई करदाता निर्धारित अवधि दिनांक 31–12–2005 तक विवरण नहीं दे पाए थे। इस अवधि को तीन माह और बढ़ाया जाएगा।

- निर्यातकों को अपने इनपुट पर दिए गए कर की वापसी शीघ्र सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक गारण्टी के स्थान पर निर्यात सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर वापसी का प्राविधान किया जाएगा।

- एक करोड़ तक के विक्रय धन वाले करदाताओं के लिए निर्धारित ऑडिट रिपोर्ट की बाध्यता में शिथिलीकरण किया जाएगा।

- कच्चे माल के साथ–साथ कन्ज्यूमेबल गुड्स पर भी इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य करने की व्यवस्था की जाएगी।

- दिल्ली से देहरादून तक हिण्डन नदी के किनारे एक्सप्रैस–वे–परियोजना, जो कि पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0 मोड) में बनायी जायेगी, के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के विचार–विमर्श किया गया तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति दे दी गई है। उत्तर प्रदेश द्वारा ग्रेटर नोएडा से कलसिया (सहारनपुर) तक उक्त एक्सप्रैस–वे बनाया जाना प्रस्तावित है। तथा

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त एक्सप्रैस–वे को कलसिया से देहरादून तक बनाने का प्रस्ताव हैं इसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से प्रारम्भिक विचार–विमर्श हुआ है।

- जौली ग्रान्ट हवाई अड्डे से थानों होते हुए रायपुर के लिए चार लेन सड़क लिंक का निर्माण किया जायेगा ताकि यात्रा समय कम हो सके।
- हरिद्वार–ऋषिकेश–मुनि–की–रेती स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन परियोजना भी लाने का विचार है जिस हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराई जा रही है।
- बेहत्तर वित्तीय प्रबन्धन व रोकड़ के दैनिक लेन–देन के अनुश्रवण हेतु प्रदेश के समस्त कोषागारों को इण्टर कनेक्टिविटी से जोड़ा जायेगा।
- आधुनिक क्रय प्रणालियों पर आधारित नये अधिप्राप्ति (प्रोसरमेन्ट) नियम लागू किए जायेंगे।
- योजनाओं में निजी पूँजी निवेश व प्रबन्धन हेतु पी0पी0पी0 योजनाओं के लिए नियोजन विभाग के अन्तर्गत पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ बनाया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इन हाईलाईट्स के बाद अब मैं विस्तार से कुछ जानकारी दे रहा हूँ।

राजकोषीय सेवाएं :

राज्य की राजकोषीय सेवाओं में वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, स्टॉम्प एवं पंजीकरण शुल्क तथा मनोरंजन कर प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में कोई नया कर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

वाणिज्य कर :

वाणिज्य कर राज्य के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। इस वित्तीय वर्ष, में गत वित्तीय वर्ष से लगभग 20 प्रतिशत अधिक कर संग्रह का अनुमान है। अगले वित्तीय वर्ष, में भी 20 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखते हुए रु0 1849.50 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य है।

विभाग का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में रु0 3.00 लाख तक की बीमा योजना को आगे भी जारी रखा जायेगा।

वाणिज्य कर अधिनियम व नियमों में उत्पादनकर्ता द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे माल की कर दर को 4 प्रतिशत के स्थान पर केन्द्रीय बिक्रीकर की सामान्य दर के अनुरूप किया जायेगा। दिनांक 1–10–2005 को नई कर प्रणाली के लागू करते समय आरम्भिक स्टॉक का कई करदाता निर्धारित अवधि दिनांक 31–12–2005 तक विवरण नहीं दे पाए थे अतः इस अवधि को तीन महीने और बढ़ाया जाएगा। निर्यातकों को अपने इनपुट पर दिये गये कर की वापसी शीघ्र सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक गारण्टी के स्थान पर निर्यात सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर वापसी का प्राविधान प्रस्तावित है। कर

निर्धारण प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से नियमित कर निर्धारण के लिए अधिनियम में प्रस्तावित 9 शर्तों में से 4 शर्तों को कम करना प्रस्तावित है और इसके साथ ही रु0 5 करोड़ तक के विक्रय धन वाले करदाताओं को नियमित कर निर्धारण हेतु कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। एक करोड़ रुपये तक के विक्रय धन वाले करदाताओं के लिए निर्धारित ऑडिट रिपोर्ट की बाध्यता में शिथिलीकरण प्रस्तावित है। कच्चे माल के साथ-साथ कन्ज्यूमेबल गुड्स पर भी इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

आटा, मैदा, सूजी एवं दालें, सामान्यजन के दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं। अतः अगले वित्तीय वर्ष से इन वस्तुओं पर 'वैट' की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की जायेगी।

वर्तमान में रु0 50 लाख तक वार्षिक स्थानीय खरीद बिक्री करने वाले करदाताओं के लिए 1 प्रतिशत एकमुश्त टैक्स देकर कम्पाउन्डिग योजना का लाभ अनुमन्य है। यह लाभ केवल पुराने करदाताओं, जिनकी गत वित्तीय वर्ष की बिक्री रु0 50 लाख से कम रही हो, को ही वर्तमान में अनुमन्य है। इसका सरलीकरण करते हुए ऐसे नए करदाता जिनकी वार्षिक बिक्री रु0 50 लाख के अन्तर्गत रहने की सम्भावना है, को भी कम्पाउन्डिग योजना का लाभ दिया जायेगा।

बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए चलाए जाने वाले कैन्टीन, जिनकी बिक्री रु0 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत है, को सकल बिक्री पर 4 प्रतिशत एकमुश्त कर जमा कराकर कम्पाउन्डिग योजना का लाभ दिया जायेगा।

रोड साइड पर स्थापित ढाबा व्यवसाईयों, जिनकी वार्षिक बिक्री रु0 50 लाख की सीमा तक है, के लिए भी 4 प्रतिशत एकमुश्त कर देकर कम्पाउन्डिग योजना लाई जायेगी।

कर अपवंचकों पर अंकुश लगाने एवं रेलवे से हो रही कर की चोरी रोकने के उद्देश्य से राज्य के 6 बड़े रेलवे स्टेशनों देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी एवं रुद्रपुर के बाहर वाणिज्य कर विभाग की जाँच चौकियां लगाया जाना प्रस्तावित है तथा प्रवर्तन कार्य को और सुदृढ़ किया जायेगा।

आबकारी :

राज्य के कर राजस्व का दूसरा प्रमुख स्रोत आबकारी है। वित्तीय वर्ष, 2007-08 हेतु निर्धारित लक्ष्य रु0 461.98 करोड़ का था जिसके सापेक्ष वर्ष, 2008-09 में रु0 501 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य है।

मदिरा की तस्करी की रोकथाम हेतु अनुज्ञापियों या बॉण्ड धारकों द्वारा अन्य प्रदेशों से लायी जा रही मदिरा व बियर तथा प्रदेश के अन्दर थोक आपूर्ति हेतु परिवहन की जा रही मदिरा का परिवहन निर्धारित मार्ग से ही अनुमन्य किया गया है। साथ ही प्रवर्तन कार्यों पर और अधिक ध्यान दिया जायेगा।

स्टॉम्प एवं रजिस्ट्रेशन :

स्टॉम्प एवं पंजीकरण शुल्क में वर्ष, 2007–08 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 465.66 करोड़ के सापेक्ष वर्ष, 2008–09 में रु0 485.04 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य है। अगले वित्तीय वर्ष से अचल सम्पत्ति के विक्रय पर स्टॉम्प शुल्क की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत की जायेगी। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टॉम्प ड्यूटी को कम कर 1 प्रतिशत किया जायेगा। सर्किल रेट से अधिक दर पर बैनामा कराने पर सर्किल रेट से अधिक धनराशि पर स्टॉम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। जनता की सुविधा के लिए पंजीकरण कार्यालयों का चरणबद्ध रूप से कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

मनोरंजन कर :

प्रदेश की जनता को सस्ता एवं सुलभ मनोरंजन उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से नये मल्टीप्लेक्स छवि गृह खोलने तथा बन्द पड़े छवि गृहों को तोड़कर सिनेमा हॉल व व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का पुनर्निर्माण किए जाने का प्राविधान नियमों में किया जायेगा। छवि गृहों में मनोरंजन कर की दर 60 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत की जायेगी तथा केबल/डी0टी0एच0 में मनोरंजन कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत की जायेगी।

परिवहन :

प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास में परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में सड़क परिवहन ही यातायात का मुख्य साधन है। राज्य सरकार जनता को सरल, सुलभ एवं वहन योग्य परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की ओर प्रयत्नशील है। प्रदेश में मार्ग दुर्घटनाओं, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

परिवहन निगम के सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 12 करोड़ अंशपूंजी निवेश/ऋण का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष, 2008–09 में परिवहन विभाग के सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु रु0 2.65 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार हेतु दूरी कम करने के उद्देश्य से नई रेल लाईनों के निर्माण हेतु भूमि प्रतिकर भुगतान के लिए रु0 47 करोड़ का प्राविधान है।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास :

सड़क एवं सेतु, ऊर्जा, सिंचाई, जलापूर्ति, सूचना प्रौद्योगिकी, नागरिक उड्डयन विकास को गति प्रदान करने के लिए मौलिक आवश्यकताएं हैं। चिकित्सा तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा भी मानव संसाधन विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों को हमने अपने बजट में विशेष प्राथमिकता दी है।

सड़क एवं सेतु :

सरकार राज्य के अन्तर्गत सड़क संयोज्यता की स्थिति में सुधार हेतु निरन्तर प्रयासरत है। लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 13 नए खण्डों का सृजन व सिंचाई विभाग के 6 खण्डों को लोक निर्माण विभाग के साथ सम्बद्ध करने से कार्यों की प्रगति में अनुकूलन प्रभाव पड़ा है। वर्तमान कच्चे मार्गों को पक्का करने तथा जीर्ण–शीर्ण स्थिति वाले मार्गों के जीर्णोद्धार तथा यथावश्यकता मार्गों के विस्तारीकरण हेतु ए०डी०बी० वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता अनुसार क्रियान्वयन किया जायेगा।

राज्य के अन्तर्गत विभिन्न शासकीय निर्माण कार्यों को पूर्व निर्धारित लागत, समय गुणवत्ता, मानकों और विशिष्टियों के आधार पर पूर्ण करने के लिए सरकार ने "उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम" के गठन का निर्णय लिया है जिसके लिए रु0 1 करोड़ की अंशपूँजी हेतु व्यवस्था की गई है। लोक निर्माण विभाग के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष, 2007–08 के आय–व्ययक प्राविधान रु0 845.45 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष, 2008–09 में रु0 1058.25 करोड़ का बजट प्राविधान है।

ऊर्जा :

राज्य की विद्युत मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है जो एक अच्छा संकेत है परन्तु साथ ही विद्युत की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति, वहन योग्य दरों पर विद्युत आपूर्ति, विद्युत वितरण के परिप्रेक्ष्य में की तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को मान्य स्तर तक कम से कम समय में लाने, विद्युत सुरक्षा/संरक्षण एवं नवीकृत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की चुनौती भी हमारे सम्मुख है।

राज्य में लगभग 25000 मेगावाट से अधिक क्षमता की जल विद्युत उत्पादन सम्भावना चिन्हित की गई है। इस सम्भावना के सापेक्ष अभी तक केवल 2819 मेगावाट क्षमता का विदोहन हो पाया था। हाल ही में मनेरी भाली द्वितीय चरण (304 मेगावाट) परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत रु0 84 करोड़ का प्राविधान लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए है। पाला–मनेरी (480 मेगावाट) सहित कुछ अन्य जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण भी प्रारम्भ करने हेतु सरकार प्रयासरत है।

यह पूर्ण प्रयास है कि इस वित्तीय वर्ष, में राज्य के सभी गाँवों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया जाए तथा वर्ष, 2009 तक प्रत्येक घर तक विद्युत पहुँच सुनिश्चित हो जाए। इन लक्ष्यों हेतु कार्य प्रगति पर है।

वर्ष, 2008–09 के अन्त तक सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक विद्युत हानियों को वर्तमान 38 प्रतिशत के स्थान पर 24 प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य है।

दूरस्थ गाँवों व तोकों में स्थानीय स्तर पर विद्युत पूर्ति के लिए उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों/योजनाओं का उपयोग कर ऐसे क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करने हेतु कार्य प्रगति पर है।

दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित 34 माइक्रोहाईडिल परियोजनाओं से समूहीकरण माध्यम से कार्बन ट्रेडिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है, जिस हेतु मेजबान देश (होस्ट कन्ट्री) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में अन्य क्षेत्रों में भी कार्बन ट्रेडिंग लाभ प्राप्त करने के प्रयास किए जायेंगे।

ऊर्जा की विभिन्न योजनाओं के लिए रु0 661.59 करोड़ का प्राविधान है।

पेयजल :

पेयजल क्षेत्र की सेवाओं में सुधार हेतु सरकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनासहभागिता के आधार (स्वेप) पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ-साथ स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किए जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष, 2008-09 में रु0 179.55 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इस धनराशि में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए रु0 30 करोड़, हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के लिए रु0 21 करोड़, राज्य सेक्टर ग्रामीण के अन्तर्गत वृहद योजनाओं के निर्माण हेतु रु0 60 करोड़, यात्रा मार्गों एवं यात्रा स्थानों पर पेयजल व्यवस्था हेतु रु0 1 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या तथा जल स्रोतों के घटते स्राव को दृष्टिगत रखते हुए जल स्रोतों के संवर्द्धन एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं हेतु रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत रु0 2 करोड़ का प्राविधान है। बाह्य सहायतित पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत रु0 175 करोड़ का प्राविधान है।

भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य के चयनित तीन नगरों देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में पेयजल, जलोत्सारण एवं मल निकासी सुविधा हेतु प्राथमिकता पर योजनाएं तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

नगरों में पेयजल व्यवस्था के पुनर्गठन/सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 10 करोड़ का प्राविधान है।

पतित पावनी गंगा एवं सहायक नदियों को स्वच्छ रखने के लिए गंगा कार्य योजना प्रथम चरण की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु रु0 10 करोड़, उत्तराखण्ड में गंगा कार्य योजना में स्वीकृत अतिरिक्त कार्यों हेतु रु0 5 करोड़ तथा गंगा एवं यमुना नदियों की सफाई हेतु रु0 50 लाख का प्राविधान है।

सिंचाई एवं लघु सिंचाई :

राज्य में असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं सृजित करने, सृजित सिंचाई सुविधाओं का सुचारु रख–रखाव तथा सिंचाई हेतु पानी को किसानों के खेतों तक पहुँचाने के दौरान जल की हानि को कम करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न स्रोतों से अधिक से अधिक वित्त पोषण के लिए प्रयास कर रही है। तद्नुरूप आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष, 2008–09 में रु0 627.16 करोड़ का प्राविधान है जिसमें त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अधीन रु0 504 करोड़, नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं के लिए रु0 3 करोड़ एवं बाढ़/नदी कटाव से बचाव योजनाओं हेतु रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

जनपद हरिद्वार की स्थानीय नहरों का उत्तर प्रदेश से हस्तान्तरण शीघ्र होना सम्भावित है। इन नहरों के अनुरक्षण हेतु नई योजना के रूप में रु0 75 लाख का बजट प्राविधान है।

लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से राज्य के पर्वतीय जनपदों में सिंचाई, गूल, हौज एवं हाइड्रम तथा मैदानी क्षेत्र में आर्टीजन कूप, बोरिंग पम्प सेट आदि निर्माण से अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष, 2008–09 हेतु लघु सिंचाई योजनाओं के लिए रु0 391.16 करोड़ का प्राविधान है।

नागरिक उड्डयन :

राज्य में व्यापक पर्यटन सम्भावनाओं को विकसित करने एवं औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत राज्य के लिए विमानन सुविधाओं का शीघ्र एवं यथोचित विकास किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। जौलीग्रांट हवाई अड्डे को कार्गो एयर पोर्ट के रूप में विकसित करने की योजनान्तर्गत जौलीग्रांट में विस्तारित रन–वे का निर्माण कार्य पूर्ण कर नान–शिड्यूल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया है तथा व्यावसायिक सेवाएं शीघ्र आरम्भ हो जायेंगी।

नैनी–सैनी हवाई पट्टी का विस्तारीकरण एवं उच्चीकरण किया जायेगा। प्रत्येक जनपद में उपयुक्त स्थलों पर कम से कम एक हैलीपैड के निर्माण की योजना बनाई गई है और अन्य स्थानों के लिए परीक्षण किया जा रहा है। उक्त सभी योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष, 2008–09 के लिए रु0 42 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

शासन व्यवस्था में सुधार व पारदर्शी, सुदृढ तथा विश्वसनीय शासनतंत्र की स्थापना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का हर स्तर पर उपयोग एक अनिवार्यता बन चुकी है।

राष्ट्रीय ई–शासन योजना (एन0ई0जी0पी0) के अन्तर्गत राज्य के लिए ई–गवर्नेन्स तथा सेन्ट्रल डाटा सेन्टर के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न कार्यों के लिए रु0 26.58 करोड़ की व्यवस्था है।

शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण :

उत्तराखण्ड राज्य विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। वर्तमान में राज्य सरकार प्रदेश में शत प्रतिशत साक्षरता दर को प्राप्त करने हेतु कृत संकल्प है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु रु0 867.74 करोड़ का प्राविधान है।

कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु रु0 3.98 करोड़ तथा मध्यान्ह भोजन योजना रु0 108.80 करोड़ का प्राविधान है।

कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 8 की छात्राएं आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियोंवश पुनः शिक्षा छोड़ने को मजबूर न हो जाएं, इसके लिए उनके भावी अध्ययन हेतु इन विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकरण किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान नई मांग से किया गया है।

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय के इण्टर कॉलेज को आवासीय विद्यालय में परिवर्तन किए जाने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही माध्यमिक स्तर पर छात्रों के शिक्षा त्यागने को रोकने एवं शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य में मुक्त विद्यालय खोलने की योजना बनाई जा रही है।

राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु रु0 15 करोड़ का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त हाई स्कूल एवं इण्टर कॉलेजों मे प्रयोगशाला निर्माण हेतु रु0 5.50 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य में संस्कृत शिक्षा के विकास के उद्देश्य से शासन स्तर पर पृथक संस्कृत शिक्षा निदेशालय व जिला स्तरीय ढांचे का गठन किया जायेगा।

उच्च शिक्षा :

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं जिसमें असेवित एवं पिछड़े क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, महाविद्यालयों का ढाँचागत विकास आदि सम्मिलित हैं। उच्च शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष, 2008-09 में रु0 132 करोड़ का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष, 2008-09 के लिए आयोजनागत कार्यों हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के विकास हेतु रु0 8.10 करोड़, कुमायूँ विश्वविद्यालय के लिए रु0 7 करोड़, दून विश्वविद्यालय के लिए रु0 15 करोड़, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए रु0 1 करोड़ तथा मुक्त विश्वविद्यालय के लिए रु0 90 लाख का प्राविधान है।

तकनीकी शिक्षा :

वर्तमान में राज्य में 28 राजकीय पॉलिटैक्निक सहित 39 पॉलिटैक्निक हैं। पॉलिटैक्निकों में शिक्षण प्रशिक्षण को अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने पर बल दिया जा रहा है।

इंजीनियरिंग कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष, 2008–09 में आयोजनागत पक्ष में रु0 13.87 करोड़ का प्राविधान है जिसमें घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज हेतु रु0 5.75 करोड़, कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट हेतु रु0 3 करोड़, पन्तनगर कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी हेतु रु0 3.62 करोड़ तथा तकनीकी विश्वविद्यालय हेतु रु0 1.50 करोड़ का प्राविधान हैं। विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के द्वितीय फेज को लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

खेल :

राज्य में खेलों के विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं का निरन्तर सृजन किया जा रहा है। प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा क्रीड़ा उपस्करों के क्रय हेतु रु0 70 लाख का प्राविधान है। स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में एक बालिका छात्रावास का निर्माण किया जायेगा जिसके लिए रु0 1 करोड़ की व्यवस्था है। अगले वर्ष, शीतकालीन साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, जो औली तथा देहरादून में आयोजित किए जायेंगे, के लिए रु0 50 करोड़ की व्यवस्था है।

युवा कल्याण :

युवा कल्याण के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम की योजना के अन्तर्गत 37 मिनी स्टेडियम निर्माणाधीन हैं। इन स्टेडियमों के निर्माण हेतु रु0 6.04 करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा :

राज्य सरकार जनसामान्य को गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सुरक्षित संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए 200 परिवार कल्याण उप केन्द्रों का विस्तारीकरण किया जा रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, परिवार कल्याण उप केन्द्रों के भवन निर्माण व राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण प्रस्तावित हैं।

प्रत्येक विकास खण्ड में आधारभूत सुविधाओं से युक्त चिकित्सालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जा रही है। सुदूर क्षेत्रों में जनसामान्य को सचल चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सा तथा निदान सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।

बी0सी0सी0 नर्सिंग कालेज का भवन निर्माण कार्य गतिमान है, जिसकी स्थापना वर्ष, 2008–09 में की जायेगी। मानव संसाधन की कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार सार्वजनिक–निजी सहभागिता के आधार पर विशिष्ट निदान सेवाएं, प्राथमिक उपचार सेवाएं, मोबाइल चिकित्सा सेवाएं तथा मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाएं उपलब्ध

करायेगी। देहरादून स्थित गाँधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय को तृतीय स्तर की नेत्रोपचार सुविधाओं हेतु उच्चीकृत किया जायेगा।

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में कुल 543 राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सालय कार्यरत हैं। उक्त चिकित्सालय सुदूर असेवित ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक की जनता को प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति से लाभान्वित कर रहे हैं। पंचकर्म सहायक एवं नर्सेज प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने का भी लक्ष्य आगामी वित्तीय वर्ष, 2008–09 में प्रस्तावित है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विस्तार के लिए प्लान में रु0 1.80 करोड़ का प्राविधान है।

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है जिसमें कॉलेज के लिए अधिकांश भवनों का निर्माण द्रुत गति से किया जा रहा है और फैकल्टी सहित 289 पदों का सृजन किया जा चुका है एवं फैकल्टी के 47 पदों पर तैनाती भी कर दी गई है। प्रथम वर्ष, हेतु आवश्यक भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इस मेडिकल कॉलेज का सत्र वर्ष, 2008–09 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष, 2008–09 में राज्य में समस्त गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए "सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना" लागू की जायेगी। इस योजना में प्रत्येक परिवार को रु0 30 हजार प्रति वर्ष, तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जायेगी। इसी के साथ, परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु0 25 हजार की बीमा धनराशि भी दी जायेगी। परिवार के कमाऊ मुखिया की बीमारी या दुर्घटना के कारण चिकित्सालय में भर्ती होने पर रु0 50 प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा (अधिकतम 15 दिन के लिए) देय होगा। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस चार्जेज हेतु आए खर्च की एक सीमा तक प्रतिपूर्ति भी की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स हेतु कैशविहीन चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए कर्मचारियों/पेंशनर्स को स्मार्ट कार्ड प्रदान किये जायेंगे। इस योजना के लिए रु0 1 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु रु0 25 लाख का प्राविधान है।

चिकित्सा क्षेत्र के विभिन्न आयोजनागत कार्यों के लिए गत वर्ष, के आय–व्ययक अनुमानों के सापेक्ष लगभग 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हुए रु0 323.26 करोड़ का प्राविधान है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

प्रदेश में विज्ञान का लोकव्यापीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का राज्य के चहुँमुखी विकास हेतु प्रत्येक स्तर पर उपयोग, विकास योजनाओं का निरुपण तथा क्रियान्वयन में अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र की सक्रियता आदि की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रु0 3.75 करोड़ का प्राविधान है। राज्य सरकार देहरादून में साइंस सिटी की स्थापना के लिए भी प्रयास कर रही है।

औद्योगिक विकास :

राज्य में लागू विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित हो रहे हैं, इसके लिए बड़े औद्योगिक आस्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इनमें नई इकाईयां स्थापित हो भी चुकी हैं, तथा अन्य कतिपय इकाईयां स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रदेश के उद्योगों में निवेश के 3350 से अधिक नए प्रस्ताव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अब तक कुल 976 बड़ी इकाईयां उत्पादन में आ चुकी हैं, जिनमें लगभग रु0 7722 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है तथा लगभग 55047 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। स्थापनाधीन सभी उद्योगों के भी उत्पादन में आने से लगभग दो लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा इससे अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार के बड़ी मात्रा में अवसर सृजित होंगे एवं दूसरी ओर राजस्व में भी परोक्ष रूप से वृद्धि होगी।

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में अपेक्षित मात्रा में औद्योगिक विकास एवं पूँजी निवेश नहीं हो सका है। अतः सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित किया जाए तथा इसके लिए वहाँ पर अतिरिक्त प्रोत्साहन सहायता व सुविधाएं प्रदान की जाए। अतः पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 के तहत सुविधाओं का एक समग्र पैकेज दिया जा रहा है तथा इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।

शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी0एम0आर0वाई0) प्रायोजित की गयी है। प्रदेश सरकार के अनुरोध पर लाभार्थियों का लक्ष्य 8000 निर्धारित कर दिया गया है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के छोटे कारीगरों व बुनकरों को विपणन प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के प्रमुख यात्रा मार्गों, पर्यटन केन्द्रों में "हिमाद्रि" नाम से इम्पोरियम स्थापित किए जा रहे हैं।

भारत सरकार के सहयोग से दो हथकरघा क्लस्टर स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा पाँच प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गये हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों को प्रोत्साहित किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

खनिजों से प्राप्त राजस्व की वृद्धि हेतु खनिज नीति में संशोधन पर सरकार विचार कर रही है। वर्ष, 2008–09 में कुल रु0 85 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए रु0 56.68 करोड़ का प्राविधान है।

शहरी एवं आवास विकास :

आबादी की वृद्धि को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं का विकास तेजी से किया जाना आवश्यक है और साथ ही स्थानीय शासन व्यवस्था (लोकल गवर्नेन्स) को भी सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

वर्तमान में विभिन्न केन्द्र पोषित/केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं सहित अवस्थापना विकास/सुधार, सफाई, रोजगार सृजन आदि विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) योजना के अन्तर्गत राज्य के तीन शहरों देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल का चयन किया गया है। इन नगरों हेतु रु0 252.72 करोड़ की सिटी डेवलपमेंट योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। देहरादून के नगरीय जलापूर्ति पुनर्गठन हेतु रु0 70.02 करोड़, नैनीताल नगर क्षेत्र की जलापूर्ति पुनर्गठन हेतु रु0 5.47 करोड़ तथा हरिद्वार जलापूर्ति पुनर्गठन हेतु रु0 47.84 करोड़ की परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इन योजनाओं हेतु वर्ष, 2008–09 में रु0 68.74 करोड़ का बजट प्राविधान है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत ही शहरी गरीबों के लिए मलिन बस्ती सुधार एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से रु0 13.86 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हो गई है जिस हेतु वित्तीय वर्ष, 2008–09 में रु0 4 करोड़ का प्राविधान है।

जे0एन0यू0आर0एम0 के उप मिशन "एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम" के अन्तर्गत देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार को छोड़कर अन्य शहरों की मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु अभी तक पौड़ी एवं श्रीनगर की योजना व डी0पी0आर0 पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

नगरों की उचित सफाई व्यवस्था हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यक्रम हेतु वर्ष, 2008–09 में रु0 6.60 करोड़ का प्राविधान है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए0डी0बी0) सहायतित परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 31 चयनित नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जलापूर्ति, जल निकासी (ड्रेनेज) और अवस्थापना विकास सुविधाओं के सम्बन्ध में 500 मिलियन अमरीकी डालर की ए0डी0बी0 के निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुति की जा चुकी है। इस परियोजना को चार चरणों में विभाजित किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 86 मिलियन अमेरिकी डालर की संस्तुति भी प्राप्त हो गई है। यह परियोजना 2015 तक चलेगी। शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 171.25 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

कुम्भ मेला–2010 :

कुम्भ मेला 2010 हेतु रु0 48.50 करोड़ का प्राविधान है।

संस्कृति :

उत्तराखण्ड की गौरवमयी लोक पारम्परिक सांस्कृतिक विरासत अपना एक अलग स्थान रखती है। पवित्र गंगा–यमुना के उद्गम स्थल एवं मनीषियों–ऋषियों की तपस्थली, वेद पुराणों की रचना केन्द्र, देवभूमि के नाम से ख्याति प्राप्त, इस क्षेत्र का विशेष महत्व है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रख–रखाव एवं उन्नयन हेतु संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला आदि का विकास किया जा रहा है। वर्ष, 2008–09 में संस्कृति विभाग के लिए रु0 14.75 करोड़ का प्राविधान है।

पर्यटन :

राज्य को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन आकर्षण के रूप में स्थापित कर, पर्यटन को प्रदेश की आर्थिक विकास की धुरी के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 'वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली' योजनान्तर्गत वर्ष, 2008–09 में रु0 6 करोड़ का प्राविधान है।

विश्व पर्यटन संगठन के विषय विशेषज्ञों के द्वारा पर्यटन मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसकी रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होनी सम्भावित है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों व प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुगम आवागमन हेतु कई रोप–वे परियोजनाएं परिकल्पित की जा रही हैं।

हरिद्वार–ऋषिकेश–मुनि की रेती–स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन सर्किट के विकास हेतु स्वीकृति परियोजना रिपोर्ट आई0टी0डी0सी0 दिल्ली के माध्यम से तैयार कराई जा रही है। साहसिक पर्यटन को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन विकास की योजनाओं के लिए वर्ष, 2008–09 में रु0 81.76 करोड़ का प्राविधान है।

समाज कल्याण :

सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं निःशक्तजनों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की ओर सतत प्रयत्नशील है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षिक विकास हेतु छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति, तकनीकी शिक्षा के लिए उन्हें पाठ्य पुस्तकों तथा उपकरणों के रूप में सहायता दी जा रही है।

प्रदेश में इस समय कुल 22 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं जिनके लिए वर्ष, 2008–09 के लिए रु0 14.28 करोड़ का प्राविधान है।

अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को वर्ष, 2008–09 में छात्रवृत्ति हेतु रु0 14.05 करोड़ का प्राविधान है। गौरा देवी कन्या धन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित समस्त बी0पी0एल0 परिवारों की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को रु0 25 हजार की धनराशि राष्ट्रीय बचत–पत्र के रूप में दी जा रही है जिसके लिए वर्ष, 2008–09 में रु0 8 करोड़ का प्राविधान है।

कल्याणकारी योजनान्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग भरण–पोषण अनुदान, विधवा भरण पोषण अनुदान के अन्तर्गत लगभग रु0 107.09 करोड़ का बजट प्राविधान है। सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान, वृद्ध/अशक्त लोगों के लिए आश्रम की व्यवस्था, भिक्षुक गृह व्यवस्था आदि पर वर्ष, 2008–09 के लिए लगभग रु0 42 लाख का प्राविधान है।

बी0पी0एल परिवारों की सामाजिक सुरक्षा हेतु जनश्री बीमा योजनान्तर्गत वर्ष, 2008–09 के लिए रु0 6.24 करोड़ का प्राविधान है।

सैनिक कल्याण :

राज्य में काफी संख्या में पूर्व सैनिक, पूर्व सैनिकों की विधवाएं तथा आश्रित हैं, जिनकी देखभाल के लिए केन्द्र व राज्य सरकार बराबर जिम्मेदारी वहन कर रही है। सैनिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष, 2008–09 में लगभग रु0 14.54 करोड़ का प्राविधान है। राज्य में ईको टास्ट फोर्स की चार अतिरिक्त कम्पनियों की स्थापना की कार्यवाही की जाएगी जिसमें दो कम्पनी गढ़वाल एवं दो कम्पनी कुमाऊं में स्थापित की जायेंगी।

कृषि, जलागम एवं गन्ना विकास :

राज्य सरकार कृषि में चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। वर्ष, 2007–08 के आय–व्ययक अनुमान की तुलना में वर्ष, 2008–09 में कृषि विभाग के लिए गत वर्ष के सापेक्ष 27 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए बजट प्राविधान किया गया है।

राज्य में कृषि विविधीकरण तथा जैविक खेती कार्यक्रम को विस्तार दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय दलहनी फसलों के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। आधुनिक परिवेश में सूचना तकनीकी के वृहद् स्तर पर उपयोग के लिए सभी विकास खण्ड मुख्यालयों पर किसान सूचना केन्द्रों की स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है।

कृषि क्षेत्र में शिक्षण, शोध एवं प्रसार कार्य को गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय संचार केन्द्र में एक एफ0एम0 रेडियो स्थापित करने की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त की गई है एवं विश्वविद्यालय संचार केन्द्र पर ओपन यूनिवर्सिटी के सहयोग से डिग्री व डिप्लोमा के 11 पाठ्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।

प्राकृतिक संसाधनों यथा जल, जमीन तथा वनों के सुनियोजित उपयोग व प्रबन्धन तथा कृषि आधारित कार्यक्रमों को जन उपयोगी बनाने हेतु जलागम प्रबन्धन एवं विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

राज्य के गन्ना किसानों हेतु सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। सरकार सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों एवं गन्ना उत्पादन में सुधार के लिए भी प्रयास कर रही है। गन्ना विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए रु0 9.65 करोड़ का प्राविधान है।

उद्यान :

राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों तथा जलवायु को देखते हुए कृषि योग्य भूमि का अधिकतम एवं लाभकारी उपयोग औद्यानिकी फसलों से सम्भव है। साथ ही फूलों व जड़ी–बूटियों के लिए भी यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राजकीय एवं निजी क्षेत्र में औद्यानिक फसलों आदि के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। वर्ष, 2008–09 में योजनागत कार्यों के लिए, औद्यानिक क्षेत्र, जड़ी–बूटी/भेषज तथा रेशम विकास के लिए कुल रु0 45.69 करोड़ का प्राविधान है।

पंचायती राज :

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष, 2007–08 में ग्राम पंचायतों को रु0 79.80 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को रु0 31.98 करोड़ तथा जिला पंचायतों को रु0 32.75 करोड़ की धनराशि दी गई। वर्ष, 2008–09 में इस हेतु रु0 216 करोड़ का प्राविधान है।

सहकारिता :

सहकारिता के माध्यम से अति न्यून इकाईयों से उत्पादन, वितरण तथा विपणन आदि का क्रियान्वयन एवं संचालन लाभप्रद रूप से किया जा रहा है तथा उत्पादकों को उचित मूल्य पर इनपुट समय से मिल रहे हैं। कृषकों को उनके घर के नजदीक फसली ऋण एवं कृषि निवेश उपलब्ध कराने में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है।

वर्ष, 2008–09 में जिला सहकारी बैंकों के कम्प्यूटराईजेशन, सहकारी विपणन संघ के भवन निर्माण एवं अन्य योजनाओं हेतु कुल रु0 20.88 करोड़ का प्राविधान है।

वन :

राज्य के वन क्षेत्र का उत्तराखण्ड राज्य के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश व हिमालयी क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में 64.79 प्रतिशत अभिलिखित वन क्षेत्र हैं। जबकि वनाच्छादित क्षेत्र 45.74 प्रतिशत है, जिससे राज्य की प्रत्येक योजना व गतिविधि में वानिकी क्षेत्र का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव रहता है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में 66 प्रतिशत वनाच्छादन का लक्ष्य वर्णित है जिसे प्राप्त करने के लिए राज्य में वृक्षारोपण नीति प्रतिपादित है। इस नीति के अन्तर्गत रिक्त/अनवरत रूप में उपलब्ध वन भूमि, गैर वन भूमि, निजी भूमि इत्यादि में अगले 20 वर्षों में लगभग 5000 वर्ग कि0मी0 भूमि में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। वानिकी के क्षेत्र में जन सहभागिता के माध्यम से वनों के प्रबन्धन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है एवं वन पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं।

औषधीय एवं सुगन्ध पादप राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वन विभाग के माध्यम से राज्य भर में 29 जड़ी–बूटी पौधालयों की स्थापना की गई है तथा 473 पौधालयों में अन्य पौधों के साथ जड़ी–बूटी पौधों का उत्पादन किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड की जैव विविधता एवं विभिन्न भौगोलिक आकर्षण इको–टूरिज्म के सन्दर्भ में भी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। अतः इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जायेगा। वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए आयोजनागत पक्ष में रु0 192.97 करोड़ का प्राविधान है।

ग्राम्य विकास :

सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं के विकास, क्षेत्रीय विकास, गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीणों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। राज्य में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजनपरक योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत 12809 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है व रु0 10 करोड़ का प्राविधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण व प्रतिकर हेतु रु0 54.50 करोड़ का प्राविधान है। बाह्य सहायतित हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना के लिए लगभग रु0 35 करोड़ का प्राविधान है।

विधायक निधि एवं क्षेत्र निधि :

विधायक निधि के अन्तर्गत रु0 86.97 करोड़ का प्राविधान है। क्षेत्र निधि के अन्तर्गत भी रु0 27.75 करोड़ का प्राविधान है।

पशुपालन, डेरी विकास तथा मत्स्य पालन :

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एवं डेरी विकास का योगदान महत्वपूर्ण है। दुधारू पशुओं की नस्ल को सुधारने एवं पशुओं के रोगों की रोकथाम व बचाव की व्यवस्था करने का दायित्व उत्पादन वृद्धि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष, 2008–09 में गौ–विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, चारा बैंक, गौ सेवा आयोग तथा गौ सदनों आदि की स्थापना प्रस्तावित है। शासकीय अनुदान पर पशुपालकों को चारा काटने की मशीन तथा निःशुल्क बकरा सांड वितरण योजनाएं प्रस्तावित हैं।

डेरी उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त साधन के रूप में विकसित करने तथा नगरों, यात्रा मार्गों, तीर्थ स्थानों आदि में उत्तम गुणवत्ता के दूध एवं दुग्ध पदार्थों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। वर्ष, 2008–09 हेतु डेरी विकास की योजनाओं हेतु रु0 13.86 करोड़ का प्राविधान है।

मानव निर्मित विशाल टिहरी जलाशय में मत्स्यकी विकास की सम्भावनाएं उत्पादन हुई हैं, अतः टिहरी जलाशय में मत्स्य की स्थापना एवं संवर्द्धन हेतु एक मत्स्य प्रक्षेत्र हैचरी की स्थापना की जायेगी। मत्स्य विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 8.12 करोड़ का प्राविधान है।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन :

विभाग के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना व शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना क्रियान्वित की जा रही है जिससे निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में सेवायोजन तथा स्वतः रोजगार के लिए सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी सक्षम हो जाता है। प्रत्येक वर्ष राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उत्तीर्ण होने वाले लगभग 4000 प्रशिक्षणार्थियों की सुविधा के लिए प्रदेश में 2 प्लेसमेंट सेंटर खोले जाने प्रस्तावित हैं।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

प्रदेश की प्रगति हेतु सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सुरक्षा, विधि सम्मत व्यवस्था, मौलिक एवं मानवाधिकारों की रक्षा आदि विभिन्न पहलुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अपराधों के अन्वेषण में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी अपनाने, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने आदि के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। पुलिस प्रशासन में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, अभियोजन विभाग तथा कारागार विभाग का भी विशेष योगदान है।

आधुनिक अपराधों के अनावरण एवं नियंत्रण हेतु जनपद हरिद्वार में बम निरोधक दस्ते तथा 2 अतिरिक्त श्वान दलों की व्यवस्था के लिए रु0 31.04 लाख का प्राविधान है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 1 कारागार की स्थापना किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के लिए वित्तीय वर्ष, 2008–09 में रु0 20.02 करोड़ का प्राविधान है।

होमगार्ड्स:

प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान है। होमगार्डों के मानदेय के लिए रु0 7.50 करोड़ का प्राविधान है।

न्याय :

अधीनस्थ न्यायालयों में मूलभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष, 2008–09 में रु0 10 करोड़ का प्राविधान है।

राजस्व :

उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा व पर्यटन आदि क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिल सके, इस दृष्टि से निवेशकों से प्राप्त भूमि क्रय प्रस्तावों को यथा सम्भव शीघ्रता से अनुमति दी जायेगी।

प्रदेश के एक बड़े भू–भाग पर राजस्व पुलिस कार्यरत है। इस दृष्टि से कानून व्यवस्था में राजस्व पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्व पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं तथा राजस्व पुलिस को वाहन, दूरसंचार एवं जाँच आदि के उपकरणों से भी सुसज्जित किया जा रहा है।

राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत खतौनी के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अगले चरण में खसरा, भूमि पंजीकरण, दाखिल खारिज एवं भूमि के मानचित्र को भी कम्प्यूटरीकृत कराए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। समस्त तहसीलों को इस कार्य के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है।

राजस्व प्रशासन को फील्ड स्तर पर चुस्त–दुरुस्त किये जाने एवं कार्यों के नियमित अनुश्रवण किये जाने की दृष्टि से मुख्य राजस्व आयुक्त संगठन को और अधिक सुदृढ़ एवं समर्थ बनाए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आपदा प्रबन्धन :

उत्तराखण्ड राज्य का अधिकांश भू–भाग दैवीय आपदाओं की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। पूर्व में दैवीय आपदाओं की घटना के उपरान्त प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही के रूप में प्रभावितों को राहत वितरण तथा क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों को कम से कम समय में उपयोग लायक बनाने की व्यवस्था तक ही मुख्यतः कार्यवाही सीमित थी। अब इसके साथ–साथ आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण कार्यों पर भी पूर्णरूपेण ध्यान केन्द्रित करने की व्यवस्था हो चुकी है। आपदा प्रबन्धन अधिनियमों के प्राविधानों के अनुरूप राज्य व प्रत्येक जनपद स्तर पर आपका प्राधिकरण और आपदा न्यूनीकरण नाम से दो–दो निधियाँ बनाने की व्यवस्था की जा रही है। उक्त निधियों हेतु वर्ष, 2008–09 में रु0 8.75 करोड़ का प्राविधान है। साथ ही आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के लिए रु0 2 करोड़, आपदा राहत निधि हेतु रु0 100.67 करोड़ सहित आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत कुल रु0 117.52 करोड़ का बजट प्राविधान है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बी0पी0एल0 योजनान्तर्गत तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोग ए0पी0एल0 योजनान्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं। महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए रु0 4 करोड़ का प्राविधान है। यह योजना इस वर्ष शुरू की गई थी जो दुर्गम क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के लिए है और यह इस वर्ष भी जारी रहेगी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क :

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित कराता है तथा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं की जानकारी

विभिन्न संचार माध्यमों से जन–जन तक पहुँचाने में भी समन्वय करता है। मीडिया सरकार की नीतियों व योजनाओं की विवेचना करते हुए सरकार को अपनी नीतियों व योजनाओं को और परिष्कृत करने में सहायता करता है। प्रदेश सरकार मीडिया के हितों को संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रयासरत है। जिला स्तर पर प्रेस क्लबों की स्थापना पर भी सरकार ने प्राथमिकता से ध्यान देकर इस निमित्त प्राविधान किया है। श्रमजीवी पत्रकारों को अनुमन्य चिकित्सा सुविधा सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भी प्राविधान किया गया है। सूचना नीति के निर्धारण के लिए कार्य किया जा रहा है। सूचना विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए आयोजनागत पक्ष में रु0 2.15 करोड़ का प्राविधान है।

नियोजन :

प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यक्रमों/योजनाओं की परिकल्पना, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए यथोचित नियोजन व्यवस्था अनिवार्य है। प्रदेश के समन्वित एवं समुचित विकास सम्बन्धी योजनाओं के निर्माण के लिए आधारभूत आंकड़ों का एकत्रीकरण, तत्सम्बन्धी विश्लेषण, सत्यापन तथा मूल्यांकन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। नियोजन विभाग के पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर अधिक से अधिक योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन हेतु एक पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए रु0 20 लाख का प्राविधान है।

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष, 2008–09 के बजट अनुमानों के बारे में समुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा।

वर्ष, 2008–2009 के बजट का वित्तीय विवरण :

प्राप्तियाँ :

वर्ष, 2008–2009 में रु0 12112.38 करोड़ की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में रु0 10456.56 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ तथा रु0 1655.82 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष, 2008–2009 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश रु0 4799.66 करोड़ है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रु0 1679.90 करोड़ सम्मिलित है।

व्यय :

वर्ष, 2008–2009 में राज्य को ऋणों के प्रतिदान पर लगभग रु0 569.22 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में लगभग रु0 1249.03 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग रु0 2877.61 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रु0 217.43 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में लगभग रु0 727.36 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष, 2008–2009 में कुल व्यय रु0 12441.32 करोड़ अनुमानित है।

कुल व्यय में रु0 8662.53 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा रु0 3778.79 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा :

समेकित निधि में रु0 5672.72 करोड़ आयोजनागत पक्ष में तथा रु0 6768.60 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में रु0 2515.69 करोड़ आयोजनागत तथा रु0 6146.84 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार रु0 3157.03 करोड़ आयोजनागत पूँजी लेखा तथा रु0 621.76 करोड़ आयोजनेत्तर पूँजी लेखा हेतु प्रस्तावित है।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष, 2008–2009 में अनुमानित घाटा रु0 328.94 करोड़ है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष, 2008–2009 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 250 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अन्तिम शेष :

वर्ष, 2008–2009 में आरम्भिक शेष को लेते हुए शुद्ध अधिशेष रु0 62.25 करोड़ होना अनुमानित है।

मेरा यह मानना है कि राज्य सरकार को एक लोक हितैषी संस्था के रूप में चलाए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए मूल सिद्धान्त तथा लक्ष्य हमारे महान संविधान में निर्धारित हैं। एक ओर जनता की चुनी हुई सरकार होने के नाते हमारा लोक धन की सुरक्षा व संरक्षण करने का दायित्व है, वहीं दूसरी ओर उस धन का सदुपयोग जनहित व लोक कल्याण के लिए करने का भी दायित्व है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम इस गुरुत्तर दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में सफल रहेंगे।

मुझे उत्तराखण्ड के निवासियों व कर्मचारियों पर गर्व है कि राज्य निर्माण के बाद उन्होंने राज्य के तीव्र विकास के लिए मनोयोग से सहयोग दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है, उनका योगदान हमें आगे भी मिलता रहेगा।

मान्यवर, अन्त में, मैं मंत्रिमण्डल के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा। जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसके समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति, उनके द्वारा इस कार्य में दी गई सहायता के लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन को एक और सूचना देना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड जल संस्थान से जो उपभोग जल एवं सीवरेज की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं उनके बारे में सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

1. जल कर एवं सीवर कर समाप्त किया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट)
2. इन उपभोक्ताओं के ऊपर जल कर एवं सीवर कर की बकाया राशि जो लगभग 24 करोड़ है, वह भी माफ की जायेगी।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष, 2008-09 का बजट प्रस्तुत करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री गगन सिंह रजवार, माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह रावत तथा माननीय सदस्या श्रीमती आशा नौटियाल जी की कुल तीन सुचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से राज्य के ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्त दिये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी है।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 04:00 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के लिए 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून :
दिनांक 10 मार्च, 2008

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

[देखिए अता0 प्र0सं0–9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44–45 पर]

विधान सभा के प्रथम सत्र–2008 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्रीमती अमृता रावत, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–9 की अनुपूरक सूचना

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	किनगोड़ीखाल–सल्डा हल्का वाहन मार्ग	5.00	मार्ग हल्का वाहन हेतु खुला है। मार्ग को मोटर में परिवर्तन हेतु शासनादेश संख्या–2580/III(2)/06–44 (प्र0आ0)06, दि0 19–10–06 के द्वारा 7.90 किमी0 लागत रु0 158.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। स्वीकृति के विरुद्ध 2.50 किमी0 चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर है।
2.	पाटीसैंण–तख्याड़–एकेश्वर हल्का वाहन मार्ग	7.00	मार्ग वर्तमान में हल्का वाहन हेतु खुला है। वर्तमान में इस मार्ग के प्रथम 2.50 किमी0 मार्ग में परिवर्तन करने हेतु जिला योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं0–179/24–4, दि0 17–11–07 द्वारा 2.50 किमी0 में 20.25 लाख स्वीकृति के विरुद्ध मार्ग 0.300 किमी0 चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। मार्ग के किमी0 2.50 से किमी0 7.00 अर्थात् 4.50 किमी0 का मोटर मार्ग में परिवर्तन करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं है।
3.	किनगोड़ीधार–श्रीखाल हल्का वाहन मार्ग	2.90	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
4.	बाड़ा–पिसौली–पौड़ी हल्का वाहन मार्ग	8.50	मार्ग की त्रुटियों को दूर करने के पश्चात् मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
5.	पीपलकोटी से नीलकण्ठ मोटर मार्ग	5.30	मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में मार्ग यातायात हेतु सुलभ है।
6.	डौलियाखाल–पटोटिया सम्पर्क मार्ग	4.50	मार्ग में आये स्लिप/दीवार निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में मार्ग यातायात हेतु सुलभ है।

1	2	3	4
7.	बेदीखाल–एरोली–पडिण्डा मोटर मार्ग	3.00	मार्ग में आये स्लिप/दीवार निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में मार्ग यातायात हेतु सुलभ है।
8.	सत्यखाल–घुड़दौड़ी हल्का वाहन मार्ग	4.00	मार्ग पर मलवा सफाई एवं दीवार निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मार्ग माह 03/08 तक खोल दिया जायेगा।
9.	डाण्डामण्डी–मदनपुरी मोटर मार्ग	4.00	मार्ग पूर्व में हल्का वाहन मार्ग के रूप में निर्मित था। इस मार्ग की स्वीकृति हल्का वाहन मोटर मार्ग में परिवर्तन के लिए प्राप्त है। जिस पर पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्लिप/दीवार निर्माण का कार्य प्रगति पर है। मार्ग निर्माण कार्य माह 03/08 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
10.	बनचुरी–तिमली मोटर मार्ग	37.00	इस मार्ग के किमी0 30 तक यातायात चालू है। मार्ग के आगे किमी0 37 तक स्लिप आने एवं दीवारों को टूटने के कारण मार्ग अवरूद्ध रहा। स्लिप सफाई एवं दीवारों का निर्माण किया जा रहा है। माह 03/08 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
11.	कौड़िया–किमसार मोटर मार्ग	10.00	इस मार्ग का प्रथम 1.00 किमी0 भाग राजाजी नेशनल पार्क के अन्तर्गत है। जिस पर निर्माण कार्य में रोक लगा दी गई है। इससे आगे 10 किमी0 में निर्माण कार्य प्रगति में है। जिसे माह 05/08 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। वर्तमान में मार्ग यातायात सुलभ है।
12.	किशनपुर–हरिद्वार मोटर मार्ग	1.65	यह मार्ग मात्र 1.65 किमी0 लो0नि0वि0 क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। जिसमें हाटमिक्स द्वारा बी0एम0एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इससे आगे का भाग शेष 13.00 किमी0 का भाग आरक्षित वन क्षेत्र में पड़ता है। इस मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधार हेतु शा0 सं0–2454/III(2)/05/06–7(प्रा0आ0)05टी0सी0, दिनांक 28–10–05 द्वारा 13 किमी0 लम्बाई हेतु 190.47 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। आरक्षित वन क्षेत्र में होने के कारण यह धनराशि वर्ष 06 में वन विभाग को उपलब्ध करवायी गई है। वन विभाग द्वारा यह कार्य ई0पी0आई0 से कराया जाना प्रस्तावित है। मार्ग वर्तमान में यातायात हेतु खुला है।

नत्थी 'ख'

[देखिए अता0 प्र0सं0–33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर]

भू–विस्थापित श्रमिकों की सूची (उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से)

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	गाँव का नाम	वर्ग/श्रेणी
1	2	3	4	5
1.	कपिल राणा	अजबर सिंह	मगेली	अकुशल
2.	गजेन्द्र	—	मगेली	अकुशल
3.	मुकेश	देवेन्द्र सिंह चौहान	मगेली	अकुशल
4.	दिनेश	जयेन्द्र सिंह	मगेली	अकुशल
5.	मनोज	देवेन्द्र सिंह राणा	मगेली	अकुशल
6.	सुशील	राम स्वरूप उनियाल	मगेली	अकुशल
7.	सुनील	विक्रम सिंह रावत	मगेली	कुशल
8.	धर्मेन्द्र	किशन सिंह	मुक्की	अकुशल
9.	बचेन्द्र	चन्दर सिंह	हुर्री	अकुशल
10.	बचेन्द्र सिंह	रणवीर सिंह	कुज्जन	अकुशल
11.	राजपाल	बिशन सिंह	कुज्जन	अकुशल
12.	सुरमील	चन्दर सिंह	कुज्जन	अकुशल
13.	रवीन्द्र सिंह	उमेद सिंह	कुज्जन	अकुशल
14.	विरेश पंवार	किशन सिंह	कुज्जन	अकुशल
15.	भागवत सिंह	विजेन्द्र सिंह	कुज्जन	अकुशल
16.	विपेन्द्र	राजेन्द्र सिंह	कुज्जन	अकुशल
17.	धन सिंह	जोत सिंह	कुज्जन	अकुशल
18.	प्रद्युमन सिंह	करन सिंह	कुज्जन	अकुशल
19.	राजवीर सिंह	दयाल सिंह	कुज्जन	अकुशल
20.	रविन्द्र सिंह	केवल सिंह	कुज्जन	अकुशल
21.	सुमन	बिजेन्द्र सिंह	कुज्जन	अकुशल
22.	संजय	कृति सिंह	कुज्जन	अकुशल
23.	राकेश	प्रथम सिंह	कुज्जन	कुशल

1	2	3	4	5
24.	जगमोहन	हुकम सिंह	कुब्जन	अतिकुशल
25.	सुनील	हिकमत सिंह	तिहार	अकुशल
26.	मानेन्द्र	तिरथ सिंह	तिहार	अकुशल
27.	अनिल रावत	रविन्द्र सिंह	तिहार	अकुशल
28.	मानेन्द्र सिंह	चन्दन सिंह	तिहार	अकुशल
29.	विजय सिंह	कुन्दन सिंह	तिहार	अकुशल
30.	कपिल रावत	भारत सिंह	तिहार	अकुशल
31.	धनेन्द्र सिंह	कमल सिंह	तिहार	अकुशल
32.	विरेश सिंह	हरी सिंह	तिहार	अकुशल
33.	बदरी सिंह	सबल सिंह	तिहार	अकुशल
34.	जितेन्द्र सिंह	मंगल सिंह	तिहार	अकुशल
35.	नत्थी सिंह	हरी सिंह	तिहार	अकुशल
36.	राजेश सिंह	कुन्दन सिंह	तिहार	अकुशल
37.	धनपाल	किशन बहादुर	तिहार	अकुशल
38.	जयवीर	हरी सिंह	तिहार	अकुशल
39.	प्रमोद	सुंदर सिंह	तिहार	अकुशल
40.	धर्मेन्द्र	विजेन्द्र सिंह	तिहार	अकुशल
41.	धर्मेन्द्र	किशन सिंह	तिहार	अकुशल
42.	कपिल	विरेन्द्र सिंह	तिहार	अकुशल
43.	जय प्रकाश	सुन्दर सिंह	तिहार	अकुशल
44.	कमलेश	नरेन्द्र सिंह	तिहार	अकुशल
45.	गजेन्द्र	कलम सिंह	तिहार	अकुशल
46.	केदार सिंह	सबल सिंह	तिहार	अकुशल

पटेल इंजिनियरिंग लिमिटेड

लोहारीनाग–पाला जल विद्युत परियोजना

पटेल में कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों की सूची :–

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	ग्राम	पदनाम
1	2	3	4	5
1.	कृति सिंह महर	श्री विजयपाल सिंह महर	अलेथ	क्लर्क (एम)
2.	रौशिक खान	श्री आसिफ खान	आसनवर्ग	ऑटो इलेक्ट्रीशियन
3.	शूरवीर सिंह	श्री देवी सिंह महर	अलेथ	लेब असिस्टेन्ट
4.	विजय सिंह	श्री कलम सिंह	अलेथ	लेब असिस्टेन्ट
5.	सुमित्रा महर	श्री विजयपाल सिंह महर	अलेथ	स्टेनोग्राफर
6.	प्रमोद डबराल	श्री ब्रह्मानन्द डबराल	अलेरी	मैकनिक
7.	प्रितम सिंह	श्री होशियार सिंह	अलनपू	आपरेटर
8.	उमा शंकर सिंह	श्री गोविन्द सिंह	अल्मोड़ा	परियोजना अभियन्ता
9.	गोपाल शर्मा	श्री बलवन्त सिंह	अल्मोड़ा	आपरेटर
10.	किशन सिंह राणा	श्री नारायण सिंह	अल्मोड़ा	आपरेटर
11.	अमर सिंह	श्री मान सिंह	अल्मोड़ा	मैकेनिक हेल्पर
12.	दिनेश चन्द्र शर्मा	श्री एम डी शर्मा	अल्मोड़ा	आपरेटर
13.	नवीन चन्द्र	श्री धारादत्त	अल्मोड़ा	सुपरवाइजर
14.	राजेन्द्र अमोली	श्री गोकुलानन्द	अमोला	ड्राईवर
15.	जितेन्द्र सिंह असवाल	श्री किशोर सिंह असवाल	अत्तरवाला	परियोजना अभियन्ता
16.	हरेन्द्र सिंह नेगी	श्री लाल सिंह नेगी	बडैथ	ड्राईवर
17.	बलवीर रमोला	श्री जब्बरचन्द्र रमोला	बडीनी	मोटर मैकेनिक
18.	लोकेश प्रसाद	श्री जगतराम डिमरी	बड़कोट	ड्राईवर
19.	भास्कर डंगवाल	श्री ब्रह्मानन्द डंगवाल	बग्याल गाँव	सर्वे हेल्पर
20.	अजय सिंह राणा	श्री त्रिलोक सिंह राणा	भागीरथीपुरम	ड्राईवर
21.	राजेन्द्र सिंह मट्टा	श्री भगत सिंह मट्टा	बगसारी	ड्राईवर
22.	गोविन्द सिंह	श्री धनसू	बगौरी	ड्राईवर
23.	धिरेन्द्र नौटियाल	श्री तोताराम	बडेथी	ऑटो फिटर
24.	शेर सिंह राणा	श्री सुन्दर सिंह राणा	बैथान	ऑटो इलेक्ट्रीशियन
25.	मनोज रावत	श्री भरत सिंह रावत	बन्द्राणी	लेब असिस्टेंट
26.	भूपेन्द्र सिंह	श्री बलवीर सिंह	बडेथी	फॉरमेसिस्ट

1	2	3	4	5
27.	अनिल सिंह रावत	श्री रतन सिंह	बारसू	हेल्पर
28.	बचेन्द्र सिंह	श्री धीरज सिंह रावत	बारसू	सुरक्षा गार्ड
29.	बलवीर सिंह रावत	श्री पृथ्वी सिंह रावत	बारसू	हेल्पर
30.	विनोद सिंह रावत	श्री जगेन्द्र सिंह रावत	बारसू	स्टोन हेल्पर
31.	गजबेन्द्र सिंह रावत	श्री अवतार सिंह रावत	बारसू	हेल्पर
32.	हरि प्रकाश रावत	श्री दयाल सिंह रावत	बारसू	ड्राईवर
33.	हिकमत सिंह रावत	श्री कुंवर सिंह रावत	बारसू	हेल्पर
34.	प्रदीप सिंह रावत	श्री सदर सिंह	बारसू	हेल्पर
35.	प्रभात रावत	श्री समुेर सिंह रावत	बारसू	हेल्पर
36.	राघवेन्द्र सिंह	श्री लक्ष्मण सिंह	—	माली
37.	राजवीर सिंह रावत	श्री रति राम सिंह रावत	बारसू	हेल्पर
38.	उदय सिंह मराठा	श्री अब्बल सिंह	बारसू	ड्राईवर
39.	दीपक सिंह	श्री मोती सिंह	भागीरथी पुरम	ड्राईवर
40.	पूरन सागर सिंह	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	भंकरोली	स्टोर क्लर्क
41.	इशराशर अहमद	श्री अबरब अहमद	मरमोला	मैकेनिक
42.	अनिल सिंह राणा	श्री भरत सिंह राणा	मंगेली	सिक्योरिटी गार्ड
43.	धर्मेन्द्र सिंह	श्री हुक्कम सिंह	मंगेली	हेल्पर
44.	प्यारेराम	श्री लखणराम	मंगेली	सिक्योरिटी गार्ड
45.	राजेश सिंह	श्री नत्थी सिंह राणा	मंगेली	हेल्पर
46.	रमेश सिंह	श्री जयेन्द्र सिंह	मंगेली	हेल्पर
47.	रविकान्त उनियाल	श्री काशीराम उनियाल	मंगेली	हेल्पर
48.	संजय सिंह	श्री देवेन्द्र सिंह	मंगेली	हेल्पर
49.	सुनिल राणा	श्री सुन्दर सिंह राणा	मंगेली	हेल्पर
50.	अखिलेश सिंह राणा	श्री किशोर सिंह राणा	मंगेली	हेल्पर
51.	जयेन्द्र सिंह	श्री किशोर सिंह	मंगेली	हेल्पर
52.	रविन्द्र सिंह चौहान	श्री जगदेऊ सिंह चौहान	मंगेली	हेल्पर
53.	अनामिका नेगी	स्व0 श्री बी0एस0 नेगी	भटवाड़ी	प्लानिंग असिस्टेन्ट
54.	भूपेश शाह	श्री नत्थी लाल शाह	भटवाड़ी	कुक
55.	दिनेश कुमार शर्मा	श्री ओम प्रकाश शर्मा	भटवाड़ी	ड्राईवर
56.	मनमोहन सिंह	श्री जी0एस0 टोपवाल	भटवाड़ी	ड्राईवर

1	2	3	4	5
57.	मुकेश राणा	श्री रविन्द्र सिंह राणा	भटवाड़ी	हेल्पर
58.	नवीन रतूड़ी	श्री कमलेश्वर प्रसाद	भटवाड़ी	हेल्पर
59.	पूनम पंवार	स्व0 श्री जी0एस0 पंवार	भटवाड़ी	टाईप क्लर्क
60.	प्रदीप कुमार सेमवाल	श्री सत्यनारायण	भटवाड़ी	वाइरमैन
61.	पुरुषोत्तम लाल	श्री जमनलाल	भटवाड़ी	हेल्पर
62.	राकेश रमोला	श्री एस0आर0 रमोला	भटवाड़ी	कुक हेल्पर
63.	रेशम शाहनी	श्री गोपालचन्द	भटवाड़ी	कुक हेल्पर
64.	सन्तोष कुमार सेमवाल	श्री भास्कर प्रसाद	भटवाड़ी	हेल्पर
65.	सुधीर प्रसाद रतूड़ी	श्री लोकमणी प्रसाद	भटवाड़ी	हेल्पर
66.	सुनील रौतेला	श्री विजय सिंह	भटवाड़ी	ड्राईवर
67.	विजयपाल सिंह रमोला	श्री शीश राम सिंह	भटवाड़ी	माली
68.	विजय रतूड़ी	श्री गोपालराम	भटवाड़ी	हेल्पर
69.	विनोद कुडियाल	श्री धनराम	भटवाड़ी	कुक हेल्पर
70.	विनोद प्रसाद रतूड़ी	श्री भास्कर प्रसाद रतूड़ी	भटवाड़ी	गार्ड
71.	अमरपाल सिंह बुटोला	श्री सत्ये सिंह	भटवाड़ी	ड्राईवर
72.	नीरज कुमार	श्री जगदीश प्रसाद	भटवाड़ी	सुपरवाईजर
73.	राकेश पंवार	श्री भारत भूषण	मेलाटिपरी	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
74.	अमित चौहान	स्व0 श्री गोपी चौहान	बिचलापुर	ऑपरेटर
75.	अखील	श्री सुदामा प्रसाद	बिल्खेत	ड्राफ्टस मैन
76.	रमेश पंवार	श्री अमर पाल सिंह	मुक्की	गार्ड
77.	विक्रम सिंह	श्री इन्दर सिंह	चकोन	ड्राईवर
78.	रोशन सिंह नेगी	श्री रंजीत सिंह नेगी	चमोली	ड्राईवर
79	भागीरथ सिंह रावत	श्री मोहन सिंह रावत	पौड़ी	ऑपरेटर
80.	भूपेन्द्र सिंह	श्री आनन्द सिंह	डांग	फिटर
81.	हरीश असवाल	श्री चमन लाल असवाल	देहरादून	वाइरमैन
82.	ननक चन्द	श्री तुलसी सिंह	देहरादून	ड्राईवर
83.	सुनील ममगाई	श्री जनार्दन प्रसाद	देहरादून	सुपरवाईजर
84.	मोहन सिंह बिष्ट	श्री नारायण सिंह	देहरादून	ड्राईवर
85.	अर्जुन बिष्ट	श्री गुसाई बिष्ट	देहरादून	असिस्टेन्ट मैकेनिक
86.	अरविन्द	श्री प्रमानन्द	देहरादून	ऑफिसर
87.	श्री राकेश सिंह बिष्ट	श्री अरुण सिंह बिष्ट	देहरादून	ऑपरेटर

1	2	3	4	5
88.	विनय पुरोहित	श्री एस0एन0 पुरोहित	देहरादून	सर्वेयर
89.	गोपाल सिंह क्षेत्री	श्री राम सिंह क्षेत्री	देहरादून	ड्राईवर
90.	अशोक कुमार	श्री के0एन0 मेनन	देहरादून	फोरमैन
91.	विरेन्द्र कुमार	श्री के0एन0 मेनन	देहरादून	वेलडर
92.	वीरचन्द पंवार	श्री माल चन्द्र पंवार	देहरादून	कुक
93.	खड़क बहादुर	श्री वीर बहादुर	देहरादून	ड्राईवर
94.	प्रकाश चन्द जोशी	श्री के0एन0 जोशी	देहरादून	फिटर
95.	मंगल सिंह	श्री राम बहादुर	देहरादून	ड्राईवर
96.	आनन्द सिंह रावत	श्री पंचराम सिंह	धनारी	ड्राईवर
97.	प्रदीप सिंह बिष्ट	श्री बुद्धि सिंह बिष्ट	धनारी	फारमेसिस्ट
98.	गंजू गुसांई	श्री इन्दर सिंह	धनारी	एकाउन्ट क्लर्क
99.	शिवराज सिंह पंवार	श्री अतर सिंह पंवार	धराली	लेब असिस्टेन्ट
100.	भास्कर नौटियाल	श्री ए0आर0 नौटियाल	डुण्डा	लेब असिस्टेन्ट
101.	जयेन्द्र सिंह	श्री सियालिक सिंह	डुण्डा	ड्राईवर
102.	मानेन्द्र चन्द रमोला	श्री मेघ चन्द रमोला	डुण्डा	मैकेनिक
103.	आजाद सिंह रावत	श्री बचन सिंह रावत	डुण्डा	टायर फिटर
104.	हरीश चन्द नेगी	श्री बचन सिंह नेगी	गमदेड़ गाँव	कुक हेल्पर
105.	ध्यान सिंह	श्री जगत सिंह	उत्तरकाशी	ड्राईवर
106.	अनिता	श्री बिजेन्द्र सिंह	गंगानानी	लेब असिस्टेन्ट
107.	विनोद सिंह पंवार	श्री महेन्द्र सिंह	गंगानानी	सर्वे हेल्पर
108.	अनिल सिंह रावत	श्री टी0एस0 रावत	गंगोरी	ड्राईवर
109.	कमल सिंह रावत	श्री गंगा सिंह रावत	गंगोरी	ड्राईवर
110.	मगत सिंह चौहान	श्री जीतवर सिंह चौहान	गंगोरी	सुपरवाईजर
111.	गलथिया सिंह गुसांई	श्री जी0एस0 सिंह गुसांई	गडोलिया	सुपरवाईजर
112.	गजेन्द्र सिंह	श्री अब्बल सिंह	गोरशाली	सिक्योरिटी गार्ड
113.	जयमाल सिंह	श्री गंगा सिंह	गोरशाली	सिक्योरिटी गार्ड
114.	अजय बलोदी	श्री बी0डी0 बलोदी	झानसू	सुपरवाईजर
115.	आनन्द मोहन	श्री जे0पी0 शर्मा	झानसू	जूनियर इंजिनियर
116.	घनीराम भारती	श्री गन्दा लाल	झानसू	टायर फिटर
117.	प्रमानन्द सेमवाल	श्री बैजराम सिंह सेमवाल	झानसू	ड्राईवर
118.	रिंकी पंवार	श्री अब्बल सिंह पंवार	झानसू	कम्प्यूटर ऑपरेटर

1	2	3	4	5
119.	संजय कुमार	श्री मनुफल	ज्ञानसू	स्वीपर
120.	अभीषेक पंवार	श्री एस0पी0 पंवार	ज्ञानसू	जूनियर इंजिनियर
121.	खडक सिंह	श्री जीवन सिंह	हरीपुर	मैकेनिक हेल्पर
122.	सत्येन्द्र रावत	श्री भागवत सिंह रावत	जखोल	ऑफिस ब्वाय
123.	मानवेन्द्र सिंह पंवार	श्री केशर सिंह पंवार	जामक	सर्वे हेल्पर
124.	राय सिंह	श्री रंजोर सिंह गुसांई	जामक	सर्वे हेल्पर
125.	रविन्द्र सिंह चौहान	श्री सूरत सिंह चौहान	जामक	मोटर वाईन्डर
126.	महावीर सिंह राणा	श्री प्यार सिंह राणा	जामक	बस कन्डक्टर
127.	जगपाल सिंह	श्री भगवान सिंह	जसपुर	ऑपरेटर
128.	बुद्धि जोशी	श्री देवदत्त जोशी	जोशियाड़ा	सुपरवाईजर
129.	राकेश नौटियाल	श्री बी0पी0 नौटियाल	जोशियाड़ा	लेब असिस्टेन्ट
130.	सतवीर सिंह रावत	श्री बलवीर सिंह रावत	जोशियाड़ा	जूनियर मैकेनिक
131.	प्रदीप मदुड़ा	श्री एम0एस0 मदूड़ा	जोशियाड़ा	जूनियर इंजिनियर
132.	गुलाब सिंह राणा	श्री गब्बर सिंह राणा	कामर	कुक
133.	भारत सिंह	श्री विक्रम सिंह	कंकराणी	जूनियर मैकेनिक
134.	रामचन्द्र नैथाणी	श्री सूरजमणी नैथाणी	कानवा	स्टोर असिस्टेन्ट
135.	अतेल सिंह	श्री जोत सिंह राणा	कावटा	डोजर ऑपरेटर
136.	अनील सिंह	स्व0 श्री नारायण सिंह	खाखरकी	पाइप फिटर
137.	मदन सिंह भण्डारी	श्री विजय सिंह भण्डारी	खालसी	फिटर
138.	विजय सिंह	श्री गौर सिंह	खालसी मड	ड्राईवर
139.	मन मोहन सिंह	श्री हरी गोपाल सिंह	खाण्ड	फारमेसिस्ट
140.	महेन्द्र प्रसाद उनियाल	श्री मंगल प्रसाद उनियाल	कोटियाल गाँव	सुपरवाईजर
141.	अमल पाल सिंह	श्री सूरत सिंह	कुज्जन	हेल्पर
142.	बलवीर सिंह	श्री विजन सिंह	कुंज्जन	हेल्पर
143.	भारत सिंह पंवार	श्री बिजेन्द्र सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
144.	भारत सिंह रावत	श्री अब्बल सिंह रावत	कुंज्जन	हेल्पर
145.	चन्द्र सिंह चौहान	स्व0 श्री लाखी सिंह	तिहार	हेल्पर
146.	धनपाल सिंह पंवार	श्री पृथ्वी सिंह पंवार	कुंज्जन	सर्वे हेल्पर
147.	जलम सिंह	श्री सूरत सिंह	कुंज्जन	हेल्पर
148.	जोगेन्द्र सिंह	श्री हिकमत सिंह	कुंज्जन	हेल्पर

1	2	3	4	5
149.	करतार सिंह राणा	श्री सत्ये सिंह राणा	कुंज्जन	हेल्पर
150.	महेन्द्र सिंह	श्री कैर सिंह	कुंज्जन	हेल्पर
151.	महेश पंवार	श्री प्रथम सिंह पंवार	कुंज्जन	इलेक्ट्रीकल हेल्पर
152.	ममराज सिंह पंवार	श्री प्रेम सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
153.	मनवीर सिंह पंवार	श्री बच्चन सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
154.	मनोज सिंह	श्री	कुंज्जन	हेल्पर
155.	मनवीर सिंह	श्री तेग सिंह	कुंज्जन	हेल्पर
156.	मोहन सिंह पंवार	श्री दयाल सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
157.	नरेन्द्र सिंह पंवार	श्री इन्दर सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
158.	नत्थी सिंह पंवार	श्री पृथ्वी सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
159.	प्रवेन्द्र सिंह पंवार	श्री नौबर सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
160.	पूरण सिंह पंवार	श्री सूरत सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
161.	रघुवीर सिंह चौहान	श्री रूप सिंह चौहान	तिहार	हेल्पर
162.	राजेन्द्र सिंह पंवार	श्री बिजेन्द्र सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
163.	रामचन्द्र सिंह पंवार	श्री सूरत सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
164.	रामप्रकाश सिंह पंवार	श्री बिजेन्द्र सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
165.	राम प्रसाद सिंह पंवार	श्री गौर सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
166.	रतन सिंह	श्री गौर सिंह	कुंज्जन	हेल्पर
167.	रतन सिंह रावत	स्व0 श्री पूनम सिंह	कुंज्जन	हेल्पर
168.	रवीश सिंह चौहान	श्री कुन्दन सिंह चौहान	तिहार	हेल्पर
169.	रुकम सिंह	श्री जब्बर सिंह	कुंज्जन	हेल्पर
170.	सदर सिंह	श्री भारत सिंह	कुंज्जन	हेल्पर
171.	सत्येन्द्र सिंह	श्री चन्द्र सिंह	कुंज्जन	हेल्पर
172.	सोवन सिंह	श्री दशरथ सिंह	कुंज्जन	हेल्पर
173.	सुकल सिंह	श्री बैशाख सिंह	कुंज्जन	हेल्पर
174.	सुरेश सिंह पंवार	श्री रूप सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
175.	उत्तम सिंह पंवार	श्री पृथ्वी सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
176.	विक्रम सिंह	श्री गौर सिंह	कुंज्जन	हेल्पर
177.	विनोद सिंह	श्री प्यार सिंह कैंतूरा	कुंज्जन	सिक्योरिटी गार्ड
178.	विपिन सिंह पंवार	श्री अतर सिंह पंवार	कुंज्जन	हेल्पर
179.	अनील सिंह पंवार	श्री रामचन्द्र सिंह पंवार	क्वार्क	ड्राईवर

1	2	3	4	5
180.	उत्तम सिंह पंवार	श्री विशन सिंह पंवार	क्वार्क	लेब असिस्टेन्ट
181.	विकास शाही	स्व0 श्री धरन बहादुर शाही	क्यार्क	सिक्योरिटी गार्ड
182.	जगवीर सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह पंवार	लदाड़ी	जूनियर इंजिनियर
183.	गणेश दत्त	श्री देवी दत्त	लसानी	ड्राईवर
184.	धनवीर सिंह	श्री गब्बर सिंह	लाटा	इलैक्ट्रीकल हेल्पर
185.	रामकुमार राणा	श्री सुरेन्द्र सिंह	देहरादून	ऑपरेटर
186.	चन्द्र प्रकाश	श्री आशाराम	मछेरी	ड्राईवर
187.	खेमराज सिंह	श्री बच्चन सिंह	मडगाँव	ऑपरेटर
188.	कुशलानन्द	श्री खिलानन्द	उत्तरकाशी	जूनियर इंजिनियर
189.	रामचन्द	श्री खिलानन्द	उत्तरकाशी	सुपरवाईजर
190.	अमरपाल सिंह	श्री गौर सिंह	मल्ला	इलेक्ट्रकर हेल्पर
191.	चन्द्रवीर	श्री लाखी सिंह	मल्ला	ड्राईवर
192.	विनोद सिंह	श्री किशन सिंह	मल्ला	ड्राईवर
193.	गनवीर सिंह	श्री लाखी सिंह	मल्ला	ड्राईवर
194.	नागेन्द्र सिंह पंवार	श्री राजाराम सिंह पंवार	मनेरी	ड्राईवर
195.	मनोज कुमार भारती	श्री देवी चन्द राम	मनेरी	जूनियर इंजिनियर
196.	रमेश सिंह रावत	श्री पूरण सिंह रावत	मनेरी	ड्राईवर
197.	रवी कान्त भट्ट	श्री एम0एन0 भट्ट	मानपुर	इलेक्ट्रीकल हेल्पर
198.	जसवन्त सिंह	श्री बुद्धिलाल	मातली	लेब असिस्टेन्ट
199.	सतीरानी शाह	श्री बुद्धिलाल	मातली	एस्टाबिलेसमेन्ट
200.	मूर्ति प्रसाद सेमवाल	श्री रमेश प्रसाद सेमवाल	मुखवा	जूनियर इंजिनियर
201.	प्रहलाद सिंह	श्री धनश्याम	नैनीताल	मैकेनिक हेल्पर
202.	अनील सिंह	श्री प्रीति सिंह	पाला	सेक्योरिटी गार्ड
203.	आशीस रावत	श्री मुनेन्द्र सिंह रावत	पाला	स्टोर हेल्पर
204.	भवानी	पत्नी श्री राजेश रावत	पाला	मेडिकल असिस्टेन्ट
205.	देवी प्रसाद पांथरी	श्री गिरधारी लाल	पाला	सुपरवाईजर
206.	दिनेश कुमार	श्री सुन्दर लाल	पाला	हेल्पर
207.	दिनेश सिंह	श्री विशन सिंह	पाला	सुपरवाईजर
208.	जगवीर सिंह	श्री लाखी सिंह	पाला	सिक्योरिटी गार्ड
209.	करतार सिंह	श्री विक्रम सिंह	पाला	हेल्पर
210.	महेश चन्द शाह	श्री अब्बल दास	पाला	सिक्योरिटी गार्ड
211.	मनवीर सिंह	श्री सुन्दर सिंह	पाला	हेल्पर

1	2	3	4	5
212.	मोहन सिंह रावत	श्री सुन्दर सिंह रावत	पाला	सुपरवाईजर
213.	पंचराम सिंह राणा	श्री मागे सिंह राणा	पाला	सर्वे हेल्पर
214.	प्रताप सिंह पंवार	श्री प्यार सिंह	पाला	सुपरवाईजर
215.	पृथ्वी सिंह	श्री गजे सिंह	पाला	सर्वे हेल्पर
216.	रजनीश	श्री अब्बल दास	पाला	लेब असिस्टेन्ट
217.	शिव सिंह बिष्ट	श्री कृति सिंह बिष्ट	पाला	ड्राईवर
218.	सुरेन्द्र सिंह	श्री देवेन्द्र सिंह	पाला	सिक्योरिटी गार्ड
219.	विनोद कुमार	श्री सुन्दर लाल	पाला	ड्राईवर
220.	युसफ खान	श्री हंसखान	पाला	हेल्पर
221.	दिवाकर डंगवाल	श्री सिवानन्द डंगवाल	पाटा	असिस्टेन्ट इंजिनियर
222.	दिवान सिंह पटानी	श्री लाल सिंह	पटान गांव	जूनियर फोरमैन
223.	अरूण सुन्द्रीयाल	श्री राजेश्वर प्रसाद	पौड़ी	ड्राफ्ट्समैन
224.	बी0एम0 बहुगुणा	श्री कामता प्रसाद	पौड़ी	वर्क मैनेजर
225.	अनूप तिवारी	स्व0 श्री जे0पी0 तिवारी	पीपल मण्डी	सीनियर इंजिनियर
226.	विशन सिंह	स्व0 श्री बुद्ध सिंह	पौड़ी	ऑपरेटर
227.	धनपाल सिंह	श्री रामदयाल सिंह	प्रतापनगर	पाइपलाईन फिटर
228.	कमलेश राणा	श्री अजयपाल सिंह	सैंज	टाईप क्लर्क
229.	राकेश सिंह राणा	श्री बलवीर सिंह	सैंज	ऑफिस ब्वाय
230.	विश्वनाथ राणा	श्री अजयपाल सिंह	सैंज	स्टोर क्लर्क
231.	अतर सिंह	श्री नारायण सिंह	सांलग	सर्वे हेल्पर
232.	भागवत सिंह	श्री सुन्दर सिंह	सांलग	सिविल हेल्पर
233.	महेश	श्री प्रथम सिंह	सांलग	क्यू सी हेल्पर
234.	मीना रावत	श्री गोपाल सिंह रावत	सांलग	टाईप क्लर्क
235.	नवीन सिंह	श्री कृति सिंह	सांलग	सिक्योरिटी गार्ड
236.	राजवीर सिंह	श्री मदन सिंह	सांलग	सर्वे ब्वाय
237.	राकेश सिंह	श्री कृपाल सिंह	सांलग	सिविल हेल्पर
238.	हरीश चन्द	श्री महेशानन्द	पौड़ी	ड्राईवर
239.	प्रमोद सिंह रौथाण	श्री बुद्धि सिंह रौथाण	सांलग	सुपरवाईजर
240.	हरीश कुमार	श्री जानकी दास	श्यामपुर	ड्राईवर
241.	चन्द्र मोहन सिंह	श्री धन सिंह	सिदी पाला	ड्राईवर
242.	जगदीश प्रसाद	श्री लक्ष्मण प्रसाद	सिदी पाला	वायरमैन हेल्पर
243.	कमल सिंह नाथ	श्री दन सिंह नाथ	सिदी पाला	ड्राईवर

1	2	3	4	5
244.	नारायण सिंह बिष्ट	श्री कृति सिंह बिष्ट	सिदी	पाला फिटर
245.	देवेन्द्र सिंह	श्री पूरण सिंह	सिरोर	सिक्योरिटी गार्ड
246.	कुरूसाना	श्री अमर सिंह	सिरोर	सिक्योरिटी गार्ड
247.	अनूप कुमार	श्री प्रताप सिंह	सुनगर	जूनियर इंजिनियर
248.	गेण सिंह	श्री भगवान सिंह	सुनार गांव	ड्राईवर
249.	कुन्दन सिंह चौहान	स्व0 श्री हीरा सिंह चौहान	पिथौरागढ़	वेल्डर
250.	अनील चंद रमोला	श्री प्रेम चन्द रमोला	टिहरी	ड्राईवर
251.	प्रमोद कुमार कोटनाल	श्री हरीश चन्द	टिहरी	सुपरवाईजर
252.	प्रवीण सिंह	श्री विजयपाल सिंह	टिहरी	ड्राईवर
253.	दिनेश सिंह रांगड़	श्री कुमार सिंह	टिहरी	कुक हेल्पर
254.	रूकम सिंह	श्री हुक्कम सिंह	टिहरी	ड्राईवर
255.	गिरीश सिंह रावत	श्री स्वरूप सिंह	टिहरी	इलेक्ट्रीकल हेल्पर
256.	जोत सिंह कैंतुरा	श्री भूप सिंह	टिहरी	ड्राईवर
257.	कमलेश्वर प्रसाद	श्री पातेराम	टिहरी	इलेक्ट्रीकल हेल्पर
258.	दिवास्पती बरवाण	श्री इ एल बरवाण	टिहरी	स्टोर असिस्टेन्ट
259.	दिनेश सिंह	श्री भगत सिंह	टिहरी	आटो इलेक्ट्रीशियन
260.	रमेश प्रसाद	स्व0 श्री सत्ये प्रसाद भट्टी	टिहरी	एच आर ऑफिसर
261.	राजेन्द्र सिंह नेगी	श्री गब्बर सिंह नेगी	टिहरी	डोजर ऑपरेटर
262.	शूरवीर सिंह लामा	श्री हुक्कम सिंह लामा	टिहरी	ड्राईवर
263.	दिनेश चन्द्र रमोला	श्री प्रेम चन्द रमोला	टिहरी	ड्राईवर
264.	रामचन्द्र रमोला	श्री सुरेन्द्र चन्द्र रमोला	टिहरी	टायर फिटर
265.	महावीर सिंह रावत	श्री श्रीचन्द्र सिंह रावत	टिहरी	ड्राईवर
266.	सुनील कुमार सिंह	श्री महेश सिंह	टिहरी	ड्राईवर
267.	सुमेर चन्द	श्री सुन्दर चन्द	टिहरी	ड्राईवर
268.	बलवीर सिंह राणा	श्री धूम सिंह	टिहरी	ड्राईवर
269.	गजेन्द्र सिंह पंवार	श्री राम सिंह पंवार	तिहार	हेल्पर
270	जयवीर सिंह चौहान	श्री जयेन्द्र सिंह	तिहार	हेल्पर
271.	कृति सिंह रावत	श्री नागेन्द्र सिंह	तिहार	हेल्पर
272.	लक्ष्मण सिंह चौहान	श्री कुन्दन सिंह	तिहार	हेल्पर
273.	महेन्द्र सिंह रावत	श्री बिजेन्द्र सिंह	तिहार	हेल्पर
274.	प्रकाश सिंह राणा	श्री किशन सिंह राणा	तिहार	हेल्पर
275.	प्रवेश सिंह चौहान	श्री जयेन्द्र सिंह	तिहार	हेल्पर

1	2	3	4	5
276.	राजेन्द्र सिंह पंवार	श्री दलेब सिंह	तिहार	हेल्पर
277.	राम सिंह चौहान	स्व0 श्री लाखी सिंह चौहान	तिहार	हेल्पर
278.	रविन्द सिंह रावत	श्री प्रेम सिंह रावत	तिहार	हेल्पर
279.	सन्तोष सिंह	श्री कीर्ति सिंह	तिहार	हेल्पर
280.	सुरेश चौहान	श्री हरि सिंह चौहान	तिहार	हेल्पर
281.	विपिन सिंह रावत	श्री नागेन्द्र सिंह	तिहार	हेल्पर
282.	विरेन्द्र सिंह रावत	श्री कुन्दन सिंह रावत	तिहार	हेल्पर
283.	रामेश्वर	श्री घनश्याम सिंह	तिलोथ	इलैक्ट्रीकल
284.	रोशनी पंवार	श्री इलम सिंह	तिलोथ	रिसेप्सनिस्ट
285.	धनंजय नौटियाल	श्री सुरेन्द्र प्रसाद नौटियाल	तिलोथ	ड्राईवर
286.	सरेन्द्र प्रसाद नौटियाल	श्री जगदीश प्रसाद नौटियाल	तिलोथ	ऑपरेटर हाइड्रा
287.	उमेद सिंह	श्री प्रताल सिंह	टिम्बला	कुक
288.	भारत सिंह रावत	श्री गोपाल सिंह रावत	टिपरी	ड्राईवर
289.	शीतल वर्मा	श्री आर0पी0 वर्मा	उजेली	सुपरवाईजर
290.	नरेन्द्र सिंह	श्री राजवीर सिंह नेगी	उज्यारी	असिस्टेन्ट फोरमैन
291.	आनन्द सिंह चौहान	श्री गौर सिंह चौहान	उत्तरकाशी	जूनियर इंजिनियर
292.	मनोज भट्ट	श्री दुर्गा प्रसाद भट्ट	उत्तरकाशी	कम्प्यूटर ऑपरेटर
293.	नागेश चन्द्र	श्री आर0पी0 नौटियाल	उत्तरकाशी	ट्रेनी इंजिनियर
294.	सुखदेव जोशी	श्री सुनमन लाल जोशी	उत्तरकाशी	कुक हेल्पर
295.	अशोक कुमार	श्री भगवान सिंह	उत्तरकाशी	ड्राईवर
296.	जगवीर सिंह रावत	श्री विजय सिंह रावत	उत्तरकाशी	पाइप लाईन फिटर
297.	धनपाल चन्द रमोला	श्री शिव चन्द्र रमोला	उत्तरकाशी	जूनियर इंजिनियर
298.	संजय सेमवाल	श्री घनानन्द सेमवाल	उत्तरकाशी	वाइरमैन
299.	आशीष पाला सिंह	श्री जे0एस0 पंवार	उत्तरकाशी	स्टोर क्लर्क
300.	साधु राम	श्री रतन लाल	उत्तरकाशी	कारपेन्टर
301.	यशपाल सिंह	श्री दयाराम सिंह	उत्तरकाशी	जूनियर इंजिनियर
302.	राजेन्द्र प्रसाद भट्ट	श्री जनार्दन भट्ट	उत्तरकाशी	ड्राईवर
303.	विजय सिंह भण्डारी	श्री गौर सिंह	उत्तरकाशी	ड्राईवर
304.	हिमांशु चौहान	श्री जगमोहन सिंह चौहान	उत्तरकाशी	जूनियर इंजिनियर
305.	सुमेर सिंह नेगी	श्री हरी सिंह	उत्तरकाशी	वाइरमेन
306.	शूरवीर सिंह	स्व0 श्री सिताराम सिंह	कुण्डा	ड्राईवर

हिन्दुस्तान कन्सट्रक्सन कम्पनी में कार्यरत श्रमिकों की सूची

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	पद	कार्य ग्रहण करने की तिथि	गाँव	राज्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	सन्दीप सिंह	विजय पाल सिंह	मैकेनिकल हेल्पर	28-07-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
2.	सतपाल सिंह राणा	किशन सिंह राणा	मैकेनिकल हेल्पर	28-07-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
3.	प्रवीन सिंह	मंगल सिंह	मैकेनिकल हेल्पर	28-07-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
4.	प्रदीप कुमार	जयपाल सिंह	मैकेनिकल हेल्पर	03-09-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
5.	दिनेश सिंह राणा	विक्रम सिंह	टनक क्लर्क	03-09-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
6.	मुकेश सिंह-पंवार	बेलक सिंह	सिविल हेल्पर	03-09-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
7.	नरेश सिंह	बेलक सिंह	सर्वे हेल्पर	28-07-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
8.	सुनिल सिंह राणा	रतन सिंह	सर्वे हेल्पर	14-08-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
9.	प्रमोद सिंह राणा	मंगल सिंह	स्टोर हेल्पर	14-08-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
10.	अशोक सिंह	किन्दर सिंह	स्टोर हेल्पर	14-08-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
11.	अजय सिंह	स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह	स्टोर हेल्पर	28-07-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
12.	युद्धवीर सिंह	रतन सिंह	असिस्टेन्ट टाईप कीपर	03-09-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
13.	जगवीर राणा	प्रताप सिंह	ऑफिस बाय	16-07-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
14.	विपिन सिंह राणा	रुकम सिंह	कैम्प सुपरवाईजर	07-09-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
15.	रोशन सिंह	बचेन्द्र सिंह	कैम्प हेल्पर	03-09-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
16.	बिज मोहन सिंह	जयराम सिंह	लेब हेल्पर	14-08-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
17.	दीपक सिंह	विजय पाल सिंह	लेब हेल्पर	14-08-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
18.	राकेश सिंह	स्व0 श्री नरेन्द सिंह	डीजी हेल्पर	03-09-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
19.	प्रदीप कुमार	जयपाल सिंह	डीबाटरिंग हेल्पर	03-09-08	सुक्की	उत्तराखण्ड
20.	सुनिल सिंह राणा	राजेन्द्र सिंह	मैकेनिकल हेल्पर	14-08-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
21.	अनिल सिंह राणा	राजेन्द्र सिंह	मैकेनिकल हेल्पर	03-09-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
22.	गम्भीर सिंह	हुकम सिंह	हेल्पर	16-11-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
23.	जगत सिंह	स्व0 श्री केवल सिंह	हेल्पर	16-11-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
24.	रविन्द्र सिंह	इन्दर सिंह	हेल्पर	03-09-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
25.	राजेश सिंह	हिकमत सिंह	हेल्पर	16-11-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
26.	सुरेश सिंह	विक्रम सिंह	हेल्पर	16-11-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
27.	जयविन्द सिंह	कुन्दन सिंह	हेल्पर	16-11-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
28.	उमोद सिंह	फतेह सिंह	हेल्पर	16-11-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
29.	धर्मेन्द्र राणा	कमल सिंह	लेब असिस्टेन्ट	28-07-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
30.	अवतार सिंह	गंगा सिंह	ड्राईवर	15-11-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
31.	नवीन सिंह	विजय सिंह	मैकेनिकल हेल्पर	28-07-07	सुक्की	उत्तराखण्ड
32.	राकेश सिंह राणा	केवल सिंह	कुसिंग प्लाट सुपरवाईजर	04-10-07	सुक्की	उत्तराखण्ड

हिन्दुस्तान कन्सट्रक्सन कम्पनी में कार्यरत श्रमिकों की सूची

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	पद	कार्य ग्रहण करने की तिथि	गाँव	राज्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजेश	मानचन्द	ड्राइवर	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
2.	अनतीर रौतेला	बचन सिंह	फेबरीकेशन	16-08-07	झाला	उत्तराखण्ड
3.	अरविन्द रौतेला	मदन सिंह	फेबरीकेशन	16-08-07	झाला	उत्तराखण्ड
4.	पदम सिंह	महपाल सिंह	फेबरीकेशन	16-08-07	झाला	उत्तराखण्ड
5.	अनिल सिंह राणा	जयेन्द्र सिंह	फेबरीकेशन	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
6.	मनोज सिंह	बचन सिंह	हेल्पर	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
7.	जितेन्द्र सिंह रावत	किशन सिंह रावत	हेल्पर	16-08-07	झाला	उत्तराखण्ड
8.	पूरन चन्द	सत्या	हेल्पर	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
9.	चरन लाल	सत्या	हेल्पर	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
10.	रमेश सिंह	फतेह सिंह	हेल्पर	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
11.	मोहन सिंह	दिवानी सिंह	हेल्पर	15-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
12.	बचन सिंह	दशरथ सिंह	सुपरवाइजर	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
13.	धर्म सिंह	राजेन्द्र सिंह	हेल्पर	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
14.	राजेश रौतेला	गोनियाल सिंह	हेल्पर	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
15.	परश राम	चन्दर सिंह	हेल्पर	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
16.	रविन्द्र सिंह	लाखीराम सिंह	हेल्पर	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
17.	अनिल कुमार	जयेन्द्र सिंह	हेल्पर	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
18.	जीवन सिंह	दरशरथ सिंह	हेल्पर	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
19.	मोहन सिंह	रतन सिंह	हेल्पर	15-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
20.	सुशील रौतेला	जयेन्द्र सिंह	हेल्पर	15-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
21.	जितेन्द्र सिंह	किशन सिंह	सुपरवाइजर	15-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
22.	मदन सिंह	जैकू सिंह	सुपवाइजर	15-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
23.	शिवलाल	श्याम लाल	हेल्पर	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
24.	धनबहादुर	राज कुमार	हेल्पर	03-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
25.	धर्मेन्द्र सिंह	फतेह सिंह	हेल्पर	03-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
26.	विरेन्द्र सिंह	अमर सिंह	हेल्पर	03-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
27.	रामचन्द	टिकिया	हेल्पर	03-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
28.	विजय लाल	दिवानी सिंह	हेल्पर	03-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
29.	किशन सिंह	दशरथ सिंह	हेल्पर	03-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
30.	प्रितिपाल रौतेला	इन्दर पाल रौतेला	हेल्पर	03-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
31.	मोहन सिंह	स्व0 श्री गोरी दत्त	हेल्पर	15-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
32.	मनोज सिंह	स्व0 श्री सिहरजंग सिंह	हेल्पर	15-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
33.	सतीश सिंह	पिरत सिंह	हेल्पर	15-11-07	झाला	उत्तराखण्ड

1	2	3	4	5	6	7
34.	गजेन्द्र सिंह	फतेह सिंह	हेल्पर	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
35.	रघुवीर सिंह	नागेन्द्र सिंह	हेल्पर	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
36.	शूरवीर सिंह	नारायण सिंह	हेल्पर	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
37.	केशर सिंह	शौकर सिंह	हेल्पर	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
38.	विकास सिंह	स्व0 श्री प्यार सिंह	हेल्पर	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
39.	विनोद सिंह	इन्दर सिंह	हेल्पर	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
40.	महेन्द्र सिंह	लाखीराम	हेल्पर	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
41.	हरीभजन	श्याम लाल	हेल्पर	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
42.	सुजय सिंह	शिवेन्द्र सिंह	हेल्पर	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
43.	गोविन्द सिंह	तिलक सिंह	हेल्पर	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
44.	दीपक सिंह	जीत सिंह	स्टोर क्लर्क	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
45.	सुधीर सिंह रौतेला	विजय सिंह	मिस्त्री	15-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
46.	विजेन्द्र लाल	कालाशाह	मिस्त्री	04-10-07	झाला	उत्तराखण्ड
47.	रूकम सिंह	गोरीदत्त	हेल्पर	04-10-07	झाला	उत्तराखण्ड
48.	मोहन लाल	जीतनु	हेल्पर	04-10-07	झाला	उत्तराखण्ड
49.	किन्दर सिंह	लाखीराम	हेल्पर	04-10-07	झाला	उत्तराखण्ड
50.	अजाद सिंह	शिवेन्द्र सिंह	ड्राइवर	04-10-07	झाला	उत्तराखण्ड
51.	केदार चन्द	गंगा चन्द	सुपरवाइजर	15-10-07	झाला	उत्तराखण्ड
52.	प्रमोद सिंह	चतर सिंह	हेल्पर	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
53.	दिनेश सिंह	सूरत सिंह	हेल्पर	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
54.	दिनेश सिंह	फतेह सिंह	हेल्पर	03-09-07	झाला	उत्तराखण्ड
55.	महेश सिंह	राजेन्द्र सिंह	हेल्पर	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड
56.	राकेश सिंह	मनीराम सिंह	सुपरवाइजर	20-11-07	झाला	उत्तराखण्ड

नत्थी 'ग'

[देखिए अता0 प्र0सं0–54 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर]

विधान सभा के प्रथम सत्र–2008 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्रीमती अमृता रावत, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–54 की अनुपूरक सूचना

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	मुख्य अभियन्ता, ग0क्षे0 द्वारा मार्गों के निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियन्ता को दिये गये निर्देश के मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही एवं परिणाम
1	2	3	4
1.	अदवाणी–नाहसैंण–बहेड़ाखाल–खण्डा मोटर मार्ग	जिस ठेकेदार ने अभी तक डामरीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया है और जो ठेकेदार डामरीकरण का कार्य करने में असमर्थ है, उन ठेकेदारों के अनुबन्ध निरस्त कर दें। और भविष्य में डामरीकरण का कार्य उन्हें न दिया जाय, और सीमित डामरीकरण के सीजन को ध्यान में रखते हुए जो ठेकेदार डामरीकरण का कार्य अच्छा करते हैं उनको कोटेशन के आधार पर या बौन्ड के आधार पर या अतिरिक्त आईटम में कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। भूस्खलन, स्लिप आदि तुरन्त साफ कराये जायें। व्यासघाट से बहेड़ाखाल के लिए वाहन मोड़ने हेतु स्थान खण्डा में बहेड़ाखाल से डांडानागराज के लिए वाहन मोड़ने हेतु स्थान सुरपुर में टर्निंग प्वाइंट विकसित किये जायें और ऐसे स्थान जहाँ सड़क तंग है वहाँ चौड़ीकरण तत्काल किया जाय।	यह मार्ग अदवाणी से सुरपुर 16 किमी0, सुरपुर से बहेड़ाखाल 10 किमी0 तथा बहेड़ाखाल से खण्डा तक 5 किमी0 लम्बाई में है। सुरपुर से बहेड़ाखाल के भाग में डामरीकरण का कार्य स्वीकृत है तथा यह कार्य कि0मी0 3 को छोड़कर शेष 9 किमी0 भाग में डामरीकृत हो चुका है। साथ ही अदवाणी से बहेड़ाखाल तक बस यात्रा सुचारू रूप से चल रहा है। बहेड़ाखाल से खण्डा के बीच कुछ स्थानों पर भूस्खलन स्लिप आदि पड़े हैं जिन्हें हटाने की व्यवस्था की जा रही है। यह कार्य अप्रैल, 08 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। सुरपुर में अतिरिक्त पहाड़ कटान कर मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य प्रगति में है जिससे वाहनों को मोड़ने में सुविधा हो जायेगी। यह कार्य माह मार्च, 08 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

1	2	3	4
2.	पथराड़ा–गैंडीछेड़ा–दोन्दल–खोला मोटर मार्ग	इस मार्ग पर फिरोजपुर से आगे बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसका निरीक्षण किया जाय एवं त्रुटियों को ठीक करवाने हेतु समय सीमा निर्धारित की जाय। मार्ग को नियमित सेवा के लिए दोन्दल तक खोला जाय। इससे पहले आर0टी0ओ0 के साथ भी निरीक्षण करके यदि कोई भी त्रुटि उनके द्वारा अंकित की जाती है तो उसको दूर करने की कार्यवाही की जाय।	यह मार्ग 0.00 किमी0 से 18 किमी0 तक मोटर मार्ग तथा 18 किमी0 से 29 किमी0 तक हल्का वाहन के रूप में निर्मित है। वर्तमान में यह मार्ग किमी0 18 तक भारी वाहनों के लिए यातायात हेतु खुला है। इस पर किमी0 14 तक बस सेवा नियमित जा रही है। इस मार्ग पर वर्तमान में ए0डी0बी0 खण्ड, जोशीमठ के अधीन सुधार कार्य प्रगति में है तथा शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण होने के उपरान्त बसों का आवागमन हो जायेगा। ए0डी0बी0 द्वारा हल्का वाहन मार्ग का भी मोटर मार्ग में परिवर्तन करना प्रस्तावित है।
3.	डांडानागराज–धिण्डवाड़ा मोटर मार्ग	डांडानागराज से आगे यह मार्ग बहुत तंग है, हेयर पिन बैण्ड जिस पर कार नहीं मुड़ सकी वह इससे आगे बस सेवा संचालित नहीं हो पायी है। इस मोड़ को व अन्य तंग जौबों पर सड़क को चौड़ा कराया जाय, ताकि धिण्डवाड़ा तक बस सेवा संचालित हो सके।	वर्तमान में इस मार्ग की लम्बाई 7 किमी0 है। मार्ग के तंग भाग एवं हेयर पिन बैण्ड पर चौड़ीकरण का कार्य प्रगति में है। इस कार्य के मार्च, 08 तक पूर्ण होने की संभावना है। तदोपरान्त इस मार्ग पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निरीक्षण करवाकर बस सेवा संचालित करवायी जायेगी।
4.	सतपुली–बाड़ियूँ–चौपड़ा–व्यासघाट मोटर मार्ग	यह मार्ग धनगढ़ गधेरे से चौपड़ा तक काफी तंग है, और धनगढ़ में मोड़ काफी तंग व असुरक्षित है। चौपड़ा से व्यासघाट तक मार्ग का रख रखाव गैंग द्वारा ठीक नहीं हो रहा है। कई स्लिप वर्षों से सड़क पर	यह मार्ग 28 किमी0 लम्बाई में निर्मित है। इस मार्ग में धनगढ़ गधेरे चौपड़ा तक भाग में काफी स्थानों पर अतिरिक्त पहाड़ कटान एवं दीवार निर्माण कर मार्ग को चौड़ा किया गया है। चौपड़ा से व्यासघाट तक मार्ग में पड़े

1	2	3	4
		पड़े हैं।, तथा कई स्लिप दीवारें टूटी हुई हैं। इन सब दीवारों को तत्काल प्रभाव से ठीक कराया जाय, स्पिल हटाये जायें व तंग स्थानों पर मार्ग को चौड़ा कराया जाय।	स्लिप एवं तंग स्थानों को चौड़ा करने की व्यवस्था की जा रही है। मार्ग के इस भाग का कार्य माह अप्रैल, 08 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
5.	बहेड़ाखाल–कोटा मार्ग–महादेवसैंण–कुण्डकली मोटर मार्ग	इस 10 किमी0 मार्ग हेतु कई बार निविदा आमंत्रित की गई, किन्तु अभी तक निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, फिर से निविदायें आमंत्रित की जायें, व इनके कार्य मैनेज तथा अरेंज करना सुनिश्चित करें।	इस मार्ग की वास्तविक लम्बाई 2 किमी0 है। मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
6.	बाडियूँ–जखनोली–कुण्डकली–दिउसी मोटर मार्ग	इस मार्ग का एलाइन्मेन्ट रिव्यू किया जाय। अनावश्यक मोड़ों व हेयर पिन बैण्ड को एवॉइड किया जाय। तद्नुसार एलाइमेन्ट को पुनः निर्धारित किया जाय।	इस मार्ग के संरेखण में ग्रामवासियों द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया था जिसे अब आपसी समझौते से सुलझा दिया गया है। मार्ग के समरेखण को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
7.	बनेख–दिउसी मोटर मार्ग	इसके एलाइन्मेन्ट को रिव्यू किया जाय, बनेख–दिउसी तक होते हुए बिना बैण्ड दिये हुए दिउसी गाँव एवं 6 व 7 और गाँव भी जोड़े जा सकते हैं। विशेषकर हेयर बैण्ड जहाँ तक संभव हो एवॉइड करना चाहिए।	यह मार्ग 10 किमी0 लम्बाई में है। तथा इस मार्ग का समरेखण मुख्य अभियन्ता, ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी के निर्देशों के उपरान्त निर्माण कार्य गत वर्ष पूर्ण किया जा चुका है। यह मार्ग सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निरीक्षण करवाकर किमी0 8 तक भारी वाहनों के यातायात हेतु खुला है।

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0सं0 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 66–67 पर)

जनपद पिथौरागढ़ के नैनी–सैनी हवाई पट्टी विस्तारीकरण के संदर्भ में तत्कालीन मा0 लोक निर्माण मंत्री एवं आयुक्त, कुमायूँ एवं स्थानीय प्रतिनिधियों के मध्य वार्ता के बिन्दु–

बिन्दु संख्या–1 नैनी–सैनी से जाजर देवल तक निर्मित लोक निर्माण विभाग के मोटर मार्ग को हॉटमिक्स किये जाने की ग्रामीणों की माँग के सन्दर्भ में मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड एवं आयुक्त महोदय द्वारा कार्य की सैद्धान्तिक स्वीकृति के साथ अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब कार्य योजना के आगणन तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें।

अद्यतन स्थिति– नैनी–सैनी से जाजर देवल तक निर्मित लोक निर्माण विभाग के मोटर मार्ग को हॉटमिक्स किये जाने सम्बन्धी कार्य स्वीकृत है। जिसमें कार्य प्रगति पर है।

बिन्दु संख्या–2 नैनी–सैनी का जूनियर हाईस्कूल का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण के सन्दर्भ में मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड एवं आयुक्त महोदय द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़ इस संदर्भ में उच्चीकरण के प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रेषित करेंगे।

अद्यतन स्थिति– नैनी–सैनी में जूनियर हाईस्कूल का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण का कार्य प्रगति पर है।

बिन्दु संख्या–3 काश्तकारों, द्वारा जमीन देने वाले परिवार के लोगों को रोजगार की माँग के संदर्भ में आयुक्त महोदय द्वारा निम्नानुसार आश्वासन दिये गये हैं:–

(1) सर्व प्रथम इण्डिया रिजर्व बटालियन में 40 पद प्रति परिवार एक रोजगार प्रभावित ग्रामों के परिवारों के लिए योग्य सब्जेक्ट टु ऑल क्वालिफिकेशन के आधार पर रोजगार दिये जाने की वरीयता दी जायेगी।

अद्यतन स्थिति– दिनांक 10–4–2007 से 17–4–2007 तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रशिक्षक एवं जिला सेवा योजन अधिकारी तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी, पिथौरागढ़ के नेतृत्व में नैनी–सैनी में प्रशासन द्वारा एक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 100 लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

(2) एस0एस0बी0 में होने वाली नियुक्तियों पर भी योग्यता सब्जेक्ट टु ऑल क्वालिफिकेशन के आधार पर रोजगार दिये जाने को वरीयता दी जायेगी।

अद्यतन स्थिति– इण्डिया रिजर्व बटालियन एवं एस0एस0बी0 में भर्ती प्रारम्भ होने पर प्रभावित ग्रामीणों के परिवारों को योग्यता के आधार पर रोजगार दिये जाने हेतु वरीयता दी जायेगी।

(3) हवाई पट्टी के विस्तारीकरण पर नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 05 पद प्रभावित परिवारों के लिए योग्यता सब्जेक्ट टु ऑल क्वालिफिकेशन के आधार पर रोजगार दिये जाने को वरीयता दी जायेगी।

अद्यतन स्थिति– यद्यपि योजना का संचालन कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है अतः अभी रोजगार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता तथापि नैनी–सैनी के स्थानीय दो भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती पिथौरागढ़ हवाई पट्टी की सुरक्षा कर्मी के रूप में सुरक्षा कार्य हेतु तैनात किया गया है।

4–तदोपरान्त आयुक्त महोदय द्वारा हवाई पट्टी विस्तारीकरण हेतु भूमि दिये जाने वाले काश्तकारों में से कोई परिवार रोजगार हेतु रह जाता है तो उन्हें जिला ऊधमसिंह नगर में नई स्थापित होने वाले फैक्टरियों में रोजगार योग्यता सब्जेक्ट टु ऑल क्वालिफिकेशन के आधार पर रोजगार दिये जाने को वरीयता दिये जाने का आश्वासन दिया गया, और इस हेतु आवेदन पत्र आयुक्त महोदय को प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्त सभी शर्तें केवल नैनी–सैनी विस्तारीकरण हेतु ली जाने वाली से सम्बन्धित काश्तकारों के परिवार के लिए लागू होगी और जिनकी अधिकतम भूमि विस्तारीकरण में आ रही है उन्हें वरीयता सूची में प्राथमिकता दी जायेगी।

अद्यतन स्थिति–चूँकि योजना का संचालन कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है, अतः अभी रोजगार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

5–ग्रामीणों द्वारा आवाजाही हेतु कोई अवरोध न हो इसके लिए रास्ते की माँग की गई है। इस पर आयुक्त महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनके आने जाने के लिए पट्टी क्षेत्र में उपर्युक्त स्थल से भूमिगत रास्ता उपलब्ध कराया जायेगा। जिससे ग्रामीणों की आवाजाही में रोकटोक नहीं होगी।

अद्यतन स्थिति–वर्तमान हवाई पट्टी में ग्रामीणों के लिए आवागमन हेतु मार्ग की व्यवस्था की गई है, तथा पुनः विस्तारीकरण के समय भी ग्रामीणों के आवागमन हेतु भूमिगत मार्ग की व्यवस्था की जायेगी।

6–ग्रामीणों द्वारा हवाई पट्टी विस्तारीकरण में आने वाली भूमि की दर नगर पालिका क्षेत्र में निर्धारित दर पर भुगतान किये जाने की माँग की गई। इस संदर्भ में काश्तकारों से वार्ता हुई, यहाँ पर कृषि भूमि उपजाऊ है एवं स्रोत भी अच्छे हैं। अतः रुपये 2.00 लाख (दो लाख रुपये) प्रति नाली की आम सहमति काश्तकारों के साथ हुई, जिसकी सहमति आयुक्त महोदय से दूरभाष में प्राप्त की गई।

अद्यतन स्थिति–नैनी–सैनी हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु क्रय की गई भूमि का प्रभावित परिवारों को रुपये दो लाख प्रति नाली की दर से भुगतान किया गया है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 विधान सभा/40–25–4–2009–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।